लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
3rd
LOK SABHA DEBATES

ग्यारहवां सत्र

Eleventh Session

PAR... 340
DATE 21.6.65

Preservation ... 27-5-92
Fumigated On 26.12.83
Parliament Library

खंड 38 में अंक 1 से 10 तक हैं

Vol XXXVIII contains Nos. 1—10

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंगेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

2641 (Ai)LS—1

विषय-सूची

अंक 8—शुक्रवार, 26 फरवरी, 1965/7 फाल्गुन, 1886 (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
171	अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल	627—32
172	खेतरी तांबा परियोजना	632—33
173	नेपाल के साथ व्यापार	633—38
174	रेलगाड़ियों का देर से चलना	638—41
175	निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम	642—43
176	रूरकेला इस्पात परियोजना	643—44
177	"टिसको" और "इसको" को दिये गये ऋण	644—46
178	काम्पटी कोयला क्षेत्र में कोयला निक्षेप	646—48
179	मांड की कमी	648—50
181	कोरबा में एल्यूमिनियम कारखाना	650—51

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या		
170	अलोह वस्तुयें	651
180	कारों का उत्पादन	652
182	तकुओं के लिए लाइसेंस	652
183	अफगानिस्तान के साथ व्यापार सन्धि	653
184	पटसन के सामान का निर्यात	653—54
185	मिश्रधात इस्पात का निर्माण	654
186	भिलाई में धमन भट्टी	655
187	कपास का मूल्य	655
188	उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता	656
189	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची	656—57
190	पामबन पुल का पुनर्निमाण	657
191	केबल उद्योग	657—58
192	भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची का पुनर्गठन	658

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

CONTENTS

No. 8—Friday, February 26, 1965/Phalguna 7, 1886 (Saka)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
171	International Chamber of Commerce .	627—32
172	Khetri Copper Project .	632-33
173	Trade with Nepal .	633-34
174	Late running of Trains	638—41
175	Export Credit and Guarantee Corporation .	642-43
176	Rourkela Steel Project . .	643-44
177	Loans to TISCO and ISCO .	644—46
178	Coal Reserves in Kamptee Coalfields. . . .	646—48
179	Shortage of Starch . .	648—50
181	Aluminium Plant at Korba	650-51

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Starred Question Nos.		
170	Non-ferrous Metals	651
180	Production of Cars	652
182	Licences for Spindles . .	652
183	Trade Pact with Afghan . .	653
184	Export of Jute Goods . . .	653-54
185	Alloy Steel Manufacture	654
186	Blast Furnace Bhilai	655
187	Price of Cotton	655
188	Idle Capacity of Industries	656
189	Heavy Engineering Corporation, Ranchi . .	656-57
190	Reconstruction of Pamban Bridge. . . .	657
191	Cable Industry	657-58
192	Reorganisation of H.E.C, Ranchi	658

प्रश्नों के लिखित उत्तर—जारी

तारांकित

प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
193	शिशु आहार का उत्पादन	659
194	चमड़ा तैयार करने वाले उद्योग	659
195	मैगनीज अयस्क का निर्यात	660

अतारांकित

प्रश्न संख्या

384	यार्ड तथा टर्मिनल	660—61
385	केबल रेलवे	661
386	मुरादाबाद के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	661
387	बीकानेर डिवीजन में बिना चौकीदार के रेलवे फाटक	662
388	मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां	662—63
389	कोयले का उत्पादन	366
390	इस्पात कारखानों के कर्मचारी	663—64
391	कोकिंग कोयले का उत्पादन	664
392	खतरे की जंजीरें	664
393	सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट निचला पुल	664—65
394	विशेष रेलवे पास और पी० टी० ओ०	665
395	हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल	665—66
396	चोरी गो अभ्रक का चोरी छिपे ले जाया जाना	666
397	वेस्पा और लम्ब्रेटा स्कूटरों का निर्माण	666—67
398	दिल्ली-रोहतक शटल	668
399	बांदा-कानपुर गाड़ियां	669
400	कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी	669—70
401	रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनायें	670
402	उद्योगों का विकेन्द्रीकरण	670—71
403	निर्यात	671
404	सूती वस्त्र	671—72
405	कपास का निर्यात	672
406	रेशम का उत्पादन	672
407	"लेको" ईंधन	673
408	मध्य प्रदेश में नई रेलवे लाइनें	673—74
409	इस्पात कारखानों के कर्मचारी	674—75
410	गंडक नदी पर पुल	675
411	अनधिकृत बिजली के करघे	676
412	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम	676
413	भारतीय रेलवे में मेकेनिकल इंजीनियर	677

Starred Question Nos.	*Subject*	PAGES
193	Production of Baby Food	659
194	Leather Processing Industries	659
195	Export of Manganese Ore	660

Unstarred Question Nos.		
384	Yards and Terminals.	660—61
385	Cable Railways	661
386	Derailment Near Moradabad	661
387	Unmanned Railway Crossings in Bikaner Division	662
388	Trains between Muzaffarpur and Hajipur	662—63
389	Coal Production	663
390	Workers in Steel Projects	663—64
391	Coking Coal Production	664
392	Alarm Chains	664
393	Privilege Passes and P.T.Os.	664—65
395	Heavy Electricals Ltd., Bhopal	665
396	Smuggling of Mica to China	665—66
397	Manufacture of Vespa and Lambretta Scooters	666
398	Delhi-Rohtak Shuttle	666—67
399	Banda-Kanpur Trains	668
400	Surplus Staff of Chief Controller of Iron and Steel, Calcutta.	669
401	Chain Pullings in Trains	669—70
402	Decentralisation of Industries	670
403	Exports	670—71
404	Cotton Textiles	671
405	Export of Cotton	671—72
406	Production of Silk	672
407	'Leco' Fuel	673
408	New Railway Lines in Madhya Pradesh	673—74
409	Employees of Steel Plants	674—75
410	Bridge over the Gandak River	675
411	Unauthorised Powerlooms	676
412	National Coal Development Corporation	676
413	Mechanical Engineer, Indian Railways	677

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
414	कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात	677
415	उत्तर रेलवे कर्मचारियों को स्थायी करना	677
416	दिल्ली में रिंग रेलवे	677–78
417	कागज़ का निर्माण	678
418	गुडुर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	678–79
419	सिलीगुड़ी जोगी घोपा रेलवे लाइन	679
420	यार्डों और टर्मिनलों का नवीकरण करना	680
421	चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन	680–81
422	इंजीनियरी सामान का निर्माण	681–82
423	बेल्लारी और गोवा में लौह अयस्क	682–83
424	हुबली-कारबार के बीच रेलवे लाइन	683
425	नई दिल्ली स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना	684
426	गंगानगर-हिन्दूमलकोट बड़ी रेलवे लाइन	684–85
427	बीकानेर शहर में रेलवे फाटक	685
428	रेलवे अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि	685
429	उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखा विभाग	686
430	उत्तर रेलवे लेखा विभाग	686
431	उत्तर रेलवे सतर्कता आयोग	686–87
432	लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल	687
433	बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण	687–88
434	कार्मिक संघों को मान्यता देना	688
435	चूने का उत्पादन	688
436	जम्मू तथा काश्मीर में कागज की लुगदी बनाने के कारखाने	688
437	जम्मू और काश्मीर में खनिज सर्वेक्षण	689
438	रेलवे कर्मचारी	689
439	वायरलेस आपरेटर	689–90
440	कटखल-लाला बाजार रेलवे की खरीद	690
441	गिरडीह क्षेत्र स्थित कोयला खानों का बन्द किया जाना	690–91
442	हावड़ा के निकट कोलाघाट पर टक्कर	691
443	हथकरघा सम्बन्धी कार्यकारी दल	691–92
444	मशीनी औजार एकक	692
445	दक्षिण पूर्व रेलवे में निम्न श्रेणी की राजपत्रित सेवा के पद	692
446	उड़ीसा की कोयले की मांग	693

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
414.	Import of Textile Machinery	677
415.	Confirmation of Northern Railway Employees	677
416.	Ring Railway in Delhi	677–78
417.	Manufacture of Paper	678
418.	Derailment near Gudur	678–79
419	Siliguri-Jogighopa Railway Line	679
420.	Remodelling of Yards and Terminals	680
421.	Chandigarh Railway Station	680–81
422.	Manufacture of Engineering Goods	681–82
423.	Iron Ore in Bellary and Goa	682-83
424.	Rail Line between Hubi and Karwar	683
425.	Detention of Trains at New Delhi Station	684
426.	Ganganagar-Hindumalkot B.G. Line	684–85
427.	Railway Crossings in Bikaner City	685
428.	Service Extension to Railway Officers	685
429.	N. Rly. Headquarters Construction Accounts Department	686
430.	Northern Railway Accounts Department	686
431.	N. Railway Vigilance Department	686–87
432.	Raw Materials for Small Scale Industries	687
433.	Manufacture of Power Tillers	687–88
434.	Recognition of Trade Unions	688
435.	Production of Limestone	688
436.	Paper Pulp Plants in Jammu and Kashmir	688
437.	Mineral Survey of J. & K.	689
438.	Railway Employees	689
439.	Wireless Operators	689–90
440.	Purchase of Katakhal-Lalabazar Railway	690
441.	Closing Coal Mines in Giridih Area	690–91
442.	Collision at Kolaghat near Howrah	691
443.	Working Group on Handloom	691–92
444.	Machine Tools Unit	692
445.	Lower Gazetted Service Posts on S.E. Railway	692
446	Orissa's Demand for Coal	693

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
447	उड़ीसा में औद्योगिक विस्तार सेवा	693-94
448	उड़ीसा में औद्योगिक एकक	694
449	हथकरघा के वस्त्र का निर्यात	694
450	उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने	694–95
451	मुजफ्फरनगर पर मालगाड़ी के डिब्बों की कमी	695
452	हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस का पटरी से उत्तर जाना	695
453	बम्बई के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना	695–96
454	"मिनियेचर" ट्रेन	696
455	गया स्टेशन पर दुर्घटना	696
456	शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना	696–97
457	दिल्ली के स्टेशनों पर विशेष पुलिस संस्थान के छापे	697
458	रेलवे स्टेशनों पर उचित मूल्य की दुकानें	697–98
459	रेलवे में अकुशल कर्मचारी	698

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 698

अध्यापकों द्वारा आन्दोलन 698

सभा पटल पर रखे गये पत्र 704

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल), 1964–65 706

सभा का कार्य 706

गोपनीय दस्तावेजों के बारे में विनिर्णय 708

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--

श्री जना 715
श्री काशी नाथ दुरै 716
श्री कु० शिवप्रधाशन 718
डा० चन्द्र भान सिंह 719

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 721

छप्पनवां प्रतिवेदन 721

ठेके के श्रमिकों की प्रणाली की समाप्ति के बारे में संकल्प--अस्वीकृत 721

श्री स० मो० बनर्जी 722
श्री बूटा सिंह 723
श्री अल्वारेस 724
श्री ह० च० सोय 724

Unstarred Question Nos.	*Subject*	PAGES
447	Industrial Extension Service in Orissa .	693–94
448.	Industrial Units in Orissa . . .	694
449.	Export of Handloom Cloth. . .	694
450.	Cement Factories in Orissa. . .	694–95
451.	Shortage of wagons at Muzaffarnagar . .	695
452.	Derailment of Howrah Bombay Express .	695
453.	Derailment near Bombay	695–96
454.	Miniature Train	696
455.	Accident at Gaya	696
456.	Collision at Saktigarh Station . . .	696–97
457.	Raids by S.P.E. at Delhi Stations . .	697
458.	Fair Price Shops at Railway Stations .	697–98
459.	Unskilled Workers on Railways . .	698
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance .		698
Teachers' agitation .		698
Papers laid on the Table . . .		704
Demands for Supplementary Grants (Kerala), 1964-65 . .		706
Business of the House . .		706
Ruling re: Secret documents .		708
Motion on President's Address—		
Shri Jena . . .		715
Shri Kasinatha Dorai		716
Shri Ku. Sivappraghassan . .		718
Dr. Chandrabhan Singh . . .		719
Committee on Private Members' Bills and Resolutions .		721
Fifty-sixth Report		721
Resolution re: abolition of Contract Labour System—*Negatived.*		
Shri S. M. Banerjee .		722
Shri Buta Singh		722
Shri Alvares . . .		724
Shri H. C. Soy.		724

ठेके के श्रमिकों की प्रणाली की समाप्ति के बारे में संकल्प—अस्वीकृत—जारी

श्री गोरी शंकर कक्कड़ 724
श्री ओंकार लाल बेरवा 725
श्री बाल्मीकी 725
श्री यशपाल सिंह 726
श्री दीनेन भट्टाचार्य 726
श्री र० कि० मालवीय 727

वियतनाम की स्थिति के बारे में संकल्प—वापस लिया गया . . 728

डा० रानेन सेन 728
श्री सोलंकी 729
श्री खांडिलकर 730
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद 731
श्री बड़े 731
श्री दी० च० शर्मा 732
श्री कृ० चं० शर्मा 732
श्री दिनेश सिंह 733

अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में संक . . . 735

श्री बाल्मीकी 735

Resolution re : abolition of Contract Labour System—*Negatived—Contd.*

Shri Gauri Shankar Kakkar 724
Shri Onkar Lal Berwa 725
Shri Balmiki 725
Shri Yashpal Singh 726
Shri Dinen Bhattacharya 726
Shri R. K. Malaviya 727

Resolution *re*: situation in Viet Nam—*Withdrawn* . .

Dr. Ranen Sen 728
Shri Solanki 728
Shri Khadilkar 729
Shri Brajeshwar Prasad 730
Shri Bade 731
Shri D. C. Sharma 731
Shri K. C. Sharma 732
Shri Dinesh Singh 732

Resolution *re*: Uplift of Scheduled Castes 735
Shri Balmiki 735

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 26 फरवरी, 1965/7 फाल्गुन, 1886 (शक)

Friday, February 26, 1965/Phalguna 7, 1886 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उतर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अध्यक्ष महोदय : सचिव उस सदस्य का नाम पुकारें जो संविधान के अधीन शपथ ग्रहण करने अथवा प्रतिज्ञान करने अथवा हस्ताक्षर करने के लिये आये हैं।

सचिव : श्री एच० के० वीरन्ना गौड़ ।

अध्यक्ष महोदय : संसद्-कार्य मंत्री सदस्य का सभा में परिचय कर दें ।

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह) : श्रीमान्, मैं श्री एच० के० वीरन्ना गौड़ जो मैसूर राज्य के बंगलौर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हो कर आये हैं का आपसे तथा आप के द्वारा सभा से प्रसन्नता से परिचय कराता हूं ।

यह स्थान श्री एच० सी० दासप्पा के निधन से रिक्त हुआ था ।

श्री एच० के० वीरन्ना गौड़ (बंगलौर)

अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल

\+

*171. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री विश्वनाथ राय :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेम राज :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री कृष्णपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल का अधिवेशन नई दिल्ली में फरवरी,

1965 के दूसरे सप्ताह में हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो उस में किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय किये गये ; और

(ग) क्या इस से भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लगाने की संभावना में वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) अधिवेशन में हुई चर्चा का सामान्य विषय था—"साझेदारी द्वारा विश्व की प्रगति" । अधिवेशन में जिन विषयों पर विचार हुआ और जो परिणाम निकले उनके बारे में एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—3871/65 ।]**

(ग) इस दिशा में अधिवेशन से लाभप्रद परिणाम होने चाहियें ।

श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण के पृष्ठ 2 के पैराग्राफ 4 में बताया गया है कि विदेशों से गैर-सरकारी निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया है कि सरकार इस बात का आग्रह नहीं करेगी कि विदेशी सहायता प्राप्त-उद्योगों में अधिकांशतया भारतीय अंशधारी होने चाहिएं तथा यदि हां, तो विदेशों से सहयोग किस प्रकार का होगा ।

श्री मनुभाई शाह : यह नीति का व्यापक प्रश्न है । हम अपनी नीति से इस कारण से कभी भी नहीं हटेंगे कि किसी कांग्रेस अथवा किसी अन्य ने इस बात का सुझाव दिया है । यहां पर बहुत प्रतिनिधि आये थे । उन में अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल के प्रतिनिधि भी थे । सरकार ने उन को स्पष्ट शब्दों में बता दिया है कि यदि वे हमारी नीति के अनुसार पूंजी लगायें तो उस का हार्दिक स्वागत किया जायगा । हमारी नीति की मुख्य बात यह है कि हम इस का पता लगाते हैं कि विदेशी सहयोग से हमें लाभ होगा या नहीं ।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रतिनिधि यह चाहते थे कि उद्योगों के बारे में हमें अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए । यदि हां, तो अर्थ-व्यवस्था पर नियंत्रण कहां तक हटा लिया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : कोई नियंत्रण नहीं है । इसके विपरीत हमारी अर्थ-व्यवस्था इतनी तेजी से बढ़ रही है, और देखने पर मालूम होता है कि इसमें विदेशी सहयोग बिल्कुल थोड़ा है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि तैयार माल के मूल्य बढ़ रहे हैं और कच्चे माल के मूल्य कम होते जा रहे हैं और इस से विकासशील देशों को बहुत कठिनाई हो रही है । यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या इस सम्मेलन ने इस विषय परिचर्चा की थी ?

श्रीमती सावित्री निगम : जी, हां । विवरण के पृष्ठ 2 पर प्राथमिक उत्पादों का उल्लेख है ।

श्री मनुभाई शाह : अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में यह कहा गया था कि विकासशील देशों की मुख्य कठिनाई यह है कि प्राथमिक उत्पादों के मूल्य नीचे जा रहे हैं और उन की तुलना में तैयार माल के मूल्य बढ़ नहीं रहे हैं। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि संयुक्त राष्ट्र के वाणिज्य तथा विकास सम्मेलन में जो वस्तु आयोग स्थापित किये जा रहे हैं उन को स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि ऐसे प्रबन्ध अथवा करार किए जायें जिन से तैयार माल तथा कच्चे माल के मूल्यों में समानता रहे ।

श्री विश्वनाथ राय : कांग्रेस में जो विचार विमर्श हुआ था क्या उस के फलस्वरूप सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने भारत में भारत सरकार की शर्तों के अनुसार उद्योग स्थापित करने का ठोस प्रस्ताव किया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह तो नियमित सम्मेलन था । यह किसी विशेष देश या नियंत्रक देश के लिये नहीं था । परन्तु चर्चा का विषय यह था कि विश्व के विकसित देशों को अल्पविकसित देशों की अर्थ-व्यवस्था के विकास में सहायता करनी चाहिए।

श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि कांग्रेस ने यह एक निर्णय भी किया कि कृषि बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाय और उद्योगों के विकास को भी प्राथमिकता दी जाय ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस ने इस बात पर विचार किया है कि कृषि की प्रगति में उद्योगों से सहायता हो सकती है। जैसे उद्योग अच्छे औजार और ट्रैक्टर बना सकता है । अतः इन को प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

श्री मनुभाई शाह : कृषि बहुत महत्वपूर्ण है परन्तु हम उद्योगों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि अर्थ-व्यवस्था जिन में कृषि संबंधी कच्चा माल भी आ जाता है का विकास सभी ओर होता है और संसार तथा विकासशील देश इस प्रकार ही उन्नति कर सकते हैं। इसीलिये इस कांग्रेस ने तथा बहुत से अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस बात पर जोर दिया है कि संसार की प्रगति के लिये अल्पविकसित देशों में उद्योगीकरण आवश्यक है ।

Shri Yashpal Singh: What was the total amount spent by the Central Government?

Shri Manubhai Shah: Most of the expenditure was incurred by the federation and the members themselves. Government has not spent much.

Shri Yashpal Singh: Even then what was that small amount?

Shri Manubhai Shah: We have not estimated. The Congress has ended just now. Our expenditure is not much, because we were host country.

श्री स० चं० सामन्त : क्या वाणिज्य और व्यापार के लिए वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय काफी नहीं है यदि हां, तो इस कांग्रेस ने किन किन कानूनों के प्रस्ताव किए हैं ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक गरीब देशों का सम्बन्ध है उन के लिए किए गए प्रस्ताव अपर्याप्त हैं। वर्तमान अधिसमयों में अधिकांशतः धनी तथा उद्योग वाले देशों के बारे में विचार हुआ था। पिछले कुछ वर्षों में जो कार्यवाही की गई है वह नीतियों का पुनः नवीकरण करने के संबंध में की गई है ।

श्री हेमराज : इस कांग्रेस की सिफारिशों से भारत सरकार के उद्योग नीति संकल्प पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जरा भी नहीं । हमारी नीतियों में कोई अन्तर नहीं आयेगा । हम केवल प्रक्रिया को सरल बनाने का वायदा करते हैं।

Shri Bade: Part (c) of this question says:

"... क्या इस से भारत में विदेशी गैर-सरकारी पूंजी लगाने की संभावना बढ़ी है ?"

Whether this question was considered as to how many countries will make investment? Whether the Minister has ascertained that they are prepared to make investment or not?

Shri Manubhai Shah: On account of this Congress atmosphere has improved considerably. The foreign delegations were very much impressed by India and their misunderstandings were removed. I think it will have very good results.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : विवरण में कहा गया है कि :—

"... विदेशी पूंजी लगाने के द्वारा प्रोत्साहन देना चाहिये। जहां तक उपयुक्त हो गैर-सरकारी पूंजी लगाने वाले विदेशियों को देशी पूंजीपतियों के साथ साझेदारी अथवा संयुक्त प्रतिष्ठान बनाने के अवसर देने चाहियें ।"

मैं यह जानना चाहती हूं कि आई० सी० आई० ने प्रस्ताव किया है कि यद्यपि भारतीय बहुमत होगा परन्तु वास्तव में कुल सरकारी क्षेत्र में विदेशी पूंजी सरकारी पूंजी से अधिक हो गी, यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : यह इस से उत्पन्न नहीं होता । सिफारिश का अभिप्राय है कि विकसित देश तथा अल्प विकसित देश संयुक्त रूप से एक दूसरे की सहायता करने को तैयार हो जायेंगे और शर्तें तथा नीति वही होगी जो निमंत्रक देश चाहेगा । यदि निमंत्रक देश भारत है तो भारत की नीति चलेगी और यदि निमंत्रक देश नाईजीरिया है तो नाईजीरिया की नीति चलेगी । कुछ देश चाहते हैं कि उनकी जनता के शत प्रतिशत भाग रहे हैं । कुछ अपने देश का बाहुल्य चाहते हैं और कुछ सम्पूर्ण रूप से विदेशी निवेश चाहते हैं । नियमों के अन्दर ही उन को अल्प विकसित देशों के उद्योगीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिये ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में विदेशी पूंजी लगाने के बारे में हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है । सामान्यतः नीति यह है कि हम विदेशी सहयोग की अनुमति नहीं देते । केवल एक या दो मामले ऐसे थे—एक एच० एम० टी० का तथा दूसरा एक और कारखाने का था—अथवा हमने विदेशी ऋण लिये हैं परन्तु सरकार शत् प्रतिशत मालिक थी ।

श्री कपूर सिंह : इस सम्मेलन की बातों का विश्लेषण करने के पश्चात सरकार के विचारों के अनुसार भारत में विदेशी पूंजी में आने मे क्या रुकावटें हैं ?

श्री मनुभाई शाह : कोई बड़ी रुकावट नहीं है परन्तु हमारे जैसे बड़े देश की सामाजिक, आर्थिक तथा व्यावहारिक परिसीमायें ही कुछ बाधा का कारण हो सकती हैं । परन्तु इस की तुलना में इन से लाभ बहुत है । जैसे हमारी मंडियों को संरक्षण, भारतीय उपक्रमों को अधिक लाभ, इस देश में मजदूरों तथा तकनीकी लोगों का होना आदि । इन से हमें काफी लाभ है और हमारा भविष्य उज्जवल है ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या इस कांग्रेस के दौरान अमरीकी प्रतिनिधि मंडल के नेता श्री वाटसन ने यह कहा था कि यह देख कर उन को बहुत प्रसन्नता हुई है कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में बनाया गया इस्पात तथा सरकारी तेल के कूवों से निकाला गया तेल, गैर-सरकारी क्षेत्रों से इस्पात तथा तेल के समान ही है अतः क्या गैर-सरकारी क्षेत्र वालों के प्रचार को झुटलाने के लिये इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रचार किया जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : बिल्कुल ऐसे ही ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : मेरे प्रश्न का क्या उत्तर है ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने कहा 'हां', हम करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री आप की बात से सहमत हैं । फिर भी आप कुछ और चाहते हैं ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : वह इस का पर्याप्त प्रचार कराना चाहते हैं ।

श्री मनुभाई शाह : हां । मेरे माननीय मित्र आश्वासन चाहते हैं । हम इस का प्रचार करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या फैडरेशन अथवा सरकार ने कोई कार्यवाही करने के लिये कोई कार्यक्रम अथवा नीति बनायी है अथवा इस सम्मेलन के साथ ही साथ यह सब समाप्त हो जायगा ?

श्री मनुभाई शाह : आई० सी० सी० ही नहीं अपितु सभी प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा कार्यवाही करने के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाता है । अभी हाल के महीनों में हमारे यहां पांच प्रतिनिधि मंडल आये । एक अमरीका से और एक जर्मनी से । आजकल फ्रांस से भी एक प्रतिनिधि मंडल आया है । केवल कल ही करार का वाणिज्यिक मंडल आया । ये सभी कार्यवाही की जा रही है । फिर यहां पर भारतीय निवेश केन्द्र है । उस की एक शाखा बौन में खोले जाने पर विचार हो रहा है । इस प्रकार कार्यवाही की जाती है ।

श्री पु० र० पटेल : क्या इस कांग्रेस में विदेशी पूंजी लगाने वालों ने यह शिकायत की है कि इस देश में सरकार की कर सम्बन्धी नीतियां अस्थिर हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को कोई सहायता नहीं दी जाती, इस लिये वे लोग पूंजी लगाने में हिचकिचाते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह ठीक है । सभी जो पूंजी लगाना चाहते हैं पूर्णरूप से स्वतंत्रता चाहते हैं । परन्तु हमारे अपने दायित्व हैं और हम जानते हैं कि हमारा हित किस में है । अतः हम उन की बात नहीं मान सकते ।

श्री हेडा : क्या सरकार विदेशी सहायता के द्वितीय चरण का स्वागत करती है जिस में कि विदेशी सहायक को भारत में अपना सहयोग ढूंढ़ना होता है । यह बात अमरीका से आये दल जिस ने सहायतार्थ 200 प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं, से स्पष्ट है ।

श्री मनुभाई शाह : इस के बारे में गलतफहमी है । भारतीय नीति के अनुसार ही 'लटर आफ इंटेंट' जारी किये जायेंगे । यह बात प्रक्रिया में सुविधा लाने के लिये की जा रही है । 200 प्रस्ताव जो आ रहे हैं उन पर विचार किया जायगा । हमें आशा है कि वे ठोस प्रस्ताव हैं, उन से अच्छे परिणाम निकलेंगे ।

खेतरी तांबा परियोजना

*172. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खेतरी तांबा परियोजना पर आज तक कितना व्यय हुआ है ;

(ख) इसके लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है और कितनी उपलब्ध है ;

(ग) परियोजना में पूर्ण उत्पादन आरम्भ होने पर कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है ; और

(घ) परियोजना का कार्य संबंधी मूल कार्यक्रम क्या था और पुनरीक्षित कार्यक्रम क्या है ?

इस्पात और खान मंत्री के सभा सचिव (श्री तिम्मय्या) : (क) जनवरी, 1965 के अंत तक 178,93 लाख रु० खर्च किया गया ।

(ख) लगभग 10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है । विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को पूरा करने के लिये कोई ऋण प्राप्त नहीं हुआ है । इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) इस परियोजना से 21,000 मिलियन मीटरी टन तांबा धातु उत्पादन होने का अनुमान है जिससे लगभग 7.32 करोड़ रु० प्रति वर्ष आयात की बचत होगी ।

(घ) मूल समयावलि के अनुसार, यह परियोजना 1966 के मध्य से चालू हो जानी थी । परन्तु परियोजना के विस्तार में अब परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए--जैसे प्रतिक्षेपण प्रकार के प्रदावक (रेवरबेरटरी टाइप स्मैल्टर) की बजाय स्फुरण प्रकार के प्रदावक (फ्लैश टाइप स्मैल्टर) की स्थापना, गंधक के तेजाब की उप-पदार्थ के रूप में उत्पत्ति जिसे उर्वरक के उत्पादन में प्रयोग किया जायगा तथा अन्य कारणों से, जैसे अतिरिक्त व्यधन तथा नमूनों की जांच जो क्रमशः अयस्क संचयों को निश्चित करने अथवा अयस्क की विशेषताओं के ज्ञान के लिए की जा रही है । वास्तविक समयावलि के अनुसार काम करना अब सम्भव नहीं हो सकेगा । संशोधित समयावलि तैयार की जा रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या यह सच नहीं है कि मंत्रालय में बहुत गड़बड़ हुई है क्योंकि प्रतिक्षेपण प्रकार के प्रदावक (रेवरबरेटरी टाइप स्मैल्टर) तथा स्फुरण प्रकार के प्रदावक परियोजना के प्रथम प्रतिवेदन में थे और अब जो 1965 में निर्णय किया गया है यही 1962 में किया जा सकता था ? इस के लिये जिम्मेदार कौन है ? इस बात को ध्यान में रखते हुए मंत्री महोदय इस संबंध में कोई ध्यान देंगे कि 10 करोड़ रु० व्यय करने के पश्चात् हम प्रति वर्ष 7.5 करोड़ रु० की बचत कर लेंगे ।

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : जी हां । अध्ययन करने के पश्च'त् प्रक्रिया बदल दी गई है । अतः हमें विशेषज्ञों को ढूंढ़ना होगा । इसके लिये हम ने एक दल फिनलैंड जहां स्फुरण प्रकार के प्रदावक है भेजा है । मुझे बताया गया कि केवल वहां पर ही यह प्रदावक है और उनके पास इनकी एकस्व भी है । उनके साथ सलाह के पश्चात् हम ने यह प्रक्रिया अपनायी है । इस के लिये धन की व्यवस्था करने की कोशिश की जायगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं आपको बताता हूं कि प्रस्फुरण प्रकार के प्रदावकों के बारे में मी संसार को 15 वर्षों से पता है । फिनलैंड को भी यह जानकारी है । यह बात 1962, की प्रथम रिपोर्ट में बता दी गयी थी । परन्तु यहां अब 1965 में इस को स्वीकार किया गया है । इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : यह सोचा गया था कि दूसरा तरीका अच्छा है परन्तु बाद में जब यह देखा गया कि प्रस्फुरण प्रकार के प्रदावक और भी अच्छे होते हैं तो हमने इस बारे में कार्यवाही की है । गड़बड़ी के बारे में कुछ नहीं कह सकता ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मेरे आधे प्रश्न का उत्तर अभी नहीं मिला है । जो 10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा हासिल करके प्रति वर्ष 7.5 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा बचाने के बारे में है । आप 500 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष व्यय कर रहे हैं ; क्या आप को 10 करोड़ रु० की मुद्रा इस परियोजना के लिये नहीं मिल रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : नहीं, नहीं, हमें मिल रही है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : आप कोशिश कर रहे हैं कि आप को इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा देने वाला कोई मिल जाय ।

श्री संजीव रेड्डी : हम विदेशी मुद्रा हासिल करने के लिये कोशिश कर रहे हैं मैं माननीय सदस्य से इस सम्बन्ध में पूर्णरूप से सहमत हूं । यहां विदेशी मुद्रा की कमी का प्रश्न नहीं है । क्योंकि प्रक्रिया में परिवर्तन किया जा रहा है अतः विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पड़ी । यह परियोजना सफल होगी । प्रक्रिया में परिवर्तन के कारण कुछ विलम्ब हो गया है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या मैं एक प्रश्न और पूछ सकता हूं ? मैंने केवल एक ही प्रश्न पूछा है ।

अध्यक्ष महोदय : एक पूरा और दो आधे ।

Shri Bade: Shri Mathur should understand that there is delay but no bunglung.

श्री भागवत झा आजाद : माननीय मंत्री ने कहा कि एक बार 10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा व्यय करने पर प्रतिवर्ष 7.5 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा की बचत होगी । ऐसी स्थति में सरकार अन्य सरकारों से इसके लिये क्यों कह रही है और क्यों नहीं अपनी रक्षित निधियों से व्यय

करती है । विशेषरूप से जब करोड़ों रु० की विदेशी मुद्रा प्रति वर्ष व्यय की जा रही है क्या इसका स्पष्टीकरण कोई और देगा ?

श्री संजीव रेड्डी : कुछ राशि हम पहले से ही व्यय करते रहे हैं । हम और अधिक धन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसके कारण काम नहीं चल सका है ।

अध्यक्ष महोदय : विदेशी मुद्रा की खोज किस लिये है ? सदस्यों का आग्रह है कि चूंकि इस परियोजना की वार्षिक आय $7\frac{1}{2}$ करोड़ रु० है, फिर हम सीधे ही इस परियोजना के लिये 10 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा क्यों नहीं आवंटित कर देते ?

श्री संजीव रेड्डी : ऐसा नहीं है कि विदेशी मुद्रा की कमी के कारण काम रुका है । हमारे पास आवश्यक विदेशी मुद्रा है । यदि जरूरत पड़ी तो हम इसे ले लेंगे । क्योंकि "फ्लैश" पद्धति चालू की गई है इसलिये हमें इसके लिये कोलेबोरेटर और तकनीशियन चाहिये । विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण इसमें अधिक समय नहीं लग रहा है ।

Shri Yudhvir Singh: The copper found in Khetri is of very good quality and realising its importance Government is spending a lot on it. But this is not connected by Railway. Several times question has been raised in this House in this regard. Do Government propose to link it with Narnaul or Nijampur in the present Plan or the next Plan?

Mr. Speaker: The question relates to another Minister.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : दक्षिणपूर्व एशियाई देशों के तांबे के मुकाबिले में यह तांबा कैसा है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : यह इलेक्ट्रोलिटिक तांबा होगा और यह एक प्रतिशत तांबा होगा ।

श्री मि० रं० कृष्ण : तरीके को बदलने से हमें क्या लाभ होगा ?

श्री तिम्मय्या : परियोजना में इससे आर्थिक लाभ होगा । इससे हम कुछ पैसा बचायेंगे ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : चूंकि देश में तांबे के उत्पादन के बारे में हमें बड़ी आशायें थीं, सरकार कब तक उत्पादन आरम्भ कर सकेगी और ये खानें कब तक अधिकतम क्षमता पर उत्पादन करने लगेंगी ?

श्री तिम्मय्या : जब हमने विदेशी मुद्रा के लिये प्रार्थना की तो सलाहकारों ने अनेक प्रश्न खड़े किये, और उन में से एक यह था कि अयस्क का पुनः परीक्षण करने के लिये हमें खोज करनी चाहिये और गहरी खुदाई करनी चाहिये, रासायनिक परीक्षण द्वारा अयस्क के गुण दोषों के बारे में उन्हें पुष्टि करना चाहिये थी । गहरी और कम गहरी खुदाई में काफी समय लग गया । विदेशी मुद्रा उपलब्ध होने के पश्चात् हम उत्पादन आरम्भ करेंगे, जिसके लिये हम 2 या 3 महीने के भीतर लिखेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : : उत्पादन आरम्भ करेंगे ?

श्री तिम्मय्या : मुझे अफसोस है । उसके पश्चात् उत्पादन में $3\frac{1}{2}$ वर्ष लगेंगे ।

श्री संजीव रेड्डी : यह कहना आसान नहीं है कि हम उत्पादन कब आरम्भ कर सकेंगे । प्रणाली में परिवर्तन के कारण इसमें काफी समय लगेगा । इसके कारण हमें फिर से हिसाब लगाना पड़ेगा कि उत्पादन कब आरम्भ होगा ।

श्री रंगा : क्या मंत्रियों को उत्तर के लिये तैयार होकर नहीं आना चाहिये ?

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : वे एक दूसरे को बात काट रहे हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : मैं यह कह रहा हूं कि हमें उत्पादन की तारीख बदलनी होगी । इसलिये उत्पादन 1966 में आरम्भ नहीं होगा । फ्लैश पद्धति के कारण हमें इसे पुनः निश्चित करना होगा ।

श्री रामसहाय पाण्डे: खेतरी में अयस्क के कितने प्रतिशत तांबा है ?

श्री संजीव रेड्डी : एक प्रतिशत ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर: क्या माननीय मंत्री के उत्तर से मैं यह विश्वास कर लूं कि इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई जायेगी और यह कि इस परियोजना के कार्य में इस कारण बाधा नहीं पड़ेगी कि क्योंकि आप किसी और पर निर्भर करते हैं ? मुझे स्पष्ट उत्तर चाहिये ।

श्री संजीव रेड्डी : अन्ततोगत्वा केवल विदेशी मुद्रा के कारण ही यह देरी नहीं हुई है । इसे स्पष्ट कर चुका हूं और फिर दोहरा देता हूं । फ्लैश पद्धति के कारण देरी हुई है, जिसे कि अब बहुत उपयोगी समझा जाता है । विदेशी मुद्रा देने का हम प्रयत्न करेंगे । इस परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा देने के बारे में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

नेपाल के साथ व्यापार

*173 **श्री रामेश्वर टांटिया** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दे० द० पुरी :
श्री हेम राज :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और नेपाल की सरकार, दोनों देशों के बीच सामान्य वाणिज्यिक यातायात की कठिनाई और रुकावटों के बारे में जांच करने और उन्हें दूर करने के लिये एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के कब तक नियुक्त हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) इसके सदस्य कौन-कौन होंगे तथा यह दोनों सरकारों के लिये कहां तक सहायक सिद्ध होगी ; और

(घ) क्या यह समिति सरकार को समय-समय पर अपना प्रतिवेदन देगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) जी, नहीं । ऐसी कोई समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव नहीं है । फिर भी यह निश्चय किया गया है कि दोनों देशों के मध्य होने वाले व्यापार में समय-समय पर जो कठिनाइयां हों उन्हें बातचीत करके दूर करने के लिये दोनों सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों को समय-समय पर मिलना चाहिये । इनकी बैठकों के परिणामों का विवरण दोनों देशों की सरकारों के सम्बद्ध मंत्रियों को दिया जायगा जिससे वे उच्च स्तर पर ध्यान दिये जाने योग्य प्रश्नों पर विचार कर सकें । ऐसी दो बैठकें हो चुकी हैं ।

Shri Rameshwar Tantia: Did the Commerce Minister, in his visit to Nepal last month, notice that the quantum of trade between the two countries is not as much as it should be and that other countries like China etc., are increasing their trade there? What talks did he had with regard to this and what steps have been taken to rectify it?

Shri Manubhai Shah: The hon. Member has raised three points. First, that trade between the two countries is declining is not correct, on the other side the trade has increased considerably. Of course there are certain factors which are hindering the trade and if they are removed the quatum of trade can be increased manifold. These should be removed. These 15-16 points were considered by the delegations of both the sides and those hindrances have been checked to a greater extent. Two such meetings of the senior officers from both the sides have already been held and more will be in the future. This will also relieve them to a greater extent. As regards Nepal's trade with other countries I have already explained that every country wants to trade with other countries and we should not look at Nepal's trade with other countries in a wrong way. Our trade is flourishing there. We want to have trade relations with other countries and if Nepal also does that we should have sympathy for her.

Our real problem is to check the flow of China's goods into our country and for this we are concluding an agreement with that country.

Shri Rameshwar Tantia: Has the Government's attention been drawn to the fact that our good quality goods are being smuggled into Nepal and from there it is being exported to China? What steps Government propose to take to check it?

Shri Manubhai Shah: The question of smuggling our goods into Nepal does not arise as all goods can move freely from India to Nepal. This is our agreement with Nepal and therefore it cannot be called smuggling. Our jute and jute goods are taken there. The hon. Member has also written a letter to me that Indian jute is taken there, but as I said there is no question of smuggling. Leaving aside three or four commodities all the rest can be taken to Nepal without any restriction and similarly save a few commodities all the articles manufactured in Nepal can be brought into India without restrictions. This we cannot call smuggling. Smuggling is that when a commodity manufactured in a third country finds its way to India through Nepal. For checking this we are of course taking steps.

Shri Yashpal Singh: What is the total value of our imports from and exports to Nepal during a year?

Shri Manubhai Shah: I have given the figures. Our exports amount to Rs. 15 crores approximately.

श्री स० चं० सामन्त : क्या नेपाल और भारत के एजेंट पहले ऐसा काम करते थे; और यदि हां, तो अब इस प्रकार की समिति बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री मनुभाई शाह : भारत और नेपाल के एजेंट ? व्यापार चल रहा है ।

श्री स० चं० सामन्त : भारत और नेपाल में व्यापारिक एजेंट ।

श्री मनुभाई शाह : कोई व्यापारिक एजेंट नहीं हैं । भारतीय व्यापारी और नेपाल के व्यापारी इस व्यापार को कर रहे हैं । उन्होंने कोई एजेंट नामज़द नहीं कर रखे हैं ।

श्री शिंकरे : क्या माननीय मंत्री इससे अवगत हैं कि जहां तक नेपाल का सम्बंध है, यह देश न केवल व्यापारिक संबंधों से संबंधित है परन्तु दोनों देशों के बीच अच्छे राजनैतिक संबंधों से भी, और यह ही इस देश की बड़ी आवश्यकता है और नेपाल के साथ व्यापारिक संबंध के मामले में क्या सरकार ने इस पहलू पर ध्यान दिया है ?

अध्यक्ष : प्रश्न क्या है ?

श्री शिंकरे : क्या वह इस विषय की ओर कोई विशेष ध्यान देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : व्यापारिक और आर्थिक संबंध संसार में राजनैतिक मित्रता और दूसरी मित्रता की बुनियाद है, और इस मूल बात को इस विभाग में रखते हैं ।

Shri Bade: The hon. Minister just said that two such meetings had already been held. May I know the obstacles which they have pointed out and after the removal of which our trade with Nepal would be carried on conveniently.

Shri Manubhai Shah: Those small obstacles are in regard to customs etc. These are not such which cannot be tackled. Besides this an effort has also been made to remove any obstacle or difficulty relating to day-to-day administration.

Shri Bibhuti Mishra: Is it a fact that the Nepal Government had requested for conversion of narrow gauge line between Raxaul and Anglekhganj into metre gauge one. Those officers who surveyed it rejected their request under the pressure of M/s. Martin Co., and your officers, therefore, refused to convert it with the result that the goods remain lying at Raxaul uncleared, whereas last year the Government of India had engaged 700 trucks of Defence Department to transport them from Raxaul to Kathmandu. . . .

Mr. Speaker: Instead of asking a question, the hon. Member started to deliver a speech.

Shri Bibbuti Mishra: Why does the hon. Minister not speak?

Mr. Speaker: The hon. Member should not feel agitated. He should take his seat. He should address the question to me. After all what is the need of being so angry?

Shri Bibbuti Mishra: This would pinch all the patriots like me.

Mr. Speaker: Who denies that you are not a patriot but the question which you want to put, should be addressed to me patiently.

Shri Bibhuti Mishra: In this way our business comes to standstill and the officers have acted otherwise under their pressure. . . .

Mr. Speaker: I asked him to show his anger at me but the question should be put with patience and not with anger.

Shri Bibhuti Mishra: I asked that question only.

Shri Manubhai Shah: No such request has been made by the Government of Nepal regarding conversion of narrow gauge into metre gauge, because it is a technical matter—how much money they can spend and how much we can spend—and it, therefore, be left. As regards non-clearance of goods from Raxaul, it may be pointed out that nothing has been left these uncleared.

Shri Sheo Narain: May I know whether rice, sugar and cement can be exported to Nepal freely without any restriction.

Shri Manubhai Shah: They do not import rice instead we import it, whereas sugar and cement are supplied to them by us.

रेलगाड़ियों का देर से चलना

+

*174. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न खण्डों में, विशेषकर दिल्ली क्षेत्र में, रेलगाड़ियों के देर से चलने में 1964 में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां तो इसमें गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धि हुई है या कमी ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख). विभिन्न क्षेत्रीय रेलों पर 1963 की तुलना में 1964 में गाड़ियों के देर से चलने में कोई वृद्धि नहीं हुई । 1964 में सभी रेलों पर सवारी ले जाने वाली कुल गाड़ियों से, समय न खोने वाली गाड़ियों का प्रतिशत बड़ी लाइन पर 87.7 और मीटर लाइन पर 86.2 रहा, जब कि 1963 में यह क्रमश: 87.4 और 84.9 प्रतिशत था । इस प्रकार 1964 में गाड़ियों के परिचालन-कार्य में, विशेष कर मीटर लाइन पर, कुल मिला कर मामूली सुधार हुआ है ।

लेकिन 1964 में दिल्ली क्षेत्र की उपनगरीय गाड़ियों के परिचालन पर बुरा असर पड़ा और इसकी वजह से 1963 के परिचालन कार्य की तुलना में इसमें गिरावट दिखाई दी । दिल्ली क्षेत्र में गाड़ियों के परिचालन-कार्य में गिरावट आने का मुख्य कारण यह था कि इस वर्ष खतरे की जंजीर खींचने की घटनाएं बढ़ गयीं । दिल्ली क्षेत्र और उसके आस-पास के क्षेत्र में बहुत भीड़-भाड़ रहती है और यदि किसी कारण से कोई गाड़ी लेट हो जाय तो उसका प्रभाव दूसरी

गाड़ियों पर भी पड़ता है, खासतौर पर उन गाड़ियों पर जो सुबह और शाम के समय निर्धारित अवधि में चलती हैं, जिसकी वजह से कई स्थानीय और महत्वपूर्ण गाड़ियों को रुकना पड़ता है। इस क्षेत्र में जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे भी सीमित हैं और इसलिये स्थानीय और सीधे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त सुविधायें देने के उद्देश्य से एक वर्ष के दौरान लगभग 20 गाड़ियां चालू की गयीं या उनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया गया जिसकी वजह से इस क्षेत्र में परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के साथ-साथ दूसरी कठिनाइयां भी पैदा हो गयीं।

(ग) रेलों में सभी स्तरों पर गाड़ियों के समय-पालन पर निगरानी रखी जाती है। सवारी ले जाने वाली सभी गाड़ियों के काम में सुधार करने का भरसक प्रयत्न किया जाता है और इसके लिए विशेष अभियान चलाये जाते हैं। जहां तक दिल्ली क्षेत्र में गाड़ियों के चलने का सवाल है, इस क्षेत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न निर्माण-कार्य किये जा रहे हैं, ताकि दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर और इन स्टेशनों से सम्बन्धित सेक्शनों पर भीड़-भाड़ की समस्या को हल किया जा सके। चालू निर्माण-कार्य और उन दूसरे दीर्घकालिक उपायों के अलावा, जिनकी योजना बनायी जा रही है, अल्पकालिक कार्रवाई के रूप में एक क्षेत्रीय नियंत्रण संगठन की स्थापना भी की गई है। यह संगठन स्थानीय गाड़ियों के आने-जाने पर निगरानी रखेगा और इन गाड़ियों की समय-सारणी और रेक-लिंकों में मामूली समंजन करके तथा राज्य सरकारों के सहयोग से कार्रवाई करके खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं को कम करने का प्रयत्न करेगा। इन उपायों के फलस्वरूप यह देखा गया है कि जनवरी, 1965 में दिल्ली क्षेत्र में गाड़ियों के परिचालन-कार्य में सुधार हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि गाड़ियों के चलने में सुधार हुआ है। क्या यह सच है कि दिल्ली-कालका मेल दिसम्बर, 1964 में 30 दिन, जनवरी, 1965 में 28 दिन और फरवरी में 16 दिन देर से आयी थीं ?

अध्यक्ष महोदय : तब यह सामान्य समय होना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी : यह गाड़ी इतनी देर से क्यों चल रही है। यह गाड़ी और जी० टी० एक्सप्रेस दोनों देर से चल रही हैं। क्या कोई कदम उठाये जा रहे हैं कि जिससे ये गाड़ियां समय पर चलें ?

डा० राम सुभग सिंह : कालिका मेल ही केवल गाड़ी नहीं है, यहां तो 10,000 गाड़ियां हैं जो सारे देश में चलती हैं। अतः विवरण सभी 10,000 गाड़ियों के समय-पालन के आधार पर है। यदि कालिका मेल के चलने में कोई त्रुटि होगी तो उस की ओर ध्यान दिया जायगा।

अध्यक्ष महोदय : पहले भी यह बताया गया था कि उस गाड़ी को समय-सूची में दिये गये समय के अनुसार चलाना संभव नहीं है तब समय-सूची का इसके अनुसार समायोजन किया जा सकता है।

डा० राम सुभग सिंह : इस का समायोजन किया जा रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि गाड़ियों के देर से चलने सम्बन्धी आंकड़े गाड़ियों के ठिकाने पर पहुंचने के समय और सम्बद्ध स्टेशनों से छूटने के समय के आधार पर

तैयार किये जाते हैं और इन गाड़ियों के बीच के स्टेशनों पर देर से पहुंचने के समय का हिसाब नहीं लगाया जाता है। यदि हां, तो सरकार यह देखने के लिये कि गाड़ियां बीच के स्टेशनों पर भी समय पर पहुंचे, क्या कदम उठाना चाहती है ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : हम ने इन सभी बातों को ध्यान में रखा था और पहली अप्रैल से सारी समय-सूची का पुनरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि यह बातें . . . **(अन्तर्बाधाएं)**। उस पुनरीक्षण से पता चलगा कि कोई 100 मुख्य लाइनों के समय को कम करने का पहली बार यत्न किया गया है जिस से सुविधा हो। क्योंकि हम डिब्बे और जोड़ रहे हैं इसलिये हमा रे भाप से चलने वाले इंजनों की सामर्थ्य पर सन्देह है। पहली अप्रैल, से डीज़ल इंजिनों को भी आरम्भ किया जायेगा। अतः हमें यह कठिनाई कुछ और दिनों के लिये सहन करनी पड़ेगी. . . **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Yashpal Singh: I had requested in this House earlier also that their salaries should be increased but this has not so far been done. They are being paid overtime allowance. The more they bring the train late, the more allowance they are paid with the result that they stop trains on the way. So that they could get more allowance. May I know whether overtime allowance would be abolished?

Dr. Ram Subhag Singh: This would be looked into.

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। एक बार दस माननीय सदस्य खड़े होते हैं।

श्री जी० भ० कृपलानी : हम अपने पितृजों की अपेक्षा काफ़ी रफ्तार से यात्रा कर रहे हैं। इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : बैल ठेले में।

अध्यक्ष महोदय : क्या अब भी वह वही रफ्तार अपनाना चाहते हैं ?

Shri Bhagwat Jha Azad: Is it not a fact that in the current Time-table, after five or seven stations the haltage is given of 30 to 40 minutes and in this way it is pretended that trains run in time; if so, whether this lacunae will be removed next time?

Dr. Ram Subhag Singh: Taking all this in view, it has been decided to cut the travelling time and this would take effect from the 1st April.

Shri Bibhuti Mishra: The Hon. Minister has said that along the Nepal border broad gauge trains operate. But, the trains run late on the 100 mile section of Naharkatiaganj-Motihar-Samastipur. If we shall always be taking out percentage, as mentioned in the statement, then backward areas would always be suffering. Will the Hon. Minister look into the matter?

Shri S. K. Patil: First we shall take up the broad gauge and then come to the narrow gauge.

Shri K. N. Tewari: The hon. Minister said that in the time-table which would take effect from 1st April would have many improvements and the speed of the diesel engines would also be fast. The

diesel engine runs on broad gauge, then what would happen to metre gauge? Is it proposed to run diesel engines on metre gauge also? How the metre gauge shall be improved?

Mr. Speaker: The hon. Member may ask this question at the time of discussion on the Railway Budget.

श्री दाजी : क्या सरकार के ध्यान में यह बात आयी है कि 11 जनवरी के 'टाइम्स आफ इंडिया' में श्री सरोज वशिष्ट का एक पत्र प्रकाशित हुआ है कि मथुरा से चलने वाली जी० टी० एक्सप्रेस को चार बार रोका गया और एक बार तो उसको रेलवे के उच्च अधिकारी के लिए शव बनाने के लिए गर्म पानी लेने के लिए रोका गया और वहां पर रेलवे कर्मचारियों ने इस मामले में कुछ भी करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। इन्हीं बातों से गाड़ियां देर से चलती हैं। क्या इस बारे में कोई जांच की गई है ?

श्री स० का० पाटिल : यह जांच की जा रही है। इसके बारे में कई मत हैं। समाचार-पत्र में जो कुछ छपा है वह अब तक के साक्ष्यों से सही नहीं है। यदि यह बात सच पायी गयी तो सम्बन्धित अधिकारी को कुछ दण्ड दिया जाएगा।

Shri Daljit Singh: May I know whether arrangements have been made to run alternative trains on routes where trains run late by 8 or 9 hours?

Dr. Ram Subhag Singh: We are not aware of any such trains which run late by 8 or 9 hours. If the hon. Member gives examples about the continuous late running, we shall look into it.

Shri Daljit Singh: Kalka Mail was late by 8 hours on the 31st January.

Mr. Speaker: If the hon. Member gives some particular instance of any day, it would be difficult for the hon. Minister to answer.

Shri Daljit Singh: He asked me, so I gave the instance.

Dr. Ram Subhag Singh: I have asked about continuous late running. There was some derailment and so some margin was given for that. For that it could have been more late.

श्री रंगा : अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी में कालका मेल के चलने के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मंत्री महोदय ने बताया कि लगभग 10,000 गाड़ियां चलती हैं और यदि कोई गाड़ी लेट चलती है तो उस पर हमें चिन्तित नहीं होना चाहिये। यह बड़ा गलत तरीका है। श्री पाटिल का इतना कहना पर्याप्त नहीं है कि वे 100 गाड़ियों के बारे में पहले उनके कार्य को देखेंगे और फिर डीजल इंजन लगायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का कर्तव्य यह भी नहीं है कि वह यात्रियों के संतोष के लिए सभी गाड़ियों के कार्य को देखें ?

श्री स० का० पाटिल : सरकार का कर्त्तव्य है कि वह देखे कि गाड़ियों समय पर चलें लेकिन यह बात सही नहीं है कि कोई गाड़ी एक महीने में सभी दिन और अगले महीने 20 दिन लेट चली। इस बारे में हम जांच करेंगे। यदि कोई गाड़ी वर्ष भर लेट चलती है तो इसमें जरूर कोई त्रुटि है। इसका कारण जानने के लिए इस पर ध्यान दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न : सदन की सारी कार्रवाई ही लेट चल रही है और मुझे इस पर ध्यान देना होगा ।

निर्यात ऋण तथा गारंटी निगम

+

*125. { **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964 में निर्मात ऋण और गारण्टी निगम ने, खण्डवार, कुल कितने सौदे किये; और

(ख) इसका केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में होने से निर्यात के संवर्द्धन में कितनी सहायता मिली है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) निर्यात ऋण और गारंटी निगम ने 1964 के वर्ष में कुल 34.97 करोड़ रु० का जोखिम उठाया है। क्षेत्रानुसार इस जोखिम का मूल्य इस प्रकार है :—

क्षेत्र	जोखिम मूल्य लाख रु० में
उत्तरी	175.1
दक्षिणी	559.4
पूर्वी	360.7
पश्चिमी	2401.3
योग	3496.5

(ख) निगम का मुख्य कार्यालय बम्बई में है क्योंकि पश्चिमी जोन को बहुत निर्यात करना होता है। 1964 में निगम ने जो व्यापार किया है उसके परिणाम को देखने से विदित होता है कि इसके व्यापार में पश्चिमी क्षेत्र का ही अधिकतर भाग है ।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या यह सच है कि अन्य सभी तीनों जोनों ने यह मांग की है कि उस कार्यालय को अथवा उस कार्यालय की एक शाखा उनके जोन में स्थापित की जाए और यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री मनुभाई शाह : निगम 7 कार्यालय खोल चुका है, चार तो चार जोनों के प्रमुख नगरों में और तीन भीतरी प्रदेश में ।

श्रीमती सावित्री निगम : केन्द्रीय कार्यालय बम्बई में रखने के क्या कारण हैं ? क्या यह पिछले वर्ष निर्धारित किये गये निर्यात के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए है ?

श्री मनुभाई शाह : यह मुख्य कार्य है। पिछले चार वर्षों में यह व्यापार 5 करोड़ रुपये से बढ़ कर 35 करोड़ रुपया हो गया है और हमें आशा है कि चौथी योजना के अन्त तक यह व्यापार लगभग 150 करोड़ रुपये हो जाएगा।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know whether the Government have assessed as to how for the export was promoted during 1964 in view of the working of the Export Credit and Guarantee Corporation?

Shri Manubhai Shah: It cannot be said. This is export. There are many agencies which work within the industrial framework and it is one of them and has played their part well.

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या मैं जान सकता हूं कि यह निर्यात ऋण और गारंटी निगम मुक्त रूप से जोखिम उठाता है या वस्तुओं के नाम लिखे जाते हैं ? यदि वस्तुओं के नाम दिये जाते हैं तो किस प्रकार की वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : विभिन्न प्रकार के कवर हैं-- एक पैकिंग ऋण है, दूसरा माल भेजने के बाद का ऋण है, तीसरी माल भेजने से पूर्व का ऋण है, पांच वर्षों के लिए और तीन वर्षों के लिए पूंजीगत वस्तु ऋण हैं आदि। अतः यह अन्य देश की शर्तों पर निर्भर करता है।

श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या वस्तुओं का चयन नहीं होता है ?

श्री मनुभाई शाह : होता है।

रूरकेला इस्पात परियोजना

*176. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला इस्पात संयंत्र का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की क्षमता क्या होगी और पूंजी परिव्यय तथा उत्पादन लक्ष्यों के रूप में प्रस्तावित विस्तार कितना होगा ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). जी, हां। राउरकेला इस्पात कारखाने का अब 10 लाख टन से 18 लाख टन पिण्डों की वार्षिक क्षमता तक विस्तार किया जा रहा है। चौथी योजना में राउरकेला की वार्षिक क्षमता को 25 लाख टन पिण्डों तक बढ़ाने का विचार है। आगे के विस्तार की लागत का हिसाब लगाया जा रहा है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या इसमें विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और यदि हां, तो यह किस प्रकार पूरी की जाएगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह जर्मनी के ऋण से पूरी की जाएगी।

श्री स० चं० सामन्त : जिस समय यह पहले लगाया गया था, उस समय की तुलना में अब इसके विस्तार के लिए कितनी देशीय सामग्री उपलब्ध होगी ?

श्री प्र० चं० सेठी : संयंत्र, उपकरण आदि का ब्योरा बताना कठिन है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री महोदय ने बताया है कि वे चौथी योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकेंगे । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या रूरकेला संयंत्र में भी उत्पादन कम ही होगा और क्या हम 34 लाख मेट्रिक टन का उत्पादन नहीं कर सकते ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : चौथी योजना के लक्ष्य में संशोधन करके इसको अब 165 लाख मेट्रिक टन कर दिया गया है । हमें आशा है कि हम यह लक्ष्य पूरा कर लेंगे और इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी । रूरकेला संयंत्र में भी पूरी क्षमता पर उत्पादन होगा । 18 लाख मेट्रिक टन का विस्तार अगले वर्ष के अन्त तक पूरा किया जाएगा और चौथी योजना के अन्त तक हम 25 लाख मेट्रिक टन उत्पादन कर सकेंगे । इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं समझता हूं कि रिपोर्ट सही नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री पंत ।

श्री संजीव रेड्डी : 165 लाख मेट्रिक टन के संशोधिक अनुमान को पूरा कर लिया जाएगा । इसके पहले के अनुमान बहुत अधिक थे ।

अध्यक्ष महोदय : मैं मंत्रियों से भी अनुरोध करूंगा कि वे मेरे साथ चलें । मैं आगे बढ़ गया हूं और वे पीछे ही हैं ।

श्री कृ० चं० पंत : क्या मैं जान सकता हूं कि इस विस्तार कार्य का डिजाइन और इंजीनियरी सम्बन्धी कार्य किस हद तक भारतीय इंजीनियरों द्वारा किया जाएगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस बारे में केन्द्रीय इंजीनियरी डिज़ाइन ब्यूरो ने काफी काम किया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad: May I know the year during which this target of 2·5 million tonnes, as laid down for the Fourth Plan, would be achieved? Whether it would be achieved at the end of the Plan or at the earlier stage?

Shri P. C. Sethi: The target would be achieved by the end of the Plan.

"टिसको' और "इसको" को दिये गये ऋण

+

*177. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री गोकुलानन्द महन्ती :
श्री यशपाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या इस्पात और खान मंत्री 27 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 248 के सम्बंध

में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "टिसको" और "इसको" से ऋण की वसूली के बारे में उन के द्वारा दिये गये सुझावों पर प्रशुल्क आयोग ने अपनी सिफारिशें दे दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री स० मो० बनर्जी : इस प्रश्न के बारे में असामान्य विलम्ब हुआ है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस ऋण को वसूल करने का फैसला किया है या नहीं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : इस समय बातचीत द्वारा रकम वापस लेने का प्रयत्न किया जा रहा है और इस मामले में वित्त मंत्री कार्रवाई कर रहे हैं । वह उनसे बातचीत कर रहे हैं और 10–15 दिनों में कोई फैसला कर लिया जाएगा और निर्णय होते ही मैं सभा को इस बारे में बतला दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि "टिस्को" और इस्को" दोनों ने मूल्यों में परिवर्तन करने की मांग की है और यह मांग प्रशुल्क आयोग को भेज दी गयी है ? उनकी शर्त यह है कि वे ऋण का कुछ भाग केवल तब ही लौटाएंगे जब मूल्यों में वृद्धि कर दी जाए । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह बात कहां तक सच है ।

श्री संजीव रेड्डी : यह सभा को ज्ञात है कि इस ऋण की वापसी के बारे में एक नहीं अनेक शर्तें हैं । इसलिये किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए वित्त मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं और अन्य पेचीदगियों के बगैर धन वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि हम इसमें सफल नहीं होते तो सभी प्रकार के कदम उठाए जाएंगे ।

Shri Yashpal Singh: May I know the total amount of the loan and when this loan was given and the amount of interest thereupon?

Shri P. C. Sethi: The amount is about 10 crores of rupees.

श्री अ० प्र० जैन : क्या इस ऋण को समान पूंजी के रूप में बदलने के लिए इन कम्पनियों के साथ अभी भी बातचीत चल रही है ?

श्री संजीव रेड्डी : यदि इतना ऋण वापस न किया गया जिससे सरकार को संतोष हो जाए तो फिर यह प्रश्न पैदा होता है ।

श्री अ० प्र० जैन : यह बात सही नहीं है क्योंकि सरकार के पास इस ऋण को बदलने के अधिकार हैं ।

श्री संजीव रेड्डी : हम केवल रकम वापस लेने का प्रयत्न कर रहे हैं । इसीलिए मैंने कहा था कि यदि ऋण वसूल न हुआ, तब यह प्रश्न पैदा होगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : सारी बात यह है कि क्या बातचीत द्वारा कोई निर्णय हो सकेगा । मैं नहीं समझती कि हम इसके लिए बातचीत क्यों कर रहे हैं क्योंकि इसकी शर्तें सरकार के हित में ऐसी

नहीं है कि बातचीत से कोई विशेष लाभ हो सके । मैं यह जानना चाहती हूं कि इस ऋण को समान पूंजी में परिवर्तित करने के लिये सरकार को क्या अड़चनें हैं ?

श्री संजीव रेड्डी : यह निर्णय कर लिया गया है ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्यों ?

श्री संजीव रेड्डी : सरकार ने रकम वसूल करने का फैसला किया है । जैसा मैंने सितम्बर और नवम्बर में बताया था, हम केवल रकम वसूल करने के लिए कदम उठा रहे हैं । मुझे पता है कि संसद् ने सरकार को इस ऋण को समान अंशों में बदलने के अधिकार दे रखे हैं । सरकार ने इस ऋण को समान पूंजी में बदलने का फैसला नहीं किया है । सरकार केवल रकम वसूल करने के लिए ही कदम उठा रही है । **(अन्तर्बाधाएं)**

Shri Daljit Singh: Is it a fact that last year a committee was set up for negotiations, if so, the decision taken by the Committee?

श्री संजीव रेड्डी : ऐसी कोई समिति नहीं है । वित्त मंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं और आगामी आठ या दस दिनों में फैसला हो जाएगा ।

काम्पटी कोयला क्षेत्र में कोयला निक्षेप

\+

*178. **श्री रा० गि० दुबे :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :
श्री बालकृष्ण सिंह :
श्री राजदेव सिंह :
श्री भागवत झा आज़ाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खान विभाग ने नागपुर के निकट काम्पटी कोयला क्षेत्र में कोयले के विशाल निक्षेप का पता लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितना निक्षेप होने का अनुमान है ; और

(ग) निक्षेप से कोयला निकालने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

इस्पात तथा खान मंत्री के सभा-सचिव (श्री तिम्मय्या): (क) और (ख). भारतीय खान ब्यूरो ने नागपुर में काम्पटी कोयला क्षेत्र के विस्तृत अन्वेषण का काम हाथ में लिया था । तीन संस्पर्शी क्षेत्रों, जिनका नाम घटरोहन, बीना और सिलबाड़ा है, में अन्वेषण कार्य किया गया । इन क्षेत्रों के कुछ भागों का विस्तृत अन्वेषण किया गया जिससे 226.49 मिलियन मीटरी टन कोयले का संचय सिद्ध हुआ । इस संचय के अतिरिक्त, 478.51 मिलियन मीटरी टन कोयले का संचय 650 मीटर की उदग्र गहराई पर अनुमान किया गया है जिससे दूसरी श्रेणी से नीची श्रेणी तक के कोयले के कुल अनुमानित संचय का योग 705 मिलियन मीटरी टन हो जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय कोयला निगम ने पहले ही से एक निदेशक (पाइलट) खान कापड़खेड़ा विद्युत केन्द्र की आवश्यकता पूरी करने के लिये खोली है जिसकी क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाकर 0.45 मिलियन मीटरी टन कर दी जायगी ।

श्री रा० गि० दुबे : यह बढ़िया श्रेणी का कोयला है या घटिया श्रेणी का और इसका क्या अनुपात है ?

श्री तिम्मय्या : जैसा मैंने बताया, यह दूसरी श्रेणी का और घटिया किस्म का कोयला है ।

श्री रा० गि० दुबे : क्या भारतीय खान ब्यूरो ने देश में किसी और क्षेत्र का भी पता लगाया है जहां बड़े पैमाने पर कोयले के निक्षेप निकाले जा सकते हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : यह बड़ा व्यापक प्रश्न है । इसका एक अनुपूरक प्रश्न में उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री विश्वनाथ राय : चालू योजना की अवधि में पता लगाये गये कोयले के निक्षेप को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अगली पंचवर्षीय योजना में कोयला अधिक उपलब्ध होगा और इसके मूल्य कम होंगे ?

श्री संजीव रेड्डी : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री भागवत झा आजाद : एक ओर तो काफी मात्रा में कोयले के निक्षेप पाये जाते हैं और दूसरी ओर मंत्री महोदय ने तीसरी योजना में एक या दो बार नहीं बल्कि तीन बार लक्ष्य में कमी की है । सरकार इसमें कैसे मेल करती है ? जब इतने रक्षित भंडार पाये जाएं और जब इसकी खुदाई के लक्ष्यों को कम किया जाए तो सरकार की स्थिति क्या होगी ?

श्री संजीव रेड्डी : यह सब खपत पर निर्भर करता है । एक विशेष किस्म का कोयला बिकना चाहिए । दूसरी श्रेणी का कोयला बिकता नहीं है । अभी भी वह फालतू रहता है ।

Shri Yashpal Singh: I want to know whether Government would do this work itself or with some foreign collaboration and when this work is likely to be completed.

श्री तिम्मय्या : यह काम एन० सी० डी० सी० करेगी ।

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या सरकार वहां कोई कोयला धोने का कारखाना भी लगाएगी ?

श्री तिम्मय्या : जी, अभी नहीं ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या इस निम्न श्रेणी के कोयले को साफ करने के बाद विदेशों में इसकी बिक्री की संभावना का पता लगाया जाएगा ?

श्री संजीव रेड्डी : जी, नहीं । इस घटिया किस्म के कोयले के लिए विदेशों में बिक्री की संभावना नहीं है ।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या तीसरी योजना बनाते समय इन भंडारों को ध्यान में रखा गया था, जिसके अनुसार छिद्रण परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं और यदि हां, तो यह किस हद तक क्रियान्वित हुआ है ?

श्री संजीव रेड्डी : देश में हर जगह बड़ी मात्रा में भंडार हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि हम उन्हें तभी निकालेंगे जब इनकी खपत होगी ।

Shri Bade: Is it a fact that experts say that in the Kampti coal-filed near Nagpur best type of coal would also be found. Have they submitted this report after surveying the coalfields that three types of coal would be found there including the best type of coal?

श्री संजीव रेड्डी : इस पर ध्यान दिया गया है जो कोयला मिला है वह बढ़िया किस्म का नहीं है। यह दूसरी श्रेणी का और घटिया किस्म का है। वास्तविक स्थिति यह है।

Shri P. G. Sen: Today cowdung is used as fuel. Is there any such suggestion with the Government that this grade II coal should be sent to villages so that manure could be saved and used as manure only. Has any action been taken in this regard?

श्री संजीव रेड्डी : हमने राज्य सरकारों से कहा है कि जो भी जितना कोयला चाहे, उसे वह दे दिया जाए। यदि राज्य सरकारें गांवों को कोयला दे सकें तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। हम मांग पूरी कर सकते हैं ।

मांड की कमी

\+

*179. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री बड़े :
महाराज कुमार विजय आनन्द :
डा० सरोजिनी महिषी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुई मिल संघ ने मांड और मांड पदार्थों की कमी के बारे में सरकार को लिखा है ;

(ख) क्या कच्चे माल की कमी के कारण मांड और मांड पदार्थ पैदा करने वाली कुछ मिलें बन्द हो गई हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन की मेज़ पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) जी, हा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) (1) भारत व संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के मध्य पी० एल० 480 के अन्तर्गत 1,30,000 मे० टन मक्की का आयात करने के लिये एक करार 31-12-1964 को हुआ है । अप्रैल, 1965 के मध्य तक इसके सम्भरण होने की आशा की जाती है ।

(2) अखिल भारतीय मांडी निर्याता संघ के एक प्रतिनिधि मंडल की अमरीका जाने की आशा है जिससे वह वहां से मक्की भिजवाने में शीघ्रता करा सके ।

(3) वस्त्र मिलों से प्रार्थना की गयी है कि वे जहां तक सम्भव हो टेपिओका मांडी का प्रयोग करें ।

(4) मक्की से मांडी बनाने वाले कारखानों से कहा गया है कि वे अपने वर्तमान भंडार से सभी वस्त्र मिलों को इस प्रकार से मांडी प्रदान करें कि कोई भी मिल बन्द होने की स्थिति में न पहुंच पाये ।

(5) मक्की से मांडी बनाने वाले कारखानों से यह भी कहा गया है कि वे टेपिओका के टुकड़ों को अपने कारखानों में काम में लाकर देखें ।

Shri Vishram Prasad: It has been mentioned in the statement that starch will be manufactured from 1 lakh 30 thousand tonnes of maize to be imported from America. May I know for how many days will this 1 lakh 30 thousand tonnes of starch be sufficient?

श्री सें० वें० रामस्वामी : मांड की कुल आवश्यकता का अनुमान 1,50,000 मेट्रिक टन लगाया गया है । देश में भी मक्का पैदा होती है और टेपिओका से भी मांड बनता है । लेकिन यह महसूस किया गया है कि यदि हम 1,30,000 मेट्रिक टन का आयात करते हैं तो इससे इस उद्योग की आवश्यकता पूरी हो जाएगी ?

Shri Vishram Prasad: While this agreement under P.L. 480 was signed in December, the maize will be imported in October. The mills will remain closed for this period. May I know the number of mills which suffered on account of the non-availability of starch?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): They will of course, have to suffer because it will take two to three months for the maize to arrive. We had no other provision for it. So long as food crisis is there, local maize cannot be supplied to the mill-owners.

Shri Onkar Lal Berwa: May I know the number of mills which have closed down due to the stoppage of manufacture of starch on account of non-availability of the raw material.

श्री सें० वें० रामस्वामी : पांच मिलें मक्का से मांड बनाती हैं और उनमें काम बन्द है ।

श्री बड़े : प्रश्न का भाग (ख) यह है कि कुछ मिलें बन्द हुई हैं या नहीं और उत्तर 'हां' में दिया गया है । May I know the loss incurred thereby. You have also stated that Tapioca Chips have been recommended. And it is heard that the mill owners have sent a representation to you that the starch manufactured from Tapioca Chips is not as good as that manufactur-

ed from Maize. There is difference in the two varieties. May I know whether this complaint has been received.

श्री सें० वें० रामस्वामी : हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन तथ्य यह है कि इसकी कमी है। कुल आवश्यकता $1\frac{1}{2}$ लाख मीट्रिक टन है। अधिष्ठापित क्षमता 1,46,000 टन है लेकिन वास्तव में मक्का का कुल उत्पादन 86,000 टन होता है। मांड 6,000 टन होता है। कुल लगभग 1,06,000 टन है। अत: इस कमी को केवल आयात की हुई मक्का से पूरा किया जा सकता है।

Shri Bade: May I know the number of mills closed down?

Mr. Speaker: He said five.

Shri Kukam Chand Kachhavaiya: The hon. Minister told that 1,30,000 tonnes of maize would be imported. How much starch would be manufactured out of it?

Mr. Speaker: He wants to know the quantity of starch that will starch.

Mr. Speaker' He wants to know the quantity of starch that will be manufactured from it.

Shri Manubhai Shah: About 90,000 tonnes.

श्री श्यामलाल सर्राफ : मांड बनाने के लिये अनाज के अलावा और कच्चे माल के इस्तेमाल के लिये यदि कोई प्रयत्न किए गए हैं, तो वे क्या हैं ?

श्री मनुभाई शाह: मांड केवल अनाज से ही बनाया जा सकता है।

Shri R. S. Pandey: Starch is manufactured from maize and there is shortage of maize in our country. It is good if maize is imported and utilised for food purposes. May I know whether some of the scientific device is also to be introduced for the manufacture of starch.

Shri Manubhai Shah: Other things could also be used, as gowar-gum. We produce it from gowar seeds, tamarind seeds. For manufacture of starch, tapioca chips are also used.

90 प्रतिशत मांड अनाज और खाद्य फसलों से बनता है। लेकिन अब हम खाद्य फसलों के अतिरिक्त अन्य वस्तु का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अत: हमें अमरीका से मक्का आयात करना पड़ता है।

कोरबा में एल्युमिनियम कारखाना

\+

*881. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री कोया :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री 20 नवम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 104 के उत्तर के

संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कोरबा में एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने में आज तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :कोरबा एल्यूमिना संयंत्र की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिये हंगरी की फर्म जैमोकोम्पिक्स के साथ एक संविद पर दस्तखत होने के बाद, परियोजना की विस्तृत रिपोर्ट बनाने के कार्य में हंगरी को सहयोग देने के लिये राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम को भारतीय अभिकर्ता नियुक्त किया गया है । हंगरी के विशेषज्ञों का एक दल जांच/परामर्श करने के लिये भारत में आया । हंगरी को स्फोदिज के नमूने की 50 मीटरी टन की एक बिल्टी भी परीक्षा के लिये भेज दी गई है ।

एल्यूमिनियम बनाने वाली 6 प्रसिद्ध फर्मों को जो भारत में काम कर रही हैं अथवा जिन्होंने परियोजना में पहले रुचि दिखाई थी, पूछा गया था कि क्या वे कोरबा में प्रदावक लगाने और निर्माण की सुविधाएं प्रदान करने में तकनीकी सहायता देने को तैयार हैं । इनमें से तीन ने रुचि प्रकट की है, बाकी से शीघ्र उत्तर आने की आशा है ।

श्री दी० चं० शर्मा : यह विवरण बड़ा भ्रामक है क्या मैं जान सकता हूं कि जहां तक कोरबा स्थित इस अल्यूमिनियम संयंत्र का सम्बन्ध है, हंगरी वाले इसमें किस प्रकार कार्य करेंगे ?

श्री प्र० चं० सेठी : विवरण बहुत स्पष्ट है । जहां तक हंगरी वालों का सम्बन्ध है, वे केवल अल्युमिना बनाने तक कार्य करेंगे ।

श्री दी० चं० शर्मा : इस संयंत्र में अधिकतम उत्पादन होने पर अल्यूमिनियम के उत्पादन का क्या लक्ष्य होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय 1,20,000 टन अल्युमिना बनाने का विचार है जिससे लगभग 30,000 टन अल्यूमिनियम बन सकेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

अलौह धातुएं

***170. श्री द्वा० ना० तिवारी** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में राज्य सरकारों के अलौह धातुओं के कोटे के आवंटन में कटौती की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) 1963–64 में विभिन्न राज्य सरकारों ने अलौह धातुओं के कितने-कितने कोटे की मांग की थी और वास्तव में उनको (राज्यवार) कितना-कितना माल दिया गया ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग). सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०–3872/65]**

कारों का उत्पादन

*180. **श्री हेम बरुआ :** क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में विदेशी मुद्रा में कटौती करने के परिणामस्वरूप कारों के वर्तमान उत्पादन में कमी होने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि उस समय तक सम्भव नहीं है जब तक कि स्वदेशी भागों का प्रयोग 90 प्रतिशत तक न बढ़ा दिया जाए । उत्पादकों को अपनी मोटरों के स्वदेशी पुर्जों की संख्या को बढ़ाने के वास्ते पूंजीगत माल के आयात के लिए आवश्यक सुविधाएं दे दी गई हैं । इसी उद्देश्य को ध्यान में रख कर सम्बंधित उद्योगों की स्थापना के कार्य को भी साथ ही साथ बढ़ाया जा रहा है ।

तकुओं के लिए लाइसेंस

*182. **श्री दे० जी० नायक :**
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तीसरी योजना की अवधि में अतिरिक्त तकुए लगाने के लिए औद्योगिक लाइसेंस दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइसेंसों को देने के लिये क्या आधार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) से (ग). तीसरी योजना अवधि के लिये रखे गये सूत उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत समय समय पर लाइसेंस दिये गये हैं । नकुओं की संख्या का कुछ भाग विभिन्न राज्यों के लिये नियत किया गया था, और सम्बद्ध राज्य सरकारों तथा वस्त्र आयुक्त की सिफारिशों पर इस नियतन के अन्तर्गत नये कारखाने खोलने तथा मौजूदा कारखानों में काफी विस्तार करने के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे । विभिन्न राज्यों को दिये गये इन लाइसेंसों के अतिरिक्त निम्न के लिये भी लाइसेंस जारी किये गये :—

(क) सहकारी कताई मिल स्थापित करने के लिये ;

(ख) असन्तुलित और अलाभप्रद कारखानों का इतना विस्तार करने के लिये कि वे सन्तुलित और लाभप्रद होने के स्तर तक आ जायें ; और

(ग) मिलों में इतना विस्तार करने के लिये कि वे 25,000 तकुओं के स्तर तक आ जायें ।

अफगानिस्तान के साथ व्यापार सन्धि

*183. {महाराज कुमार विजय आनन्द :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और अफगानिस्तान के बीच हाल ही में हुई क्रियात्मक परिवर्तनों सम्बन्धी व्यापार सन्धि की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) इससे भारत को क्या लाभ हुआ है ; और

(ग) संशोधित करार कब से लागू हो जायेगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) भारत अफगान व्यापार करार जिस पर 21–1–1964 को हस्ताक्षर हुए 1–2–1964 से तीन वर्ष के लिये वैध है। बशर्ते कि इसे वर्ष समाप्ति से पूर्व 1 महीना का नोटिस दे कर समाप्त न कर दिया जाये। शाही अफ़गान सरकार के प्रतिनिधियों से काबुल में हुई वार्ता के परिणामस्वरूप, यह तय किया गया है कि अफगानी वस्तुओं का मूल्यांकन उन बीजकों के आधार पर किया जायेगा जो भारतीय सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा स्वीकृत होंगे, और यदि कोई बीजक उपलब्ध न होंगे तो भारतीय सीमाशुल्क द्वारा किये गये मूल्यांकन को ही उन वस्तुओं के मूल्य का आधार माना जायेगा।

(ख) उपयुक्त परिवर्तनों के परिणामस्वरूप अफ़गानिस्तान से आयात हुई वस्तुओं का मूल्यांकन उनके अफ़गान बाजारों में रहने वाले वास्तविक मूल्यों के अधिक निकट होगा, जो कि दोनों देशों के हित में होगा।

(ग) संशोधित व्यवस्था पर 1–2–1965 से अमल किया जा रहा है। अफगान प्रधान मंत्री की अभी हाल ही में हुई भारत यात्रा के समय अफगानिस्तान से भारत में आयात किये जाने वाले मेवों, ताजे फलों व अन्य वस्तुओं के लिये अधिकतम वार्षिक सीमा 7.25 करोड़ रुपये तक रखी, जानी स्वीकार की गयी है। (इसमें दो वर्षों अर्थात 1–2–1965 से 31–1–1966 और 1–2–1966 से 31–1–1967 तक राजी से समंजन किया जा सकेगा।)

पटसन के साधन का निर्यात

*184. {श्री भागवत झा आजाद :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी पटसन उत्पादकों पर अनिवार्य किस्म नियंत्रण तथा नौभरण पूर्व वस्तु निरीक्षण लागू कर दिया है; और

(ख) क्या निर्यात बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय अन्य निर्यात वस्तुओं पर भी लागू किये जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : सरकार ने 1 जनवरी, 1965 से जूट के टाट और बोरियों पर अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण लागू कर दिया है और जूट के अन्य उत्पादों पर भी शीघ्र ही इसी प्रकार अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण लागू कर दिया जायगा ।

निर्यात योग्य अन्य सभी वस्तुओं पर भी ये प्रणालियां लागू करना सरकार की नीति है। कृषि सम्बन्धी 18 वस्तुओं, सूती वस्त्रों, हथकरघा उत्पादों, नकली तथा असली रेशम उत्पादों तथा ऊनी माल, जूट उत्पादों, नमक और अभ्रक जैसे खनिज पदार्थों, अलूमीनियम के बर्तन जैसे निर्मित माल वनस्पति और खाद्य उत्पादों आदि पर पहले से ही अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण प्रणाली लागू है। मछली और मछली उत्पादों, कायर उत्पादों, अन्य सूती वस्त्रों, और अधिक कृषि उत्पादों और कुछ इंजीनियरी उत्पादों पर भी शीघ्र ही अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण प्रणालियां लागू कर दी जायंगी। इस प्रकार एक और वर्ष में कुल निर्यात के 80 प्रतिशत भाग पर अनिवार्य किस्म नियन्त्रण और नौभरण पूर्व निरीक्षण लागू हो जायगा।

मिश्रधातु इस्पात का निर्माण

*185. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी क्षेत्र की कितनी फर्मों की मिश्रधातु इस्पात के निर्माण के लिए लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) इन परियोजनाओं में से कितनों को विदेशी गैर-सरकारी पूंजी का सहयोग प्राप्त है ; और

(ख) मिश्र धातु और विशेष इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक विश्वास करने के क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 23. इनके अलावा दो पार्टियों को इन्डेंट पत्र दिये गये हैं।

(ख) नौ ।

(ग) यह कहना उचित न होगा कि औज़ारी, मिश्र धातु और विशेष इस्पात के उत्पादन के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र पर अधिक भरोसा किया जा रहा है। चौथी योजना के अन्त तक सरकारी क्षेत्र का उत्पादन अनुमानित मांग से 50 प्रतिशत अधिक होगा। चूंकि विभिन्न प्रकार और वर्गों के मिश्र धातु इस्पात की आवश्यकताएं साधारणतया कम होती हैं इसलिये पूर्णतया बड़े कारखानों पर संकेन्द्रित करने की अपेक्षा कई छोटे छोटे कारखानों में उत्पादन करना कुछ हद तक लाभप्रद होता है।

भिलाई में धमन भट्टी

*186. श्रीमती ज्योत्सना चन्दा :
श्री महेश्वर नायक :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 9 जनवरी, 1965 को भिलाई में चौथी धमन भट्टी में बहुत खराबी हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस मामले की जांच करने के लिए एक जांच आयोग स्थापित करने का है; और

(ग) इस खराबी के परिणामस्वरूप कितनी हानि हुई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) 9 जनवरी, 1965 को बसल पाइप का ऊष्मसह स्तर और भिलाई की धमन भट्टी नं० 4 का "हांट ब्लास्ट मेन" क्षतिग्रस्त पाया गया, 11 जनवरी, 1965 को भट्टी को आवश्यक मरम्मत करने के लिए 7 दिनों के लिए बन्द कर दिया गया ।

(ख) जनरल मैनेजर ने पहले ही एक समिति नियुक्त कर दी है जिसके अध्यक्ष भिलाई इस्पात संयंत्र के मुख्य अधीक्षक (लोहा और इस्पात) हैं और जिसमें भारतीय और रूसी विशेषज्ञ हैं । यह समिति अनुभूत हुई परिचालन कठिनाइयों के कारणों की जांच करेगी ।

(ग) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भट्टी केवल 8 दिसम्बर, 1964 को चालू की गई थी और अभी तक परिक्षण के लिए चलाई जा रही है इस बाधा के कारण उत्पादन में होने वाली हानि का अनुमान करना कठिन है ।

Price of Cotton

*187. **Shri Chandak:** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government are aware that the price of cotton (including cotton-seeds) has come down from Rs. 158 to Rs. 130 per quintal which is resulting in a great loss to cotton growers because there are no buyers of cotton in the market at present; and

(b) if so, the action being taken by Government to protect the interests of the growers?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) As the Hon'ble member is aware, price of *kapas* varies from quality to quality and market to market. By and large, price realisation per quintal of *kapas* this year has been more than what it was last year.

(b) Does not arise.

उद्योगों की अप्रयुक्त क्षमता

*188. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में (वर्ष वार) संगठित उद्योगों (सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों के) की कितनी क्षमता उपयोग में नहीं लाई जा सकी ;

(ख) क्या इस "अप्रयुक्त क्षमता" का प्रयोग करने का प्रयत्न किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उस का स्वरूप क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) ऐसी शेष औद्योगिक क्षमता का जिसका उपयोग नहीं किया गया है वार्षिक तुलनात्मक अनुमान लगाना कठिन है। इसका कारण यह है कि नई स्थापित क्षमता को पूरे उत्पादन तक पहुंचने में एक तो कुछ समय लगता है दूसरे यह कच्चे माल की उपलब्धता और अन्य ऐसे कारणों पर निर्भर करती है जो समय समय पर अलग अलग होते हैं। स्थापित क्षमता को पूर्ण रूपेण उपयोग करने की आवश्यकता के प्रश्न पर सरकार निरन्तर ध्यान दे रही है। तथा इसे प्राप्त करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जिनमें उद्योग की देखभाल की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी वित्तीय सहायता का प्रबन्ध करना, निर्यात सम्बर्द्धन योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त कच्चे माल का आयात करना, उद्योग के आधुनिकरण और मशीनों के परिवर्तन तथा आयातीत कच्चे माल और पुर्जो के स्थान पर उनके स्वदेशी उत्पादन के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता देना प्रमुख है।

भारी इंजीनियरिंग निगम , रांची

*189. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बाल्मीकी :
श्री मधु लिमये :
श्री मं० रं० कृष्ण
श्री बड़े :
श्री विभूति मिश्र :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री शशिरंजन :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारी इंजीनियरिंग निगम के ढलाई और गढ़ाई कारखाना,

(फाउण्डरी फोर्ज) रांची में 24 दिसम्बर, 1964 को तीसरी बार आग लगी ;

(ख) यदि हां, तो आग से कितनी हानि हुई ;

(ग) क्या आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है; और

(घ) क्या आग के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) कोई हानि नहीं पहुंचाई गई ।

(ग) और (घ) पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है तथा कुछ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ।

पामबन पुल का पुर्ननिर्माण

*190. **महाराजकुमार विजय आनन्द :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री सेझियान :
श्रीमती रेणका बड़कटकी :
श्री भागवत झा आजद :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री रामनाथन चेट्टियार :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की मुख्य भूमि और तूफान से उजड़े हुए रामेश्वरम् द्वीप के बीच सड़क का पुल बनाने की योजना पर क्या सरकार ने हाल ही में पुनर्विचार किया है और वहां रेलवे एवं सड़क का पुल बनाने की सम्भावना पर भी विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) मौजूदा रेलवे पुल को सड़क पुल अथवा रेल-एवं-सड़क पुल के रूप में इस्तेमाल करने की संभावना पर विचार किया गया लेकिन इसे तकनीकी कारणों से उचित नहीं पाया गया। अतः यह निर्णय किया गया कि मौजूदा पुल को रेलवे यातायात के लिए इस्तेमाल किया जाए। निर्माण-कार्य प्रगति पर है ।

केबल उद्योग

*191. **श्री विश्राम प्रसाद :**
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि भारत में केबल उद्योग को कच्चे माल की कमी के

कारण बहुत कठिनाई हो रही है ;

(ख) केबल उद्योग संघ ने जो सर्वेक्षण किया था क्या उस का प्रतिवेदन सरकार को मिल गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची का पुनर्गठन

*192. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री यशपाल सिंह :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची के कार्यकारी निदेशकों के स्थान पर सलाहकारों को रखने और उस के संयंत्रों के प्रबन्ध का विकेन्द्रीकरण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनर्गठन से क्या क्या लाभ होने की आशा है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) कार्यकारी निदेशकों के स्थान पर सलाहकारों को रखने का कोई प्रस्ताव नहीं है तो भी कार्यकारी निदेशक रखने की वर्तमान प्रणाली समाप्त की जा रही है । पुनर्गठन करने की दिशा में सम्बद्ध परियोजनाओं को अधिक अधिकार देने के अलावा कोल माइनिंग मशीनरी प्लांट को एक अलग कम्पनी बनाने के लिए कार्रवाई की जा रही है जिसका प्रबन्ध वह स्वतन्त्र रूप से करेगी ।

(क) जो उपाय किये जा रहे हैं उनसे विभिन्न परियोजनाओं की आवश्यकताओं और समस्याओं पर जल्दी ध्यान दिया जा सकेगा जिनमें उत्पादन, सुरक्षा, भर्ती, प्रशिक्षण, मजदूर और कर्मचारियों के सम्बन्ध इत्यादि शामिल हैं ।

शिशु आहार का उत्पादन

*193. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू योजना की अवधि के अन्त तक शिशु आहार का उत्पादन दुगना करने के हेतु क्या सरकार ने उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय का अनुसरण करते हुए कितनी इकाइयों को लाइसेंस दिये गये हैं और उनकी कुल उत्पादन क्षमता क्या है; और

(ग) शिशु आहार की कितनी और उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस देने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) सरकार ने बेबी फूड के उत्पादन की लाइसेंस प्रदत्त क्षमता को 7,500 मी० टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर 12,000 मी० टन प्रति वर्ष करने का निर्णय कर लिया है ।

(ख) यद्यपि किसी और कारखाने के लिए अभी तक लाइसेंस नहीं दिया गया है लेकिन 8 पार्टियों से प्राप्त पत्रों पर सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है ।

(ग) लगभग 6,000 मी० टन वार्षिक ।

चमड़ा तैयार करने वाले उद्योग

*194. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से कहा है कि वे चमड़ा रंगने और तैयार करने वाले उद्योगों को उदारतापूर्वक ऋण सम्बन्धी तथा अन्य सहायता दें ;

(ख) सरकार इस काम के लिये राज्य सरकारों को क्या वित्तीय सहायता दे रही है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के निदेशों के प्रति राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क) जी, नहीं । केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें दोनों ही इन उद्योगों की सहायता करने के लिये भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय कर रही है जैसे निर्यात और आयात की सुविधायें, तकनीकी प्रशिक्षण, वित्तीय ऋण तथा बाजार की सुविधायें देना ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैंगनीज़ अयस्क का निर्यात

*195. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैंगनीज़ अयस्क के निर्यात व्यापार को एम० एम० टी० सी० को सौंप कर उस का वस्तुतः राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ;

(ख) ऐसा करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) इससे भारत तथा विश्व मूल्यों के बीच का अन्तर कम होने की कहां तक संभावना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख) . 1962 से एम० एम० टी० सी० की मार्फत अनिवार्य रूप से निर्यात किये बिना ही मैंगनीज अयस्क के निर्यात तथा उसमें एम० एम० टी० सी० के भाग, दोनों में ही वृद्धि होती गई है। 1963 में हमारे मैंगनीज अयस्क के निर्यात का कुल योग 9.4 लाख मे० टन था । इसमें नगद तथा वस्तुओं की अदला बदली से होने वाली दोनों प्रकार की बिक्री शामिल है। इसमें एम० एम० टी० सी० का भाग लगभग 5.5 लाख मे० टन अर्थात् लगभग 59 प्र० श० था। दोनों ही प्रकार की कुल बिक्री का योग 1964 में काफी बढ़कर लगभग 15.8 लाख टन हो गया। इसमें एम० एम० टी० सी० का भाग लगभग 12.4 लाख मे० टन अर्थात् 79 प्र० श० था। मैंगनीज के कुल निर्यात तथा उसमें एम० एम० टी० सी० के भाग में हुई वृद्धियों को देखते हुए वस्तुओं की अदला बदली के आधार पर होने वाली मैंगनीज अयस्क के निर्यात को 1 जनवरी, 1965 से औपचारिक रूप में एम० एम० टी० सी० की मार्फत किया जाने लगा है। अब यह जांच भी की जा रही है कि नगद बिक्री के आधार पर होने वाले मैंगनीज के निर्यात को भी, इसी प्रकार से क्यों न किया जाए जिससे कि निर्यात के वर्तमान स्तर स्थिर रहें व इनमें वृद्धि हो, और इसके निर्यात द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा का उपार्जन करने के लिये भारतीय निर्यातकों द्वारा परस्पर प्रतिस्पर्द्धा करके मूल्य गिराने की सम्भावना भी दूर कर दी जाए ।

(ग) केवल निर्यात अभिकरण में ही परिवर्तन कर देने से ही मैंगनीज अयस्क के भारतीय व विश्व मूल्यों में रहने वाले अन्तर कम नहीं किये जा सकते। इससे केवल इतना ही हो सकता है कि कुछ अच्छे मूल्य प्राप्त हो सकेंगे। अन्तर उसी समय दूर किया जा सकेगा जबकि एक ओर भारत में मैंगनीज अयस्क की उत्पादन लागत व परिवहन व्यय में कमी हो जाये तथा दूसरी ओर विश्व बाजार में मैंगनीज अयस्क के मूल्यों में चढ़ने की प्रवृति दिखाई देने लगे ।

यार्ड तथा टर्मिनल

384. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में सभी रेलवे स्टेशनों के यार्डों तथा टर्मिनलों में हेरफेर करने का है ;

(ख) यदि हां, तो होने वाले सुधारों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) विकास कार्यक्रम में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) योजना पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). यार्डों में हेरफेर और टर्मिनल सुविधाओं में सुधार कार्य रेलवे प्रणाली में निरन्तर होते रहते हैं जो यातायात की आवश्यकता पर निर्भर करते हैं। चालू योजना काल में इनके बारे में कई कार्य आरम्भ किए गए हैं। जैसे ही अतिरिक्त कार्य की बढ़ते हुए यातायात के लिए आवश्यकता होगी, उन स्टेशनों पर जहां सुधार किया जाना अथवा अतिरिक्त सुविधाओं की व्यवस्था करना आवश्यक होगा, अतिरिक्त कार्य किये जायेंगे ।

(ग) और (घ). रेलवे के विकास कार्यक्रम पर तीसरी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में लगभग 1642 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें से लगभग 90 करोड़ रुपये यार्डों का रूप बदलने के लिए वर्तमान उप-लाइनों को बढ़ाने, अतिरिक्त उप-लाइनों के बिछाये जाने, क्रासिंग स्टेशनों का उपबन्ध करने आदि पर खर्च किए जाएंगे, जो बढ़ते हुए यातायात के लिए आवश्यक होंगे।

केबल रेलवे

385. **श्री रामहरख यादव :**
श्री मुरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कुछ पश्चिमी देशों के समान ही देश में केबल रेलवे चालू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मुरादाबाद के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

386. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री राम हरख यादव :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 जनवरी, 1965 को उत्तर रेलवे में मुरादाबाद तथा नजीबाबाद के बीच चकराजमल स्टेशन पर एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि जान व माल की कोई हानि हुई है तो कितनी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). 21-1-1965 को जब गाड़ी संख्या 517 अप थ्रू गुड्स (डीज़ल) उत्तर रेलवे के मुरादाबाद-नजीबाबाद सेक्शन पर चकराजमल से गुजर रही थी, इसके 15 वैगन पटरी से उतर गये ।

(ग) कोई जन-हानि नहीं हुई । रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगभग 7670 रुपये लगाया गया है ।

बीकानेर डिवीजन में बिना चौकीदार के रेलवे फाटक

387. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के बीकानेर डिवीजन में बिना चौकीदार के ऐसे फाटकों की संख्या कितनी है जहां स्वचालित सूचना घंटियां[1] गिरने वाले फाटक तथा चमक मारने वाले संयंत्र[2] लगाये गये हैं ;

(ख) और कितने फाटकों को आगामी वर्ष में इस प्रकार सुसज्जित किया जायेगा ; और

(ग) जान व माल को बने रहने वाले खतरे को दूर करने के लिये इस डिवीजन में बिना चौकीदार के शेष फाटकों के बारे में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) कोई नहीं ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) बिना चौकीदार वाले कुछ लेवल क्रासिंगों पर स्वचालित सूचना घंटियां और चमक मारने वाले सिगनल लगा कर प्रयोग किए जा रहे हैं, इन प्रयोगों के पूरा होने पर बिना चौकीदार वाले अन्य लेवल क्रासिंगों पर इन यंत्रों को लगाने के बारे में विचार किया जाएगा ।

इतने समय में बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों पर दुर्घटनाओं में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सड़क पर चलने वालों को रुकने और सावधानी से क्रासिंग पार करने के लिए चेतावनी देने के लिए बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों पर 'स्टाप बोर्ड' लगाए गए हैं ।

(2) लेवल क्रासिंग पर पहुंचते समय चालक द्वारा लगातार सीटी बजाने के लिए 'सीटी बोर्ड' लगाए गए हैं ।

(3) इसके अतिरिक्त, बीकानेर डिवीजन में राज्य सरकार के परामर्श से 32 महत्वपूर्ण बिना चौकीदार वाले लेवल क्रासिंगों पर चौकीदार रखे जाने थे जिनमें से 27 पर चौकीदार रखे जा चुके हैं ।

मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियां

388. **श्रीमती रामदुलारी सिन्हा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि मुजफ्फरपुर-हाजीपुर लाइन पर मुजफ्फरपुर-नरकटिया-गंज लाइन की अपेक्षा अधिक यातायात रहता है ;

(ख) क्या यह सच है कि नरकटियागंज और मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियोंकी संख्या हाजीपुर तथा मुजफ्फरपुर के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों की संख्या से अधिक है ;

(ग) क्या मुजफ्फरपुर तथा हाजीपुर के बीच दिन के समय चलने वाली दो गाड़ियों के समय के बीच आवश्यकता से अधिक अन्तर है जिससे हाजीपुर के मुकदमेबाजों को असुविधा होती है ; और

[1]Warning Bells.

[2]Falling and Flashing Devices.

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री डा० (राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). मुजफ्फरपुर-हाजीपुर सेक्शन पर आठ यात्री गाड़ियां हैं जिनमें 4 तेज चलने वाली गाड़ियां हैं जब कि मुजफ्फरपुर-नरकटियागंज सेक्शन पर दोनों ओर से छः छः गाड़ियां चलती हैं ।

(ग) और (ख). मुजफ्फरपुर-हाजीपुर सेक्शन पर दो गाड़ियों के बीच अधिकतम समय की अवधि 'अप' की ओर 5 घंटे 5 मिनट और "डाउन" की ओर 4 घंटे 15 मिनट हैं तथापि इस से उन यात्रियों को कठिनाई नहीं होनी चाहिये जो सुबह के समय कचहरी जाते हैं और शाम को वापस लौटते हैं क्योंकि कचहरी जाने वाले यात्रियों के लिए इस सेक्शन पर हाजीपुर और मुज्जफरपुर , दोनों स्थानों पर उपयुक्त सेवाएं उपलब्ध हैं।

कोयले का उत्पादन

389. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
डा० उ० मिश्र :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री प्रभात कार :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 10,000 टन प्रति मास से ऊपर कोयला उत्पादन करने वाली कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ख) इन कोयला खानों के स्वामी समवायों के नाम क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें उन खानों के नाम दिए गए हैं जिनमें प्रतिमास 10,000 टन से अधिक कोयला निकलता है, उन कोयला खानों के स्वामी समवायों के नाम दिए गए हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3873/65 ।**

इस्पात कारखानों के कर्मचारी

390. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला की इस्पात परियोजनाओं में काम करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते की दर में कोई वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां । लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये केन्द्रीय मजूरी बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार, भिलाई, दुर्गापुर और रूरकेला के इस्पात संयंत्रों में 500 रुपये प्रति मास तक वेतन पाने वाले सभी कर्मचारियों को 15 रुपया

प्रति मास की अन्तरिम सहायता दी गई है जिस में से 10 रुपये 1-12-1962 से 5 रूपये 1-8-64 से दिए गए हैं। इस 15 रुपये प्रति मास की रकम को 1-7-1964 से अतिरिक्त महंगाई भत्ता माना गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कोककर कोयले का उत्पादन

391. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री प्रभात कार :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोकिंग कोयला उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करने के प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) इस समय कोकिंग कोयला उत्पादन का राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खतरे की जंजीरें

392. **श्री राम हरख यादव :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर नई दिल्ली और मेरठ के बीच चलने वाली शटल रेलगाड़ियों से हाल ही में खतरे की जंजीर के यंत्र हटा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) खतरे की जंजीरों के पुनः स्थापन की कब सम्भावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 1 एन-एम० और 2 एन-एम० नई दिल्ली-मेरठ शहर यात्री गाड़ी के अनधिकृत रूप से खतरे की जंजीर खींचे जाने की अधिक घटनाओं के कारण इन गाड़ियों में 21-1-1965 से खतरे की जंजीरें हटा दी गयी हैं ।

(ग) इन गाड़ियों में खतरे की जंजीरें फिर से लगाने पर मार्च, 1965 के मध्य में विचार किया जाएगा ।

सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट निचला पुल

393. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट एक निचला पुल बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में समस्त औपचारिक कार्यवाहियों के कब तक पूर्ण होने की संभावना है और निर्माण कार्य कब चालू हो जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली प्रशासन इस योजना पर विचार कर रहा है । जैसे ही वे निर्माण-कार्य की लागत का अपना अंश जमा करा देंगे, निर्माण-कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

विशेष रेलवे पास और पी० टी० ओ०

394. श्री रामनाथन चेट्टियार : क्या **रेलवे** मंत्री निशुल्क व विशेष रेलवे पास और पी० टी० ओ० के बारे में 3 अक्तूबर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1747 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न सरकारी विभागों और अर्द्ध सरकारी निकायों तथा सरकारी उपक्रमों में प्रति-नियुक्त रेलवे अधिकारियों के मामलों में ऐसे पास और पी० टी० ओ० का मूल्य वसूल किया जाता है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के विभागों और उपक्रमों में प्रति-नियुक्ति के दौरान ऐसे सभी अधिकारियों को 260 रु० से 300 रु० तक प्रति मास विशेष वेतन मिलता है ; और

(घ) यदि हां, तो इनको यह अतिरिक्त रियायत देने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं । कुछ अधिकारियों के अतिरिक्त जिन्हें प्रति-नियुक्ति कर्मचारियों के लिए निर्धारित स्तर से अधिक पासों की अनुमति, है, अतिरिक्त पासों की कीमत अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर रखने वाले नियोजक से वसूल की जाती है ।

(ख) क्योंकि प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को इन पासों की सुविधा उनकी रेलवे में सेवा के आधार पर दी जाती है ।

(ग) यह उनकी इच्छा पर है कि वे नये पद का वेतन-स्तर स्वीकार करें या अपने मूल कार्यालय में प्राप्त मूलवेतन और 20 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता स्वीकार करें लेकिन यह प्रतिनियुक्ति भत्ता 300 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिये और मूल कार्यालय में कुल वेतन और भत्ता मिला कर प्रतिनियुक्ति पद के वेतन-स्तर की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होना चाहिये ।

(घ) यह इसलिए आवश्यक समझा गया है कि उन्हें नये प्रशासन में और नये वातावरण में नये पद पर काम करने के लिए उचित प्रोत्साहन मिल सके ।

हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, भोपाल

395. श्री प्र० चं० बरुआ । क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी-इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड भोपाल को 1963-64 में घाटा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना घाटा रहा है ; और

(ग) किन-किन परिस्थितियों के कारण यह घाटा हुआ ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां

(ख) 5,68,75,288 रुपये ।

(ग) किसी परियोजना के आरम्भ के वर्षों में इतनी हानि होती है और वास्तव में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में लगभग इतने घाटे की प्रत्याशा भी थी ।

Smuggling of Mica to China

396. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya:**
Shri Onkar Lal Berwa:

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) whether Government have received reports of Mica being smuggled to China *via* Pakistan; and

(b) if so, the action taken to put a stop to this?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah): (a) No specific case of Mica being smuggled to China *via* Pakistan has been received.

(b) Does not arise.

Manufacture of Vespa and Lambretta Scooters

397. **Shri M. L. Dwivedi:**
Shri S. C. Samanta:

Will the Minister of **Industry and Supply** be pleased to state:

(a) the amount of foreign exchange given to the manufacturers of Vespa and Lambretta Scooters since the establishment of their factories, yearwise;

(b) the assurances given by these scooter manufacturers in regard to the percentage of indigenous production of spare parts and whether that target has been achieved;

(c) whether there are some manufacturers of small scooters and auto-cycles who have achieved the targets of manufacturing indigenous spare parts and if so, the names of those manufacturers; and

(d) the reasons for not suspending the grant of this facility to those manufacturers who did not fulfil the target of manufacturing indigenous spare parts within the prescribed time-limit?

The Deputy Minister in the Ministry of Industry and Supply (Shri Bibudhendra Misra): (a) The amount of foreign exchange

given to the manufacturers of Lambretta and Vespa Scooters since the year 1958-59 is as under:—

Year	Lambretta Components for mfr. of scooters and Auto-rickshaws	Spares	Vespa Components for mfr. of scooters and Auto-rickshaws	Spares
		(Rupees in lakhs)		
1958–59	52.76	7.25	..	
1959–60	76.93	6.80	34.00	
1960–61	88.00	7.40	39.00	..
1961–62	44.00	10.00	49.50	2.75
1962–63	63.17	3.25	44.87	1.25
1963–64	62.50	7.44 +7.70 (Barter)	37.60	6.00 +3.00 (Barter)
1964–65	50.50	10.00	46.90	10.00

(The informa'ion in respect of the years 1956-57 and 1957-58 in the case of Lambretta Scooters is not readily available. Manufacture of Vespa Scooters commenced in 1959-60).

(b) The phased manufacturing programme approved for Lambretta and Vespa Scooters was as under:—

Years	*Indigenous content*
(i) *Lambretta Scooters*	
1958-59	19·88%
1959-60	19·88%
1960-61	48·60%
1961-62	55·43%
1962-63	65·35%
(ii) *Vespa Scooters*	
1959-60	12%
1960-61	37%
1961-62.	55%
1962-63	75%

As against the above approved programmes, Messrs. Automobiles Products of India, the manufacturer of Lambretta scooters, had achieved an indigenous content of 68.85% by 1962-63. The indigenous content achieved by them by the end of 1964 was 83%.

In the case of M/s. Bajaj Auto Ltd., the manufacturer of Vespa Scooters, they could achieve an indigenous content of 57% only by 1962-63. The reason for not achieving a higher indigenous content as per the approved programme was that there was some delay in their obtaining the capital goods licences. This was beyond their control. It may be added that they achieved an indigenous content of 75% at the end of 1964.

(c) No.

(d) The question of suspending foreign exchange allocations to either manufacturer does not arise in view of what is stated in (b) above.

दिल्ली-रोहतक शटल

398. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 11 दिसम्बर, 1964 को छः रेलगाडियां तीन घंटे तक दिल्ली किशनगंज स्टेशन पर उस समय रुकी रही जब कि सैकड़ों यात्रियों ने दिल्ली-रोहतक शटल के प्रतिदिन देर से चलने का विरोध किया ;

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं या उठाने का विचार है, ताकि अन्य रेलगाड़ियों के चलने में विलम्ब न हो ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) 11-12-64 को 1 डी० आर० अप दिल्ली-रोहतक शटल 17.57 बजे अपने निश्चित समय 17.55 बजे से 2 मिनिट देर से दिल्ली-किशनगंज स्टेशन पर पहुंची। इसको वहां 27 मिनट तक रोका गया ताकि 344 डाउन हिन्दुमलकोट-दिल्ली पैसेंजर, जो कि 33 मिनट लेट थी, गुजर सके क्योंकि इसके और लेट होने से 371 अप दिल्ली-हरिद्वार पैसेंजर के चलने में देर होती क्योंकि यह गाड़ी 344 डाउन के रास्ते पर चलती है। इसको रोके जाने के विरोध में यात्रियों ने 1 डी० आर० अप शटल गाड़ी को इंजन के सामने पटरी पर बैठ, कर, खतरे की जंजीर खींच कर और शुरू से तीसरे लगेज और ब्रेक वैन को और दो अन्य डिब्बों को साथ के डिब्बों से अलग करके रोके रखा।

पुलिस और असैनिक अधिकारियों के हस्तक्षेप करने पर, जिनको स्थिति की सूचना दी गई, लाइन 21.20 बजे साफ की गई और यह गाड़ी 21.25 बजे चल सकी।

इसको रोके जाने के फलस्वरूप 1 डी० आर० अप शटल कुल 3 घंटे 27 मिनट रुकी रही। इसके फलस्वरूप पांच और गाड़ियां रुकी रही जो 18 मिनट से लेकर 4 घंटे 45 मिनट तक रुकी रहीं।

1 डी० आर० अप शटल गाड़ी संतोषजनक रूप से समय पर चलती है। मई, 1964 से लेकर फरवरी, 1965 (10 फरवरी, 1965) तक इस गाड़ी की समय पर पहुंचने की प्रतिशतता 87.4 रही। हालांकि क्रासिंग, अन्य बातों आदि के कारण विलम्ब को रोकने के लिए सभी प्रयत्न किए जाते हैं। अचानक होने वाली संचालन सम्बन्धी बातों से होने वाले विलम्ब को नहीं रोका जा सकता है। जहां तक विद्यार्थियों द्वारा खतरे की जंजीर खींचे-जाने और अन्य तरीके से गाड़ियों को रोके जाने का सवाल है, इस मामले पर, इन घटनाओं को रोकने के लिए, समय-समय पर असैनिक अधिकारियों के साथ बातचीत की जाती है।

बांदा-कानपुर गाड़ियां

399. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर और दिसम्बर, 1964 में बांदा-कानपुर अप और डाउन गाड़ियां, 50 प्रतिशत विलम्ब से पहुंचती रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) नवम्बर और दिसम्बर, 1964 में बांदा और कानपुर के बीच चलने वाली पैसेंजर गाड़ियों का समय, 112 अप लखनऊ-बांदा पैसेंजर गाड़ी को छोड़ कर, सामान्यतः सन्तोषजनक रहा। यह बात निम्नलिखित विवरण से स्पष्ट हो जायेगी :—

गाड़ी	पहुंचने का स्थान	ठीक समय पहुचने की प्रतिशतता	
		नवम्बर, 1964	दिसम्बर, 1964
नं० 111 डाउन बांदा-लखनऊ पैसेंजर	कानपुर	86·7	80.6
नं० 527 डाउन बांदा-कानपुर पैसेंजर	कानपुर	86.7	90.3
नं० 112 अप लखनऊ-बांदा पैसेंजर	बांदा	46.7	35.5
नं० 528 अप कानपुर-बांदा पैसेंजर	बांदा	100	93.5

नं० 112 अप ठीक समय पर इसलिए नहीं चली क्योंकि खतरे की जंजीर बहुत खैंची गयी थी। इस सेक्शन पर इस तथा अन्य गाड़ियों के देर से चलने का कारण, गाड़ियां मेल कराने में गड़बड़ी और पारसलों के लादने और उतारने में अधिक समय लगना है, परन्तु बांदा-कानपुर सेक्शन पर गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

कलकत्ता स्थित लोहा और इस्पात के मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में फालतू कर्मचारी

400. **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहा और इस्पात के मुख्य नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय के जिन कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया था क्या उन सबको समान या अन्यतर नौकरी दे दी गई

(ख) यदि नहीं, तो अभी रोजगार में लगाने के लिए कितने कर्मचारी शेष हैं; और

(ग) क्या सेवा की अविरामता बनाये रखी गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) तथा (ख) जैसा कि लोक सभा में 27 नवम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में बताया जा चुका है, लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में कितने कर्मचारी होने चाहिये इस पर अभी सरकार विचार कर रही है। इसके दौरान 72 व्यक्तियों को फालतू घोषित किया गया है। उन सभी को वैसे ही पदों पर नियुक्त कर दिया गया है जैसे पद पर वह काम कर रहे थे।

(ग) जी हां।

रेलगाड़ियों में जंजीर खींचने की घटनायें

401. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 8 जनवरी, 1965 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक पत्र की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह शिकायत की गई थी कि जी० टी० एक्सप्रैस गाड़ी में, जो 2 जनवरी, 1965 को मथुरा पहुंची थी प्रथम श्रेणी में मद्रास से यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ने मथुरा में गाड़ी रोकने के लिये चार बार जंजीर खींची ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की कोई जांच की गई है; और

(ग) उस व्यक्ति और गाड़ी के संचालक (कंडक्टर) के विरुद्ध जिसने उस पर विरुद्ध मुकद्दमा चलाने से इन्कार किया, क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) तथा (ख) जी हां।

(ग) उचित कार्यवाही विचाराधीन है।

उद्योगों का विकेन्द्रीकरण

402. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सभापति द्वारा 28 दिसम्बर, 1964 को दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें उन्होंने कुछ क्षेत्रों में उद्योगों के अधिक होने का मुख्य कारण यह बताया था कि देश के सभी भागों में बिजली, पानी, परिवहन, क्रय-विक्रय की सुविधा जैसी मूल आवश्यकतायें एकसी नहीं हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस प्रवृत्ति को विकेन्द्रित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के सभापति लघु उद्योग क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में भाषण दे रहे थे कि मुख्य नगरों में उद्योगों की स्थापना की प्रवृत्ति वहां पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं के कारण है। यद्यपि बिजली, पानी, परिवहन आदि ऐसी मूलभूत आवश्यकतायें हैं जिनका पंचवर्षीय योजना बनाते समय ध्यान रखा जाता है, फिर भी लघु उद्योगों में लगे हुए उन उद्योगपतियों को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार किया जाता है जो उन मुख्य नगरों और क्षेत्रों के अतिरिक्त, जहां ऐसे एकक पहले ही हैं अन्य स्थानों पर लघु उद्योग स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे प्रोत्साहन इस प्रकार हैं : ब्याज की दरों में रियायत और किराया खरीद के आधार पर मशीनरी सप्लाई करने में अधिक अवधि के ऋण लौटाने की व्यवस्था आदि ।

निर्यात

403. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय व्यापारियों को ऐसी सलाह दी है कि वे पूर्वी एशिया के बहुत से देशों में भारतीय माल के अधिक उपयोग होने का लाभ उठा कर निर्यात बढ़ायें और परम्परागत वस्तुओं पर ही निर्भर न रह कर अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन करें; और

(ख) यदि हां, तो व्यापारियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी ह ।

(ख) निर्यात 1962-63 में 10386 लाख रुपये से बढ़ कर 1963-64 में 13473 लाख रुपये हो गये हैं। निर्यात में वृद्धि की प्रवृति को चालू रखा जा रहा है।

सूती वस्त्र

404. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सूती वस्त्र निर्माताओं के 7800 प्रतिरूप हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह इतनी बड़ी संख्या सूती वस्त्र, उद्योग के वैज्ञानिक विकास में बाधक है; और

(ग) संख्या कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री से० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग) यह सच है कि देश में हजारों किस्म का कपड़ा बनता है परन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि सूती वस्त्र की इतनी अधिक किस्में होने के कारण इस उद्योग का वैज्ञानिक विकास नहीं हो रहा है। वस्त्र मिलों में लगने वाली रूई विभिन्न प्रकार की ऐसी होती है जिससे विभिन्न प्रकार के काउन्ट का सूत बन सके और उपभोक्ता भी कई किस्म के कपड़े की मांग करते हैं। इसलिये कुछ हद तक कपड़ा मिलों में निर्मित कपड़े विभिन्न किस्मों के होने ज़रूरी हैं। परन्तु धोतियों और साड़ियों की किस्मों को कम करने के लिए पहला कदम उठाया जा चुका है। मिलों को इस प्रकार के कपड़े कुछ विशिष्ट विवरणों के अनुसार बनाने होते हैं। ये विवरण वस्त्र आयुक्त मिलों को बताता है।

कपास का निर्यात

405. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कपास और ऊनी वस्त्रों के निर्यात के लिए राज्य व्यापार निगम द्वारा हाल ही में वी/ओ० एक्सपोर्टलजन मास्को के साथ किये गये ठेके कैसे पूरे किये जायेंगे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हाल ही में राज्य व्यापार निगम तथा वी०/ओ० एक्सपोर्टलजन, मास्को के साथ हुए सूती और ऊनी कपड़े के निर्यात के ठेके राज्य व्यापार निगम भारतीय मिलों और निर्यातकर्त्ताओं से कपड़ा लेकर पूरा करेगा। कपड़े की वही किस्म निर्यात की जायेगी जिसको सभी व्यापार संगठनों ने स्वीकार कर लिया है तथा जिन किस्मों के आधार पर ठेकों की बातचीत हुई है।

रेशम का उत्पादन

406. **महाराजकुमार विजय आनन्द** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेशम अनुसंधान संस्था द्वारा हाल में खोजे गये "मैसूर प्रिन्सेस" नामक रेशम का कितना उत्पादन होता है; और

(ख) इस कच्चे रेशम से बने कपड़े के निर्यात के फलस्वरूप कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : "मैसूर प्रिन्सेस" नामक रेशम की नई किस्म के बारे में अभी अनुसंधान हो रहा है और इसके क्रय-विक्रय से होने वाली लाभ-हानि की सम्भावनाओं के परीक्षण हो रहे हैं। इतनी जल्दी यह नहीं बताया जा सकता कि रेशम के उत्पादन अथवा इसके निर्यात से प्राप्त होने वाली विदेशी मुद्रा कितनी होगी।

"लेको" ईंधन

407. श्री बड़े :
श्री विश्राम प्रसाद :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवेली लिगनाइट निगम ने "लेको" नामक नये ईंधन का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां तो इस का वार्षिक उत्पादन कितना होगा और उससे कितनी आय होगी; और

(ग) "लेको" का घरेलू ईंधन के रूप में प्रयोग करने से कोयले की कितनी बचत होगी ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) से (ग) जी हां। नेवेली लिग-नाइट निगम ने 3,80,000 टन प्रति वर्ष पिसे हुए भूरे रंग के कोयले की इंटे के बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया है। आशा है कि इस संयंत्र में 1965 के अन्त में या 1966 के आरम्भ में पूरा उत्पादन आरम्भ होने लगेगा। इस वस्तु का वाणिज्यिक नाम "लेको" है ।

खनिज कोयले में अधिक बचत की सम्भावना नहीं है । यह आशा है कि "लेको" चारकोल और जलाने की लकड़ी जैसे अन्य प्रकार के ईंधनों का स्थान ले सकेगी । इस वस्तु के लिए मांग होने पर ही इस बात का पता लग सकेगा कि इससे इन ईंधनों में कितनी बचत होगी और इससे कितनी वार्षिक आय होगी।

मध्य प्रदेश में नई रलवे लाइनें

408. श्री बड़े :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में वे कौन कौन सी नई रेलवे लाइन हैं जिनको चौथी पंच वर्षीय योजना में प्राथमिकता दी जायेगी ;

(ख) इन नई लाइनों पर कितना व्यय होने का अनुमान है; और

(ग) प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने क्या सिद्धांत बनाया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में नई रेलवे लाइनों के निर्माण के प्रस्तावों पर योजना आयोग तथा अन्य सम्बद्ध मंत्रालयों के परामर्श से अन्तिम निर्णय अभी नहीं हुआ है । इसलिये यह अभी नहीं कहा जा सकता कि चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में कौन-कौन सी नई लाइनों का निर्माण होगा ?

(ग) रेलवे राज्यवार आधार पर नहीं बढ़ाई जा सकती बल्कि योजना में की गई वित्तीय व्यवस्थाओं के अनुसार विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं की आवश्यकताओं, पत्तनों

की सुविधाओं के विस्तार, खनिज तथा प्राकृतिक संसाधनों से लाभ उठाने और उसका उपयोग करने, सैनिक दृष्टि और रेलवे के संचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसकी लाभ, हानि देख कर रेलवे लाइन बिछाई जाती है।

इस्पात कारखानों के कर्मचारी

409. **श्री मुहम्मद इलियास** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला के सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में से प्रत्येक में निम्नांकित श्रेणियों में कितने कर्मचारी काम करते हैं और वे वर्नपुर तथा जमशेदपुर के गैर-सरकारी इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है या कम है :

(एक) उच्च प्रबन्ध कर्मचारी ;

(दो) मध्यम श्रेणी के प्रबन्ध कर्मचारी ;

(तीन) निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षक कर्मचारी ;

(चार) कार्यालय कर्मचारी ;

(पांच) कुशल तथा अकुशल कर्मजारी ;

(छः) पर्यवेक्षक तथा अन्य श्रेणी के टाउनशिप कर्मचारी ;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक इस्पात कारखानों को कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था की गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विद्यमान व्यवस्था से तुलना करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है, ताकि पता लगाया जा सके कि सरकारी क्षेत्र के किसी विशिष्ट कारखाने में सभी स्तरों पर आवश्यकता से अधिक कर्मचारी और उन के ऊपर काफी अधिक उच्च प्रशासनीय अधिकारी तो नहीं हैं, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला स्थित इस्पात कारखानों में अलाभप्रदता का अधिकतर कारण यह है कि वहां कर्मचारी अधिक संख्या में हैं और उन पर आवश्यकता से अधिक उच्च प्रशासनाधिकारी हैं तथा ये कारखाने निर्धारित क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क)

	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखाने			टाटा आयरन एड स्टील कम्पनी	इण्डियन आयरन
	दुर्गापुर	भिलाई	रूरकेला		
(1) उच्च तथा मध्य वर्ग के प्रबन्धक कर्मचारियों सहित प्रबंधक कर्मचारी	158	170	186	220	481

	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के कारखाने			टाटा आयरन इण्डियन एंड स्टील आयरन कम्पनी	
	दुर्गापुर	भिलाई	रूरकेला		
(2) कारखानों के अधीक्षिक कर्मचारी	613	534	562	1257	1476
(3) कार्यालय कर्मचारी	3226	2964	1838	1843	898
(4) प्रवीण और अप्रवीण श्रमिक (कारखानों में)	12976	17115	13321	25392	12894
(5) अधीक्षिक तथा अन्य वर्गीय बस्तियों के कर्मचारी	3191	3767	2986	4265	1379

(ख) सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में कितने कर्मचारियों की आवश्यकतायें होंगी इसका अनुमान लगाते समय गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों के कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) जी नहीं।

Bridge over the Gandak River

410. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. N. Tiwary:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether a proposal for constructing a bridge over Gandak river on Dumeria Ghat in Champaran District of Bihar is under consideration;

(b) if so, whether it will be a rail-cum-road bridge;

(c) if so, when it will be completed; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a), (b) and (c). There is no proposal for a rail-*cum*-road bridge over Gandak river on Dumeria Ghat, but it is understood that the State Government is having a proposal for a road bridge.

(d) At present there is no railway line at the site. The question of rail-*cum*-road bridge does not, therefore, arise. A survey was conducted in 1951 for connecting Chakia—Sidhwalia (including a rail bridge). The proposal was, however, dropped as the same was not found financially justified.

अनधिकृत बिजली के करघे

411. श्री सोलंकी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री मि. सू. मूर्ति :
डा. राम मनोहर लोहिया :
श्री किशन पटनायक :
श्री मधु लिमये :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय मिलों के बाहर (राज्यवार) कितने बिजली वाले करघे अधिकृत तथा अनधिकृत रूप से काम कर रहे हैं और अनधिकृत करघों को स्थापित करने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): एक विवरण संलग्न है [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--3874/65 ।**]

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम

412. श्री हेम बरुआ :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस प्रेस समाचार की ओर दिलाया गया है कि "विश्वस्त रूप से पता चला है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की लेखा सम्बन्धी कुछ गंभीर त्रुटियों के बारे में भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणी के कारण निगम के प्रबन्धाधिकारियों को कम मुनाफा दिखाने के लिये अपने वार्षिक प्रतिवेदन में उस समय परिवर्तन करना पड़ा जब कि प्रतिवेदन आधा छप चका था", और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) और (ख) उक्त समाचार जहाँ तक गंभीर लेखा त्रुटियों का सम्बन्ध है सच नहीं है । सच यह है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लेखों की जांच करके नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुसार निगम द्वारा आय की जिस मद पर लाभ उठाया गया हो उसे आय न दिखाया जाए । तदनुसार निगम के प्रबन्धाधिकारियों ने इन टिप्पणियों का ध्यान रख कर लाभ का अंश उस धन राशि से घटा दिया और यह संशोधित लेखे प्रबन्धाधिकारियों द्वारा अनुमोदित होकर वार्षिक प्रतिवेदन में छाप दिये गए । जानबूझ कर लाभ कम नहीं किया गया परन्तु लेखे को ठीक ठाक करना उपरि लिखित कारणों से आवश्यक हो गया था ।

भारतीय रेलवे में मेकेनिकल इंजीनियर

413. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे के सबसे वरिष्ट मेकेनिकल इंजीनियरों में से एक मेकेनिकल इंजीनियर ने, जिसने "सूरी पारेषण प्रणाली" का आविष्कार किया, रेल की सेवा छोड़ दी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं । यह अधिकारी तीन वर्ष की अवधि के लिये सामान्य प्रतिनियुक्ति शर्तों पर रेलवे बोर्ड द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् में सेवा के लिये भेजा गया है ।

कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात

414. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1963–64 तथा 1964–65 में विभिन्न देशों से कपड़ा बनाने की मशीनों का आयात किया था ; और

(ख) यदि हां, तो किन देशों से और किन शर्तों पर इनका आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 3875/65]** ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारियों को स्थायी करना

415. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के तृतीय और चौथी श्रेणी के कितने कर्मचारियों को 1 जनवरी, 1965 तक स्थायी नहीं किया गया था ; और

(ख) इन में से अनुसूचित जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 22,580 ।

(ख) 4,660 ।

दिल्ली में रिंग रेलवे

416. श्री दलजीत सिंह :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री जगदेव सिंह सिद्धान्ती :

श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **रेलवे** मंत्री 11 सितम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 358 के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के चारों ओर रिंग रेलवे बनाने की योजना को कार्यान्वित करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : स्वीकृत परियोजना का नाम "दिल्ली से हट कर मार्ग तथा सम्बद्ध यातायात सुविधायें" इस में दिल्ली-मथुरा लाइन को निजामुद्दीन-सफदरजंग लाइन से जोड़ना, इस लाइन को सफदरजंग रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ा कर दिल्ली-भटिण्डा लाइन से जोड़ना तथा दिल्ली भटिण्डा लाइन को दिल्ली-अम्बाला लाइन को रेल मार्ग से जोड़ना **है** ।

सभी जमीन पर जो इस परियोजना के लिये पर्याप्त है कब्जा कर लिया गया है तथा सभी खण्डों में कार्य में प्रगति हो रही है । अब तक कुल मिला कर 34 प्रतिशत प्रगति हुई है ।

कागज का निर्माण

417. श्री हेडा :
श्री विभूति मिश्र :
श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री 18 दिसम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 569 के उत्तर के सम्बंध के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खोई का किस हद तक कागज के निर्माण के लिये प्रयोग किया जा सका है ; और

(ख) आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद जिले के शक्करनगर में प्रस्तावित कारखाना स्थापित करने का कार्य किस अवस्था में है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) कागज बनाने के लिये वर्तमान में लगभग एक लाख टन खोई का प्रयोग हो रहा है ।

(ख) इस योजना के लिये संयंत्र तथा मशीनों के आयात के लिए तथा विदेशी सहयोग के लिए ठोस प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

गुडूर के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

418. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री द० ब० राजू :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 जनवरी, 1965 को गुडुर से आगे मद्रास-हावड़ा डाक गाड़ी

के पांच डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां तो इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या दुर्घटना के कारणों की जांच की गई है ; यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) और (ख). 13-1-65 को गाड़ी सं० 4 डाउन मद्रास हावड़ा मेल ट्रेन जो मनुबोलू तथा कमालपुडी स्टेशनों के बीच जा रही थी जो दक्षिण रेलवे के गुडुर बिज़ागुंटा सेक्शन पर है, पीछे के 5 डिब्बे पटरी से उतर गए तथा उलट गए जिससे 9 यात्रियों को मामूली चोटें आईं ।

(ग) अधिकारियों की एक समिति ने इस दुर्घटना की जांच की । इस समिति के अनुसार दुर्घटना का कारण रेलवे मार्ग का फेल हो जाना था ।

Siliguri-Jogighopa Railway Line

419. **Shri Madhu Limaye:**
Shri P. C. Borooah:
Shri Hem Barua:
Shrimati Renuka Barkataki:

Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether an assurance was given to the people of Assam to extend the Siliguri-Jogighopa broad gauge railway line upto Gauhati;

(b) if so, the financial implication of the project; and

(c) when a final decision will be taken in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath): (a) No.

(b) and (c). The additional traffic from the broad gauge line under construction is expected to move beyond Bongaigaon/Jogighopa partly by the existing metre gauge line, partly by road and the rest by the riverine route from Jogighopa. The Ministry of Transport has planned for augmentation of the road as well as river transport capacity beyond Bongaigaon and Jogighopa, including construction of an inland river port at the latter place. The capacity of the existing metre gauge railway between Bongaigaon and Gauhati is being augmented by adopting Centralised Traffic Control. The facilities thus developed are expected to adequately take care of the transport needs of the State for at least seven to eight years, if not more. The question of considering extension of the broad gauge line, beyond Bongaigaon upto Gauhati, will thus arise only after sufficient traffic development has taken place to absorb the substantially extra capacity being created now, and a growth rate established, which requires further enhancement of transport facilities.

यार्डों और टर्मिनलों का नवीकरण करना

420. **श्री राम हरख यादव :**
श्री मरली मनोहर :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली क्षेत्र में यार्ड और टर्मिनलों का नवीकरण करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) इनमें किये जाने वाले परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) से (घ) दिल्ली में बढ़े हुए माल तथा यात्री यातायात को कुशलतापूर्वक चलाने के लिये गत कई वर्षों में यार्ड तथा चुंगी सुविधायें बढ़ाने के कई उपाय किये गए हैं। ऐसे कार्य जिन पर इस समय कार्य हो रहा है तथा आने वाले वर्ष में जिन पर कार्य किया जाना है और इन पर होने वाला अनुमानित व्यय संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 3876/65]

चण्डीगढ़ रेलवे स्टेशन

421. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री चुनीलाल :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे मंत्रालय उत्तर रेलवे के चंडीगढ़ स्टेशन पर स्टेशन तथा यार्ड संबंधी अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये एक वृहत योजना तैयार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा०राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). जी हां। चण्डीगढ़ में एक नए स्टेशन की इमारत बनाने की एक योजना बनायी जा रही है जहां यात्री तथा पार्सल यातायात की उचित सुविधायें उपलब्ध होंगी। नए स्टेशन की इमारत में निम्नलिखित सुविधाओं का प्रस्ताव है :

(1) एक टिकट घर।

(2) दो गोदामों सहित एक पार्सल कार्यालय-एक अन्दर तथा एक बाहर।

(3) एक कमरा, नगर बुकिंग एजेंसी के लिये।

(4) स्टेशन मास्टर का कमरा तथा स्टोर।

(5) टिकट कलेक्टरों का कमरा।

(6) सहायक स्टेशन मास्टर का कमरा तथा तार-घर

(7) ऊंचे दर्जे के यात्रियों के लिये दो विश्राम कक्ष (एक पुरुषों के लिये दूसरा महिलाओं के लिये) ;

(8) आर० टी० ओ० के लिये कुछ स्थान ;

(9) एक यात्री प्लेटफार्म सुरक्षा स्थान ; तथा

(10) रेलवे डाक सेवा के लिये एक कमरा ।

ऊपर लिखी सुविधाओं के अतिरिक्त चण्डीगढ़ में एक औद्योगिक "साइडिंग" के उपबन्ध की भी व्यवस्था की जाएगी । इस समय और कोई परिवर्तन करने की योजना नहीं है ।

इंजीनियरी सामान का निर्माण

422. श्री यशपाल सिंह : क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेरठ और गाजियाबाद में महत्वपूर्ण इंजीनियरी सामान का निर्माण करने वाले ढलाई घरों को शीरा और अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) क्या इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन मिला है ;

(ग) क्या इन उद्योगों को उचित आधार पर कच्चे लोहे का संभरण नहीं किया जाता है; और

(घ) इस संकट को दूर करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बिभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्र सरकार को अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि के बारे में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । यू० पी० सरकार को भी शीरा न मिलने तथा उस के बड़े मूल्यों के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ लगता है ।

(ग) जी नहीं, यू० पी० से उद्योगों के निदेशक तथा तकनीकी विकास के महानिदेशालय को कुल मिला कर अकेले एकक के लिये कच्चे लोहे की उपलब्धि तथा वास्तविक निर्धारण/अधिकार के लिये वार्षिक सीमाएं अधिकतम मात्रा निर्धारित कर दी जाती ह । उनकी अनुमानित क्षमताओं के आधार पर मात्रा निर्धारित की जाती है ।

(घ) **शीरा**: यू०पी० में शीरे का वितरण तथा मूल्यांकन यू०पी० शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1947 के अधीन नियंत्रित किया जाता है । उद्योगों के निदेशक ने ढलाई करने वालों को शीरे की मात्रा का निर्धारण उन के कच्चे लोहे की अधिकृत मात्रा के आधार पर करने की सिफारिश शीरा नियंत्रक को पहले ही कर दी है । ढलाई करने वाले कारखाने भविष्य के अनुमान बना रहे हैं और जैसे ही यह कार्य पूरा हो जाएगा नियमित निर्धारण कर दिया जाएगा ।

कच्चा लोहा : जहां तक बड़े पैमाने के ढलाई करने वाले कारखानों के लिये कच्चे लोहे के संभरण का सम्बन्ध है, उन के लिये काफी मात्रा में लोहा निश्चित किया जा रहा है ।

छोटे पैमाने के ढलाई करने वाले कारखानों को कच्चे लोहे की काफी मात्रा में निश्चित करने के लिये राज्य सरकार नये सिरे से अनुमान लगा रही है जिसके आधार पर कच्चे लोहे की मात्रा निश्चित करने में फेर बदल किया जाएगा । कच्चे लोहे के अतिरिक्त राज्य सरकार ने अन्य प्रकार के कच्चे लोहे की भी कुछ व्यवस्था की गई है, और वह प्रयास कर रही है कि इस प्रकार के कच्चे लोहे की और अधिक मात्रा उपलब्ध हो सके। ऐसे ढलाई करने वाले कारखानों के लिये विदेशी कच्चा लोहा उपलब्ध करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं।

अलौह धातुयें : देश में अलौह धातुओं के मूल्यों में वृद्धि का कारण, विश्व मण्डी में ऐसी ही वृद्धि है । बहुत सी अलौह धातुएं विदेश से आयात की जाती हैं तथा विश्व मण्डी में चल रही प्रवृतियों पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है । तांबे तथा जस्त का आयात बड़ी मात्रा में किया जाता है जिसका आन्तरिक मूल्य विनियमित है और आयात करने वालों को वस्तुओं के भारत पहुंचने पर मूल्य से केवल $3\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक मूल्य पर ही वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा खरीदना होता है जिन्हें यह माल निर्धारित किया जाता है ।

बेल्लारी और गोवा में लौह अयस्क

423. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेल्लारी जिले में तथा गोवा में (पृथक्-पृथक्) इस समय कितने लौह तथा मैंगनीज़ अयस्क के निक्षेप होने का अनुमान है ;

(ख) 1962–63 और 1963–64 में प्रतिवर्ष निर्यात के लिये कितनी मात्रा में लौह तथा मैंगनीज़ अयस्क निकाला गया ; और

(ग) उस क्षेत्र में खान उद्योग का यंत्रीकरण करने के परिणामस्वरूप लौह अयस्क की मात्रा में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क)

लोह-अयस्क :

बेलारी जिला : निक्षेपों के बारे में विभिन्न अनुमान लगाये गये हैं—1320 लाख मीट्रिक टन से 10,000 लाख मीट्रिक टन तक । भारतीय खान विभाग क्षेत्र की विस्तृत जांच कर रहा है और जांच के कार्य के पूरा होने के बाद ही निक्षेपों का सही अनुमान लग सकेगा ।

गोआ : निक्षेपों का अनुमान लगभग 5,000 लाख मीट्रिक टन लगाया जाता है। भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग क्षेत्र का व्यवस्थित मान चित्रण कर रहा है निक्षेपों का सही अनुमान केवल तब ही लगेगा जब भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग का काम पूरा हो जायेगा ।

मैंगनीज अयस्क :

बेलारी जिला : निक्षेपों के विभिन्न अनुमान हैं —18.2 लाख मीट्रिक टन से 50 लाख मीट्रिक टन तक ।

गोआ : निक्षेपों का अनुमान 101.6 लाख मीट्रिक टन लगाया

(ख) निर्यात इस प्रकार था :—

(10 लाख मीट्रिक टनों में)

	लोह अयस्क		मैंगनीज अयस्क	
	बेल्लारी जिला	गोआ	बेलारी जिला	गोआ
1962–63	1.65	5.33	0.101	0.084
1963–64 .	1.69	5.65	0.092	0.134

(ग) बेलारी ज़िला में अधिकांश उत्पादन प्लवी अयस्क निक्षेपों से किया जाता है जिन पर मज़दूर काम करते हैं। क्षेत्र में यंत्रीकृत खानें स्थापित करने के प्रश्न पर भारतीय खान विभाग के जांच के परिणामों के पता लगने के पश्चात् विचार किया जायेगा । उत्पादन की मात्रा निक्षेपों के आकार पर निर्भर करेगा । जहां तक गोआ का संबंध है कुछ खानों का यंत्रीकरण कर दिया गया है ।

मैंगनीज़ खानों के यंत्रीकरण की कोई योजना नहीं है ; निर्यात प्रयोजनों के लिये इस खनिज की मांग को वर्तमान खानों से पूरा किया जा सकता है ।

हुगली-कारवार के बीच रेलवे लाइन

424. श्री शिवमूर्ति स्वामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुबली और कारवार पत्तन के बीच रेलवे लाइन बनाने की मांग काफी समय से अनिश्चित पड़ी है;

(ख) पत्तन का विकास करने के लिये निकट भविष्य में इसे शामिल करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) इसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग). गत कई वर्षों में समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिन में हुबली-कारवार रेलवे लाइन के निर्माण के लिये अनुरोध किया गया है । मुख्य औचित्य कारवार पत्तन का विकास और उस पत्तन के द्वारा बेलारी होज़पेट क्षेत्र से लोह अयस्क का निर्यात किया जाता है । होज़पेट हुबली सेक्शन पर 10 लाख मीट्रिक टन तक निर्यात के लिये वहन की सुविधाएं दी गई हैं। अयस्क का वहन बाद में, सरकार की नीति के अनुसार प्रमुख पत्तनों के द्वारा ही होगा और कारवार इन में से नहीं है । कारवार पत्तन के विकास की अभी तक कोई योजना नहीं है । स्वभावतः रेलवे लाइन के प्रश्न पर पत्तन के विकास की योजनाओं के साथ ही विचार किया जा सकता है ।

नई दिल्ली स्टेशन पर रेलगाड़ियों का रोका जाना

425. श्री त्रिदिव कुमार चौधरी :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री विश्राम प्रसाद :
डा० राम मनोहर लोहिया :
श्री मधु लिमये :
श्री किशन पटनायक :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 जनवरी, 1965 के "दि स्टेट्समैन" के दिल्ली संस्करण के संवाददाता स्तम्भ में प्रकाशित उस हस्ताक्षरित पत्र की ओर दिलाया गया है जिस में यह आरोप लगाया गया है कि 24 दिसम्बर, 1964 को नई दिल्ली स्टेशन प्राधिकारियों द्वारा 16 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस, 82 डाउन डीलक्स एक्सप्रेस, नई दिल्ली से इस कारण देर से चली कि इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री संजीव रेड्डी जो 16 डाउन जी० टी० एक्सप्रेस से जा रहे थे, स्टेशन पर देर से पहुंचे एवं इस प्रकार रेलगाड़ी सेवायें अस्तव्यस्त हो गई और हजारों व्यक्तियों को असुविधा हुई ; और

(ख) यदि हां, तो तथ्य क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). 24–12–64 को बहुत से बचे हुए यात्रियों को ले जाने के लिये 83 डाउन वातानूकूलित के मार्ग पर नई दिल्ली से हावड़ा तक एक विशेष गाड़ी चलाई गई थी । कुछ संचालन कारणों की वजह से यह गाड़ी देर से चली थी। उसी दिन संख्या 16 अप ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस गाड़ी भी नई दिल्ली से 85 मिनट देर से चली थी क्योंकि संख्या 22 अप पश्चिमी एक्सप्रेस गाड़ी को, जो उसी प्लेटफार्म से पहले चलती है, अंतिम क्षण पर कुछ खराब डिब्बों को बदलने के लिये रोकना पड़ा था। इसलिये इन गाड़ियों को, केन्द्रीय इस्पात और खान मंत्री के नई दिल्ली स्टेशन पर देर से पहुंचने के कारण, नहीं रोका गया था ।

गंगानगर-हिन्दूमलकोट बड़ी रेलवे लाइन

426. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, गंगानगर से हिन्दूमलकोट तक बड़ी लाइन के निर्माण के लिये राज्य सरकार द्वारा श्रमदान के बारे में दिये गये आश्वासनों के स्थान पर जमींदारों से नकद धन इकट्ठा करने के बारे में राजस्थान सरकार से कुछ सूचना प्राप्त हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री. शाम नाथ) (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने बताया था कि श्रमदान आयोजित करना कठिन था और इसके स्थान पर लोगों से 1.47 लाख रु० की राशि अंशदान के रूप में इकट्ठी

की गई थी । वे चाहते थे कि इसको स्वीकार किया जाय और कार्य आरम्भ किया जाये । कार्यों की लागत श्रमदान के आधार पर 12·5 लाख रु० लगाई थी और इन कार्यों को मूल योजना के अनुसार स्थानीय लोगों ने करना था । कुल लागत 104 लाख रु० थी । योजना आयोग ने इस परियोजना को श्रमदान के परीक्षणात्मक मामले के रूप में अनुमोदित कर दिया था, और इसलिये इस अवस्था पर परियोजना को आरम्भ करना उचित न होगा जब तक कि कम से कम अंशदान की 12.5 लाख रु० की पूरी राशि हाथ में न हो । इस बात की सूचना राज्य सरकार को दे दी गई है और उस से अंशदान इकट्ठा करने अथवा शेष राशि का अंशदान देने के लिये भी कहा गया है जिससे कि कार्य आरम्भ किया जा सके।

बीकानेर शहर में रेलवे फाटक

427. श्री कर्णी सिंहजी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि बीकानेर शहर में रेलवे फाटकों के देर तक या बार बार बन्द किये जाने के कारण लोगों को बड़ी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लोगों को सुविधा के लिए रेलवे लाइन का मार्ग बदलने अथवा अन्य कोई उपयुक्त विकल्प अपनाने की सरकार की कोई योजना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी हां ।

(ख) रेलवे मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को अपनी राय भेज दी है कि रेलवे लाइन के मार्ग को बदलने का अर्थ यह होगा कि स्टेशन को रिहायशी और व्यापारिक क्षेत्रों से दूर ले जाया जाये और इसके अतिरिक्त इसके परिणामस्वरूप सभी गाड़ियों के चलने में वृद्धि होगी और यह कि अब जिस कठिनाई का अनुभव किया जा रहा है उसे ऊपरी पुलों द्वारा दूर किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त मार्ग पलटने पर लगभग 1 करोड़ रु० खर्च आयेगा और इस पर केवल तब ही विचार किया जा सकता है जब राज्य सरकार सभी खर्च को वहन करने के लिये राजी हो । राज्य सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है ।

रेलवे अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि

428. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में गत वर्ष कितने अधिकारियों के सेवाकाल में वृद्धि की गई ;

(ख) क्या यह सच है कि उन अधिकारियों के सेवाकाल में और भी वृद्धि की जा रही है या उन्हें सेवा-निवृत्तिपूर्व अवकाश मंजूर नहीं किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) तीन ।

(ख) और (ग). इस संबंध में निर्णय नियमों के अनुसार उचित समय पर गुणदोषों के आधार पर किया जायेगा ।

उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखा विभाग

429. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग ने 1 अप्रैल, 1964 से 31 दिसम्बर, 1964 तक की अवधि में उत्तर रेलवे मुख्यालय निर्माण लेखा विभाग के उन कर्मचारियों के विरुद्ध, जो ठेकेदारों के बिलों के भुगतान से सम्बन्धित पदों पर कार्य करते हैं, धन की अनानुपातिक मात्रा होने तथा कदाचार के मामले दर्ज किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पूरी हो गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) यह सच है कि विशेष पुलिस विभाग द्वारा एफ० ए० सी० ए० ओ० कार्यालय, उत्तर रेलवे के कुछ क्लर्कों के विरुद्ध एक मामला दर्ज किया है ।

(ख) जांच अभी समाप्त नहीं हुई है ।

उत्तर रेलवे लेखा विभाग

430. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड में प्रतिनियुक्त ऐसे कुल कितने कनिष्ठ लेखापाल, वरिष्ठ लेखापाल तथा लेखाधिकारी हैं जिनका पांच वर्ष से अधिक समय से उत्तर रेलवे लेखा विभाग में धरणाधिकार है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन्हें प्रति-नियुक्ति भत्ता उनके मूल वेतन के 15 प्रतिशत की दर से दिया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 11 ।

(ख) बोर्ड के कार्यालय में लेखा अधिकारियों 150 रु० प्रति मास विशेष वेतन दिया जाता है और लेखापालों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत और दिया जाता है ।

(ग) इन पदों के साथ विशेष वेतन इसलिये रखा गया है कि इनका काम रेलवे के इसी प्रकार के पदों के मुकाबिले कठिन है और बड़ी जिम्मेदारी का है ।

उत्तर रेलवे सतर्कता आयोग

431. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे सतर्कता विभाग ने दिल्ली

क्षेत्र में 1964 में कितने मामलों में छापे मारे ।

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : विशेष पुलिस विभाग के समन्वय से सतर्कता शाखा द्वारा 4 छापे मारे गये थे । इसमें अचानक मारे गये छापे शामिल नहीं हैं ।

लघु उद्योगों के लिए कच्चा माल

432. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 25 सितम्बर, 1964 के तारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात किये गये अथवा दुर्लभ स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के हेतु लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल करने के लिये जांच समितियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर इस बीच विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन में इस समय दो समितियां काम कर रही हैं जो नये एककों के आवेदन पत्रों की जांच करती हैं जिन्हें कि (1) रासायनिक उद्योगों और (2) ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने का विचार है । ये विभागीय समितियां हैं जिनमें केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी हैं । जो लोग इन श्रेणियों के अन्तर्गत एकक स्थापित करना चाहते हैं उनके आवेदन पत्रों की जांच पहले संबंधित राज्य उद्योग निदेशकों द्वारा की जाती है और फिर, अन्तिम अनुमोदन के लिये केन्द्रीय लघु उद्योग संगठन को भेजा जाता है । तकनीकी जांच के पश्चात आवेदन पत्रों को जांच समितियों के सामने रखा जाता है । इन आवेदन पत्रों की जांच करने में जांच समितियां इन बातों का ख्याल रखती है जैसे कि देश में वर्तमान क्षमता मांग की प्रवृत्ति, निर्माताओं की तकनीकी योग्यता, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता, अल्प विकसित क्षेत्रों में एककों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता आदि । इंजीनियरिंग उद्योगों के लिये इसी प्रकार की समिति स्थापित करने का प्रश्न अभी विचाराधीन है ।

बिजली से चलने वाले हलों का निर्माण

433. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री 4 दिसम्बर, 1964 के अतारांकित प्रश्न संख्या 963 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी फर्म के सहयोग से बिजली से चलाने वाले हलों के निर्माण की योजना पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित फैक्टरी स्थापित करने में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). शक्ति चालित हलों के निर्माण के लिये प्राप्त सभी योजनायें अभी विचाराधीन हैं।

कार्मिक संघों को मान्यता देना

434. **श्री० उ० मू० त्रिवेदी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर कार्मिक संघ को मान्यता देने के लिये कोई कसौटी निर्धारित की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख). क्षेत्रीय रेलों पर महाप्रबन्धकों द्वारा मजदूर संघों की मान्यता के लिये कुछ कसौटियां रखी गई हैं जिन्हें 28-4-64 के तारांकित प्रश्न संख्या 1225 के भाग (घ) के उत्तर में बता दिया गया था।

अखिल भारतीय स्तर पर किसी रेलवे संघ को मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, दो रेलवे श्रम फिडिरेशनों, अर्थात् अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी फिडिरेशन और राष्ट्रीय फिडिरेशन, भारतीय रेलवे कर्मचारी को रेलवे बोर्ड से बातचीत करने की सुविधायें दी गई हैं, इन फिडिरेशनों को बात चीत की सुविधायें देते समय कोई कसौटियां रखना आवश्यक नहीं समझा गया था।

चूने का उत्पादन

435. **श्री उ० मू० त्रिवेदी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात परियोजना की नन्दिनी खानों में चूने का उत्पादन 2000 टन प्रतिदिन से घट कर 200 टन प्रतिदिन हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू तथा काश्मीर में कागज की लुगदी बनाने के कारखाने

436. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या उद्योग तथा संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर में कागज की लुगदी बनाने के कारखाने स्थापित किये जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ये परियोजनायें केन्द्र द्वारा प्रायोजित की जायेंगी अथवा राज्य द्वारा ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख). जम्मू तथा काश्मीर राज्य में अखबारी कागज और रेयन श्रेणी की लुगदी बनाने के कारखाने स्थापित करने के लिये प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किये गये हैं और ये राज्य सरकार के विचाराधीन हैं। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्राप्त होने के पश्चात् इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा कि परियोजना को क्रियान्वित कौन अभिकरण करेगा।

जम्मू और काश्मीर में खनिज सर्वेक्षण

437. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में कोई खनिज सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेड्डी) : (क) जी, हां ।

(ख) इन खनिजों के कुछ ऐसे निक्षेपों का पता लगा है जिन को निकालना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद है । जिप्सम बारामूला में इसलामाबाद और धन्नी के बीच और डोडा में अस्सार के स्थान पर ; क्ले बुयान में ; सीमेंट की श्रेणी के चूने के पत्थर वेरीनाग–मानपुरा, दोरू सेरकार, सेरकार–जमालगांव, बन्दीपुरा–अजास चनाब नदी के पश्चिम की ओर और मुत्तल और सलालपुर के बीच ; लिग्नाइट बारामूला के निकाहोम–दादहेज भाग में और निकाहोम–साताकोहज क्षेत्र में ।

रेलवे कर्मचारी

438. **श्री चांडक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के उन कर्मचारियों को जो अपने संबंधित सरकारी विभागों के द्वारा, जिनमें वे पहले काम कर रहे थे, आवेदन करने के पश्चात रेलवे सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा रेलवे सेवाओं में आते हैं, अवकाश तथा पूर्ववर्तिता के मामले में सरकारी विभागों में उनकी पहली नियुक्ति का लाभ दिया जाता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) अवकाश का लाभ दिया जाता है न कि वरिष्ठता का ।

वरिष्ठता रेलवे पद के कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाती है ।

(ख) संबंधित श्रेणी में काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिये ।

वायरलैस आपरेटर

439. **श्री चांडक** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे मुख्यालय के दफ्तरों से सम्बद्ध वायरलेस आपरेटरों के काम के घंटे क्या हैं ;

(ख) असुविधाजनक समय पर अपने कार्य पर आने के लिये वायरलेस आपरेटरों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ;

(ग) क्या रेलवे विभाग वायरलेस आपरेटरों को उनके काम करने के स्थान के निकट निवास स्थान देता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) उत्तर रेलवे मुख्यालय के वायरलेस आपरेटरों को, जबकि वे सभी केन्द्रों पर काम करते हैं, जहां कि दो से अधिक स्टेशन चालू रहते हैं, 6 घंटे प्रतिदिन की पारियों में रखा जाता है और जब केवल दो स्टेशन चालू रहते हैं अथवा जब अन्य स्टेशनों के कार्य को देखने के लिये अनुश्रवण स्टेशनों में काम करते हैं तो उन्हें 8 घंटे प्रतिदिन की पारी में रखा जाता है।

(ख) उनको अन्य सभी रेलवे कर्मचारियों की भांति समझा जाता है जो कि पारियों में काम करते हैं और उनको कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जाती हैं।

(ग) और (घ). क्वार्टरों के आवंटन के लिये वायरलेस आपरेटरों को "आवश्यक कर्मचारी" समझा जाता है और उनके कार्य के स्थान के पास ही उन्हें क्वार्टर आवंटन करने के लिये प्रत्येक प्रत्यन किया जाता है।

कटखल-लालाबाजार रेलवे की खरीद

440. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1974 तक कटखल-लालाबाजार रेलवे को खरीदने का विचार छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि रेलव के इस भाग पर जरूरी सुविधाओं का अभाव है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख). गैर सरकारी रेलों को खरीदने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाता है जब कि किसी रेलवे लाइन के खरीदने के विकल्प की तारीख आ जाती है। 31-3-1964 को कटखल-लालाबाजार रेलवे को खरीदने का अन्तिम विकल्प था और तब इस प्रश्न पर विचार किया गया था, परन्तु इसको खरीदना उचित नहीं समझा गया था। यह रेलवे पहले से ही सरकार द्वारा चलाई जा रही है और जनता के लिये प्रबन्ध और सेवा का स्तर वैसा ही है जैसा कि साथ की सरकारी रेलवे पर जो कि इस लाइन को चलाती है।

(ग) और (घ). इस रेलवे पर सभी स्टेशनों को मूल सुख सुविधायें दी जाती हैं, जैसे कि पीने का पानी, यात्री प्लेटफार्म, प्रतीक्षा हाल, शौचालय, बेंचें आदि। स्थानीय रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति और रेलवे उपभोक्ता सुखसुविधा समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर समय समय पर अतिरिक्त सुख सुविधायें दी जाती हैं।

गिरडीह क्षेत्र स्थित कोयला खानों का बन्द किया जाना

441. **डा० उ० मिश्र :**
डा० रानेन सेन :
श्री दाजी :
श्री वारियर :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की गिरडीह क्षेत्र स्थित कुछ

कोयला खानों को बन्द करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीव रेंड्डी): (क) गिरडीह क्षेत्र में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की इन इन खानों को बन्द किया जा रहा है :—

(1) कोलोमारन पिट—1-4-1965 से ?

(2) भादुआ संख्या 10(ख) पिट—1-4-1965 से ।

(3) जुबली पिट—1-11-1965 से ।

(ख) निक्षेपों के समाप्त हो जाने के कारण इन मुहानों को बन्द किया जा रहा है ।

हावड़ा के निकट कोलाघाट पर टक्कर

442. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री राम हरख यादव :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्रीमती लक्ष्मीबाई :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 जनवरी, 1965 को दक्षिण पूर्व रेलवे पर हावड़ा के निकट कोलाघाट स्टेशन पर पुरुलिया-हावड़ा यात्री गाड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई ;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप जान व माल की कितनी हानि हुई ; और

(ग) दुर्घटना कैसे हुई ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां । गाड़ी संख्या 316 डाउन चक्रधरपुर-अदरा-हावड़ा यात्री गाड़ी अप कोलाघाट शटल (मालगाड़ी) के इंजन से 29-1-65 को कोलाघाट स्टेशन पर बराबर से टकरा गई ।

(ख) जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, परन्तु 4 रेलवे कर्मचारियों सहित 15 व्यक्तियों को मामूली चोट आई ।

अनुमान है कि रेलवे की लगभग 3400 रु० की हानि हुई है ।

(ग) दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की गलती के कारण हुई थी ।

हथकरघा सम्बन्धी कार्यकारी दल

443. **श्रीमती मैमूना सुल्तान :**
श्री मि० सू० मूर्ति :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघा संबंधी द्वितीय कार्यकारी दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये हथकरघा कार्यक्रम संबंधी अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो दल ने किन लक्ष्यों के सुझाव दिये हैं ; और

(ग) सरकार की उन पर प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) 30,000 लाख गज ।

(ग) यह तथा कार्यकारी ग्रुप द्वारा अपने प्रतिवेदन में दिये गये अन्य सुझाव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

मशीनी औजार एकक

444. **श्री नरेन्द्र सिंह महीना : क्या उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात में एक मशीनी औजार एकक सरकारी क्षेत्र में स्थापित किया जाना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह कब और कहां स्थापित किया जाएगा ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) से (ग) जेकोस्लोवाकिया सोशलिस्ट रिपब्लिक की सरकार की सहायता से दो मशीनी औजार कारखाने स्थापित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। जेकोस्लोवाकिया के दल से इस संबंध में बातचीत चल रही है । जिन राज्यों में ये दो कारखाने स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है उनमें से गुजरात एक है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे में निम्न श्रेणी की राजपत्रित सेवा के पद

445. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या रेलव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे में 1964–65 में अब तक निम्न श्रेणी की राजपत्रित सेवा के कितने पद भरे गये ;

(ख) इनमें से अनुसूचित आदिम जातियों और अनुसूचित जातियों के लिये कितने पद आरक्षित किये गये ; और

(ग) उसी अवधि में अब तक कितने आरक्षित पद भरे गए ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 10 ।

(ख) कोई नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा की कोयले की मांग

446. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य ने 1964 में विभिन्न किस्म के कोयले की कितनी कितनी मांग की ; और

(ख) मांग की किस सीमा तक पूर्ति की गई ?

इस्पात और खान मंत्री (श्री संजीवरेड्डी): (क) और (ख). कोयले के उत्पादन में वृद्धि होने और परिवहन की अच्छी स्थिति होने के कारण उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के कोयले की सूची मांग को पूरा करना संभव है। इस समय कठोर कोक को छोड़ कर कोटे संबंधी कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

1964 में उड़ीसा को रेल द्वारा कोयले और कोक की भेजी गई कुल मात्रा इस प्रकार है :—

(माल डिब्बों में संख्या)

कोयला और कठोर कोक	55 5
नर्म कोक	1200

कठोर कोक के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त 1964 में सड़क द्वारा कोयला क्षेत्रों से 8600 वैगन कोयला भेजा गया जिसमें अधिकांश श्रेणी 2 और श्रणी 3 का था।

उड़ीसा में औद्योगिक विस्तार सेवा

447. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964–65 में उड़ीसा में औद्योगिक विस्तार सेवा से कितने छोटे पैमाने के एककों को लाभ हुआ ;

(ख) उसी अवधि में उड़ीसा में ऐसे एककों को कितना ऋण दिया गया ; और

(ग) 1965–66 में उस राज्य को कितना ऋण देने का विचार है ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): (क)

(जनवरी 1965 तक)

1. उन दलों और एककों की संख्या जिनसे तकनीकी अधिकारी मिले और जिन्हें घटना स्थल पर सलाह देने के लिये देखने गये	2048
2. दलों की संख्या जिन्ह तकनीकी सलाह दी गई . .	607
3. दलों की संख्या जिन्हें नये उद्योगों को चलाने के लिये सूचना दी गई।	567
4. दलों की संख्या जिन्हें अन्य सहायता दी गई .	826

(ख) 30 सितम्बर, 1964 तक राज्य वित्तीय निगम, उद्योग राज्य सहायता अधिनियम के अन्तर्गत उद्योग निदेशक और पंचायत समिति उद्योगों द्वारा छोटे एककों को दिया गया ऋण और भारत के राज्य बैंक द्वारा मंजूर किये गये ऋणों की कुल धनराशि 58 लाख रुपये थी।

(ग) वर्ष 1965–66 में "ग्रामोद्योग और लघु उद्योग" शीर्षक के अन्तर्गत दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता (जिसके बारे में अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है) ग्रामीण और लघु उद्योगों संबंधी कार्यकारी दल ने 101.20 लाख रुपये की सिफारिश की है।

उड़ीसा में औद्योगिक एकक

448. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1965–66 में उड़ीसा में जो औद्योगिक एकक खोलने का प्रस्ताव है उनकी संख्या तथा नाम क्या हैं ?

उद्योग तथा संभरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

हथकरघा के वस्त्र का निर्यात

449. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्तूबर, 1964 से लेकर आज तक स्वयं हथकरघा निर्यात संगठन ने अपने सहयोगी संगठनों के अतिरिक्त, हथकरघा के कितने वस्त्र का निर्यात किया ; और

(ख) उसी अवधि में व्यापार सहयोगियों को प्राप्त हुए आदेशों पर निर्यात के लिये उन्हें हथकरघा का कितना वस्त्र बेचा गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) हस्त-शिल्प तथा हथकरघ निर्यात निगम ने 6,99,073 मीटर और लम्बाई चौड़ाई बताये बिना कपड़े के 65 टुकड़ों का निर्यात किया जिनका मूल्य 22,17,953·76 रुपये था।

(ख) हस्त-शिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम ने व्यापार सहयोगियों को 71,639.87 मीटर और लम्बाई चौड़ाई बताये बिना कपड़े के 352 टुकड़े बेचे जिनका मूल्य 2,38,132.75 रुपये था। इन व्यापार सहयोगियों ने वास्तव में कितना निर्यात किया इस बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने

450. **श्री धुलेश्वर मीना :**
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964–65 में उड़ीसा में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये उस राज्य को कोई लाइसेंस दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) उड़ीसा औद्योगिक विकास लिमिटेड, भुवनेश्वर की बारगढ़ में प्रस्तावित सीमेंट कारखाने की 198.000, टन की अतिरिक्त वार्षिक क्षमता बढ़ाने की योजना की स्वीकृति का एक पत्र 22 अप्रैल 1964 को भेजा गया था ।

मुजफ्फरनगर पर मालगाडी क डिब्बों की कमी

451. **श्री राम सेवक :**
श्री फ० गो० सेन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुड़ और शक्कर को देश के अन्य भागों में भेजने के लिये मालगाड़ी के डिब्बों की अनुपलब्धता के कारण मुजफ्फरनगर में उनके ढेर लग गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) गुड़ और शक्कर को अन्य स्थानों में भेजने के लिए मुजफ्फरनगर में मालगाड़ी के डिब्बों की मांग को सन्तोषजनक रूप से पूरा किया गया है । 1964 के शक्कर के मौसम में जनवरी, 1965 तक जब कि गुड़ को बाहर भेजने के लिए अत्यधिक मांगें आती हैं---कुल 5,133 माल डिब्बों को रजिस्टर किया गया था । 1,860 मालडिब्बों में माल लादा गया था और डिब्बों की सप्लाई किये जाने के बाद 3,227 मांगों को वापिस लिया गया, इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि मांग परिकल्पित थी ।

हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस का पटरी से उतर जाना

452. **श्री फ० गो० सेन :**
श्री राम सवक :
राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1965 को बम्बई से लगभग 15 मील की दूरी पर भांडूप स्टेशन के निकट हावड़ा-बम्बई एक्सप्रेस के तीन डिब्बे पटरी से उतर गये ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण था और क्या कोई व्यक्ति हताहत भी हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) जी, हां ।

(ख) जांच समिति के प्रतिवेदन की जांच की जा रही है । कोई व्यक्ति हताहत नहीं हुआ ।

बम्बई के निकट रेलगाड़ी का पटरी से उतर जाना

453. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री राम हरख यादव :
श्री विश्वनाथ पांडेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 2 फरवरी, 1965 को सेंट्रल बम्बई के निकट स्थानीय गाड़ी के

कुछ डिब्बे पटरी से उतर गये थे ;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ; और

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) 2-2-65 को जब सबरबन बोरिली स्थानीय रेलगाड़ी संख्या 146 'अप' पश्चिम रेलवे के महालक्ष्मी और बम्बई मध्य (स्थानीय) स्टेशनों के बीच चल रही थी, 6 डिब्बे, रेलगाड़ी इंजिन से, तीसरे से आठवें तक, पटरी से उतर गये जिससे 'अप' जाने वाली रेलगाड़ियों के चलने में रुकावट हुई ।

(ग) जी हां ।

"मिनियेचर" ट्रेन

454. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य में बच्चों के लिये "मिनियेचर" ट्रेन की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 15,000 रुपये ।

गया स्टेशन पर दुर्घटना

455. **श्री विश्वनाथ पांडेय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 6 दिसम्बर, 1964 को आधी रात से थोड़ा पहले गया रेलवे स्टेशन पर मार्शलिंग यार्ड में एक बिजली से चलने वाली मालगाड़ी के एक अन्य खड़ी हुई गाड़ी से टकरा जाने के कारण मालगाड़ी का ड्राइवर मर गया तथा एक सहायक को चोटें आई ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण यह दुर्घटना हुई ।

शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल दुर्घटना

456. **श्री रा० बरुआ** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 फरवरी, 1965 को कलकत्ता के निकट शक्तिगढ़ रेलवे स्टेशन पर एक गम्भीर रेलवे दुर्घटना हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना का क्या कारण था ;

(ग) कितने व्यक्ति मरे तथा जख्मी हुये ; और

(घ) जख्मी व्यक्तियों तथा मृत व्यक्तियों के परिवारों को यदि कोई मुआबजा दिया गया है तो वह कितना कितना दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां ।

(ख) रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण यह दुर्घटना हुई ।

(ग) दो व्यक्ति मारे गये और पांच को हलकी चोटें आईं ।

(घ) क्षतिपूर्ति अथवा प्रतिकर के बारे में अभी तक कोई दावा नहीं किया गया है । तथापि चोट आई हुई व्यक्तियों को 150 रुपये की रकम अनुग्रहात भुगतान के रूप में दी गई है ।

दिल्ली के स्टेशनों पर विशेष पुलिस संस्थान के छापे

457. **श्री गुलशन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रेलव** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विशेष पुलिस संस्थान ने 1 फरवरी, 1965 को दिल्ली मेन रेलवे स्टेशन के पार्सल आफिस तथा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के गुड्स आफिस पर छापा मारा था और उसको ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की जेबों से निश्चित धन राशि से अधिक धन राशि मिली थी ; और

(ख) यदि हां, तो क्या जांच पड़ताल पूरी हो गई है तथा संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) जी, हां ।

(ख) विशेष पुलिस संस्थान ने अपचारी कर्मचारियों के विरुद्ध प्रारम्भिक जांच दर्ज कर दी है और अग्रेतर जांच पड़ताल जारी है ।

रेलवे स्टेशनों पर उचित मूल्य की दूकानें

458. **श्री अ० प्र० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपक्षीय श्रम सम्मेलन के निर्णय के अनुसार कर्मचारियों को अत्यावश्यक वस्तुए उपलब्ध करने के लिये विभिन्न रेलवे प्रशासनों द्वारा विभिन्न रेलवे स्टेशनों तथा कर्मशालाओं में, जहां तीन सौ या इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं, अब तक उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई हैं ;

(ख) ऐसे स्थानों के (खण्डवार) नाम क्या हैं ;

(ग) क्या रेलवे प्रशासनों का ध्यान इन उचित मूल्य की दुकानों को अत्यावश्यक वस्तुओं के न दिये जाने तथा इन वस्तुओं के उपलब्ध न होने के कारण उनके द्वारा अनुभव की गई कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) इन कठिनाईयों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) ऐसे स्टेशनों में जहां 300 अथवा उससे अधिक रेलवे कर्मचारी काम करते हैं, 36 3 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकान

रेलवे उपभोक्ता सहकारी स्टोरों पर राज्य-प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा चलायी जा रही हैं और 29 स्टेशनों में परिवार कार्ड पद्धति को चालू किया गया है। 6 स्थानों पर रेलवे कर्मचारियों द्वारा उचित मूल्य की दुकान खोलने की आवश्यकता नहीं समझी गयी है। 29 स्थानों पर उचित मूल्य की दुकानें खोलने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन स्थानों की एक खण्डवार सूची संलग्न है। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०—3877/65]।**

(ग) और (घ) रेलवे प्रशासन का ध्यान अत्यावश्यक सामान की उपलब्धि के बारे में रेलवे कर्मचारियों द्वारा अनुभव की गई कठिनाई की ओर दिलाये जाने पर उन्होंने उनकी इन कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से राज्य और केन्द्रीय प्राधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने के बारे में शीघ्र कार्यवाही की है।

रेलवे में अकुशल कर्मचारी

459. श्री अ० प्र० शर्मा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में एक नियमित अकुशल कर्मचारी को प्रतिदिन 3 रुपये 25 पैसे से लेकर 3 रुपये 59 पैसे तक मजूरी दी जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि विभिन्न रेलवों में एक नैमित्तिक अकुशल कर्मचारी को उसी काम के लिये प्रति दिन 1 रुपये 50 पसे से लेकर 2 रुपये 50 पैसे तक मजूरी दी जाती है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेलवे में नियमित अकुशल श्रमिकों को मजूरी मासिक दर पर दी जाती है जो कि नियमित लागू वेतन क्रम होता है। इसके अतिरिक्त उन्हें मंहगाई भत्ता तथा अन्य प्रतिकरात्मक भत्ते भी दिये जाते हैं। ये भत्ते उन के वेतनक्रमों के आधार पर दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) रेलवे में लगे हुए अकुशल नैमित्तिक श्रमिकों को आमतौर पर दैनिक मजूरी दी जाती है जो कि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दर पर आधारित होती है। ऐसे श्रमिकों को जो किसी पेशे में लगाये गये हैं और जो न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं, उन पेशों के श्रमिकों की मजूरी की दर वही होती है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत निश्चित की जाती है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

अध्यापकों द्वारा आन्दोलन

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और निवेदन करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों पर आग्रह करने के लिये आयोजित आन्दोलन और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया"।

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : मैं श्री मु० क० चागला की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं ।

देश के कुछ भागों में अध्यापकों ने जो आन्दोलनात्मक रुख अपनाया है, भारत सरकार को उसकी जानकारी है । अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ, केरल सहायता-प्राप्त प्राथमिक शिक्षक संघ और अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक संघ, विशेष रूप से, प्रतिवेदनों तथा प्रतिनिधि मंडलों के जरिए अपनी मांगों और विचारों को शिक्षा मंत्रालय के पास पहुंचा रहे हैं। शिक्षा संस्थाओं के अखिल भारतीय संघ ने तथा दिल्ली राज्य अभिभावक संस्था जैसी अन्य संस्थाओं ने भी अध्यापकों की इन मांगों के प्रति आम तौर पर अपनी सहानुभूति दिखाई है ।

भारत सरकार का सदा ही यह विचार रहा है कि सभी स्तरों के अध्यापकों के वेतनों और सेवा की शर्तों तथा साथ ही उनकी योग्यताओं में सुधार किया जाना चाहिए, ताकि शिक्षा के स्तरों को कायम रखा जा सके। इस विशिष्ट प्रयोजन के लिए, अध्यापकों के वेतनों में सुधार की दृष्टि से आयोजना में एक योजना शामिल की गई है और केन्द्रीय सरकार इस योजना पर होने वाले खर्च का 50 प्रतिशत देगी किन्तु शर्त यह है कि यह योजना संबंधित राज्य के अनुमोदित आयोजना कार्यक्रम में शामिल हो । इसके अतिरिक्त, जिन राज्यों में वेतन-स्तर बहुत नीचे हैं भारत सरकार उन राज्यों पर विशेष रूप से दबाव डाल रही है कि वे उन्हें बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं । इस सलाह के परिणाम स्वरूप बहुत सी राज्य सरकारों ने अपने अध्यापकों के वेतन-मान बढ़ा दिए हैं; अभी हाल ही में असम सरकार ने वेतन-मानों में बढ़ोत्तरी की है ।

एक सम्बद्ध समस्या, सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन-मानों तथा वेतनों की है, वह यह कि कुछ राज्यों में सहायता प्राप्त स्कूलों और उसी स्तर के सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतनों में असमानता है जैसा कि बिहार में। भारत सरकार ने अपनी सभी राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया है कि वे इस असमानता को यथा संभव दूर करें, हां, ऐसा करते समय यह निर्णय लेना होगा कि प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों की योग्यताओं तथा उनकी नियुक्ति की भी वही पद्धति होगी जो सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के लिए है ।

तीसरी आयोजना की अवधि में अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए नियत रकम इस प्रकार थी :—प्रारंभिक शिक्षा के लिए, लगभग 8·34 करोड़ रुपये और माध्यमिक शिक्षा के लिए लगभग 3·03 करोड़ रुपये, किन्तु भारत सरकार के दबाव के फलस्वरूप तथा राज्य सरकारों की इस समझदारी के कारण कि अध्यापकों के साथ अच्छा बर्ताव किया जाना चाहिए, इन योजनाओं पर, प्रारंभिक अध्यापकों के लिए 22·94 करोड़ रुपये तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के लिए 14·63 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है ।

भारत सरकार, राज्य सरकारों द्वारा त्रि-लाभ योजना (पेंशन, निर्वाह निधि और बीमा) अपनाए जाने की आवश्यकता पर भी जोर दे रही है । कुछ राज्यों ने यह योजना शुरू कर दी है और दूसरे राज्य धन मिलते ही इसे शुरू कर देंगे । संघीय प्रशासनों के प्राइवेट स्कूलों के अध्यापकों के लिए केन्द्रीय सरकार एक पेंशन योजना पर विचार कर रही है और इसकी वित्तीय व्यवस्था की जांच की जा रही है ।

[श्री भक्त दर्शन]

आम तौर पर अध्यापकों के कल्याण के लिए और विशेष कर उनकी और उनके आश्रितों की कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से नेशनल फाउन्डेशन फार टीचर्स वेल्फेयर नामक एक संस्थान भी भारत सरकार ने जून, 1962 में कायम किया है । सरकारी अनुदानों और प्राइवेट चन्दों के जरिए, फाउन्डेशन के पास अब तक लगभग 75 लाख रुपये इकट्ठे हुए हैं। 5 सितम्बर, 1964 से, कुछ जरूरतमन्द व्यक्तियों को इसमें से धन देने का फैसला किया गया है और यह काम शुरू भी कर दिया गया है ।

कुछ राज्यों में अध्यापकों की उन के कम वेतन होने के कारण जो कठिनाइयां थीं, वे जीवन निर्वाह का खर्च बढ़ने और विशेषकर आपत्काल घोषित होने से और ज्यादा बढ़ गई हैं । ऐसा महसूस किया गया है कि जहां कहीं अध्यापकों के वतनों में पहले से ही बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता थी, वह अब केवल बढ़े हुए जीवन-निर्वाह के खर्च को बराबर करने के लिए, और अधिक बढ़ोत्तरी की आवश्यकता है । यह भी महसूस किया गया कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका हल उसी प्रकार किया जाना चाहिए जिस प्रकार अन्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के प्रश्न को हल किया गया है ।

अध्यापक संस्थाओं ने एक यह भी सुझाव दिया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरह एक माध्यमिक शिक्षा अनुदान आयोग भी होना चाहिए, ताकि यह आयोग एक जैसे वेतन-मान, नौकरी की सुरक्षा और नौकरी के बाद की सुरक्षा सुविधा योजना, लागू करने के लिए ठोस कदम उठा सके । भारत सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है और उसे यह मालूम हुआ है कि संविधान के अन्तर्गत भारत सरकार को इस प्रयोजन के लिए सांविधिक आयोग स्थापित करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ।

राज्य सरकारें अध्यापकों के वेतनों में बढ़ोत्तरी करने के लिए भरसक प्रयत्न कर रहीं हैं और वास्तव में इस प्रयोजन के लिए जितने धन की व्यवस्था थी, उन्होंने उस से कहीं अधिक खर्च किया है । भारत सरकार भी अपने हिस्से का खर्च देती है और विभिन्न दिशाओं में और आगे सुधार की आवश्यकता पर जोर देती है । जब से मैंने शिक्षा मंत्री का पद सम्भाला है, तब से ही इस प्रश्न पर राज्य सरकारों के साथ मैंने जोरों से बात-चीत शुरू की है । मैंने यह देखा कि बहुत सी राज्य सरकारों ने इस बारे में अपने ऊपर काफी बोझा उठाया हुआ है । हालांकि तीसरी पंचवर्षीय आयोजना में शामिल विकास की विभिन्न योजनाओं पर खर्च करने के लिए वे पहले ही से बचनबद्ध थीं । धन की समस्या बहुत बड़ी है और मुद्रा प्रसार के कारण यह और भी जटिल हो गई है । इसलिए, भारत सरकार यह महसूस करती है कि अध्यापकों के वेतनों में बढ़ोत्तरी, और आयोजना से बाहर के क्षेत्र में भी, विशेषकर उन राज्यों में जहां ये बहुत नीचे हैं, तेजी के साथ प्रयत्न तो जरूर करने चाहिए, किन्तु सारे देश में अध्यापकों द्वारा आन्दोलन करने का कोई न्याय पूर्ण कारण नहीं है, जैसा कि ध्यानाकर्षण नोटिस में बताया गया है । इस सुझाव पर कि सारे देश के अध्यापकों के वेतन-मानों का फैसला करने के लिए वेतन आयोग होना चाहिए, विचार किया गया है । क्योंकि अध्यापकों के वेतन-मानों का संबंध उसी प्रकार के दूसरे कर्मचारियों के वेतन-मानों और जीवन-निर्वाह खर्च तथा अध्यापकों के वेतनों से है, इसलिए अलग-अलग राज्यों में अध्यापकों के वेतन-मान अलग-अलग हैं । ये कुछ स्वाभाविक कठिनाइयां हैं । जो इस मांग को पूरा करने के रास्ते

में आती हैं। पिछली बार, मई 1963 में इस मामले पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार-विनिमय करने के बाद यह अनुभव किया गया है कि वेतन संशोधन समिति की नियुक्ति से जो आशाएं बढ़ जाएंगी उसी अनुपात से अतिरिक्त धन का प्रबन्ध किए बिना उसकी सिफारिशों पर अमल करना कठिन होगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या सरकार को पता है कि बिहार शिक्षक संघ के सभापति ने आमरण अन्नशन कर रखा है और पंजाब के सरकारी पाठशालाओं के अध्यापकों ने भी भूख हड़ताल करने की धमकी दी है ? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पंजाब, उत्तर प्रदेश, और बिहार और अन्य राज्यों के अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिये शिक्षा मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री भक्त दर्शन : हमें पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के अध्यापकों की भावनाओं का पता है । परन्तु जैसा कि मैं ने वक्तव्य में बताया है, हम उन के लिये भी जो कुछ कर सकते हैं, हम ने कर दिया है ।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या यह सच है कि अन्य राज्यों की तुलना में पश्चिमी बंगाल के अध्यापकों के वेतन सब से कम हैं और वे सभा भवन के सामने अपने वेतन-क्रम के पुनरीक्षण के लिये धरना दिये बैठे हैं । केन्द्रीय सरकार इस मामले को सुलझाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री भक्त दर्शन : माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों के वेतन-क्रम में सुधार करने के लिये, पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी तीसरी योजना में 95·70 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी, परन्तु अब उन्होंने 150·61 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। यही वह अधिक से अधिक कर सकते थे।

श्री दाजी : क्या वहां के अध्यापकों का वेतन-क्रम भारत में सब से कम है ?

श्री भक्त दर्शन : मेरे पास इस संबंध में अभी सूचना नहीं है ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री के इस प्रेस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि केन्द्र ने अपने दायित्व को नहीं निभाया ?

श्री भक्त दर्शन : हम अपने दायित्व और बचनों को ईमानदारी से निभा रहे हैं।

श्री स० मो० पनर्जी : वे प्रश्न को टाल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर दिया जाय कि क्या सरकार को उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री द्वारा समाचार पत्रों में दिये गये वक्तव्य का पता है ।

श्री भक्त दर्शन : हाल ही में शिक्षा मंत्री श्री छागला लखनऊ गये थे और उन्होंने वहां यह वचन दिया था कि हम अपने दायित्व को पूरा करेंगे । हम अपने बचनों को पूरा कर रहे हैं । और भविष्य में भी करेंगे ।

श्री स6 मो० बनर्जी : मेरा प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि केन्द्र ने उन्हें अनुदान नहीं दिया है ।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध योजना से सम्बन्धित है । इस सम्बन्ध में हम योजना आयोग से परामर्श कर के वार्षिक आवंटन करते हैं। और योजना आयोग जो आवंटन करता है, वह योजना के अनुसार होना चाहिये। तदर्थ रूप से कुछ भी करना सम्भव नहीं है ।

डा० रानेन सेन (पूर्व कलकत्ता) : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुये कि मंहगाई बहुत बढ़ गई है, क्या सरकार देश के प्राथमिक और माध्यमिक पाठशालाओं के अध्यापकों की मांगों को पूरा करने के लिये योजना कार्यक्रम के अतिरिक्त खर्चे की भी व्यवस्था कर सकती है ?

श्री भक्त दर्शन : जो कुछ भी वर्तमान परिस्थितियों में संभव है, किया जा रहा है चौथी योजना में हम इससे भी अधिक देने का प्रयास करेंगे ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya: Is it a fact that teachers in U.P. have refused to undertake invigilation work in High School Board and Intermediate examinations to be held this year, and the Government is recruiting new persons for this purpose; if so, why doesn't the Government accede to their demands?

Shri Bhakt Darshan: The teachers in U.P. have given a notice to the this effect that they will not do invigilation work in the examinations to be held by the Board this year. The U.P. Government is making necessary arrangements.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : इस तथ्य को देखते हुए कि बहुत से राज्यों में अध्यापकों के वेतन-क्रम बहुत कम हैं और इस तथ्य को भी देखते हुये कि सरकार उनकी मांग को उचित मानते हुए भी, योजना आवंटन के अन्दर उसको पूरा नहीं कर सकती, क्या राज्यों को योजना के अतिरिक्त धनराशि देने का कोई प्रस्ताव है जिससे वह अध्यापकों से मैत्रीपूर्ण समझौता कर सकें। राज्य सरकारों की मांग यह है कि व्यय के 50 प्रतिशत भाग नियत कर देना चाहिये और योजना के बाहर होना चाहिये। वित्त मंत्री की इस सुझाव के प्रति क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : योजना में आवंटन पहले ही कर दिया गया है। हम राज्यों को एक नियत राशि देते हैं। वह कुछ योजनाओं को त्याग कर उस धन को अन्य प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और यह निश्चय करना राज्य सरकार का कम है कि किस विषय को प्राथमिकता दी जाय न कि केंद्रीय सरकार का।

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor): The Deputy Education Minister told just now that the teachers in U.P. will not do invigilation work. I want to inform him that the principals of colleges have also refused to do invigilation work in colleges. Can the Central give its 50 per cent share, which Shri Chagla promised in Lucknow, so that the teachers do not go on strike.

Shri Bhakt Darshan: The Central and State Governments are showing utmost sympathy. But it is not possible to arrange so much money at once. If the Uttar Pradesh Government can make arrangement for 50 per cent then we will give the rest of the amount.

श्री शिकरे : इस चीज को देखते हुए कि राज्य सरकारें केन्द्र के परामर्श या सुझाव पर ध्यान नहीं देती, क्या भारत सरकार शिक्षा को प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक संघ विषय बनाने पर विचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का प्रश्न है ।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): In a Gandhi Harijan school in Delhi, the teachers have not received their salaries for one and half years, although the school has received the grant from the Government. Has it come to the notice of the Government?

Shri Bhakt Darshan: It has no connection with the question.

Mr. Speaker: If the question relates to Delhi then the Education Minister may reply to it.

Shri Bhakt Darshan: The school to which the member is referring is not a Government School but an aided school on which we have a limited, control. We are presenting a Bill in the House for this purpose.

Mr. Speaker: When the Government is meeting 95 per cent of their expenditure, cannot it ask them to pay salaries to the teachers. The hon. member wants to know when the Central Government is meeting 95 per cent of their expenditure so that they may pay salaries to their teachers, why don't they intervene?

Shri Bhakt Darshan: The situation about this school is complicated, because while some M.Ps. are running the schools, some other M.Ps. are criticising it. But we will re-consider the question of giving aid to this school.

श्री स० चं० सामन्त (तामलुक): किन राज्यों ने अध्यापकों के वेतनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र से अधिक अनुदान की मांग की है ?

श्री भक्त दर्शन : लगभग सभी राज्यों ने मांग की है ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगा बाद): क्या यह सच है कि 1950 के उपरान्त जब भारत गणराज्य बना, तो हमारी सरकार ने अध्यापन कार्य को सबसे उत्तम बताया, परन्तु उनकी सबसे उपेक्षा की गई है, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों का वेतन चपरासियों से भी कम है । उनकी इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ।

श्री भक्त दर्शन : यह सब वक्तव्य में दिया हुआ है ।

Shri Vishram Prasad (Lalgani): Even to-day in U.P. the salary of teachers in certain schools is Rs. 49 per month. A peon in a Central Government department gets double the salary. In view of this fact whether the Government is considering of increasing their salary.

Shri Bhakt Darshan: I feel ashamed in accepting that the teachers in U.P. are getting the lowest salary in the whole of India. Both the State and Central Government are trying to solve this problem.

डा० मा० श्री अणे (नागपुर): क्या अध्यापकों का वेतन उन की आवश्यकता को ध्यान में रख कर निर्धारित किया जाता है, अथवा राज्य सरकार के संसाधनों को देख कर।

श्री भक्त दर्शन: राज्य के संसाधनों को देख कर ?

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Just now he accepted that the teachers in U.P. are getting the lowest salary and that is why they have given a strike notice. In Lucknow Shri Chagla agreed that their demand is just and should be accepted. May I know what special steps have been taken by the U.P. Government to increase their salaries?

Shri Bhakt Darshan: The Education Minister had a long discussion with the authorities in Lucknow. He expressed his sympathy to the demands of the delegation of the teachers but impressed on them not to go on strike.

श्री दाजी: जब अध्यापकों की आवश्यकदाओं के सम्बन्ध में सब सर्वसम्मत हैं और केन्द्रीय और राज्य सरकारों की उनसे सहानुभूति है और कमी केवल संसाधनों की है, तो मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करके स्वीकृत राशि से अधिक धन दे कर अध्यापकों की मांगों को पूरा क्यों नहीं कर देते ?

प्रधान मंत्री तथा अणशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): क्योंकि यह प्रश्न संसाधनों का है, अतः इस पर ध्यानपूर्वक विचार करना पड़ेगा।

श्री स० मो० बनर्जी: यदि आप हस्तक्षेप करें तो हड़ताल समाप्त की जा सकती है।

श्री लाल बहादुर शास्त्री: मैं अभी कोई आश्वासन नहीं दे सकता।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा पटल पर पत्र रखे जायें।

सभा पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

मंत्रियों द्वारा विभिन्न अधिवशनों में, दिये गये विभिन्न आश्वाशन, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखान वाला विवरण

संचार तथा संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): मैं मंत्रियों द्वारा विभिन्न सत्रों में, जो प्रत्येक विवरण के सामने बताया गया है, दिये गये विभिन्न आश्वासनों, बचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दिखाने वाले निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अनुपूरक विवरण संख्या 2 . दसवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(दो) अनुपूरक विवरण संख्या 4 . नवां सत्र, 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या 9 . सातवां सत्र , 1964 (तीसरी लोक-सभा)

(चार) अनुपूरक विवरण संख्या 20 दूसरा सत्र, 1962 (तीसरी लोक-सभा)

(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या 22 पहला सत्र, 1962 (तीसरी लोक-सभा)

(छः) अनुपूरक विवरण संख्या 23 . तेरहवां सत्र, 1961 (दूसरी लोक-सभा)

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल०टी०--3862/65 से 4867/65]।

हथकरघा सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप का प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): मैं हथकरघा सम्बन्धी कार्यकारी ग्रुप के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०-3868/65]**

नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर की वर्ष 1963-64 की वार्षिक रिपोर्ट और इसकी सरकार द्वारा समीक्षा

उद्योग तथा सम्भरण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र): मैं श्री त्रि० ना० सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :--

(एक) समवाय अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत नेशनल न्यूज़प्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड, नेपानगर की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिदवेन, लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल०टी०--3869/65]

प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड, कोट्टयम की वर्ष 1963-64 का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० राम स्वामी): मैं केरल राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 10 सितम्बर, 1964 की उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (3) के अन्तर्गत, प्लान्टेशन कारपोरेशन आफ केरल लिमिटेड, कोट्टयम की वर्ष 1963-64 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०--3870/65]

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (केरल) 1964-65

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS (KERALA), 1964-65

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी): मैं वर्ष 1964–65 के लिए केरल राज्य सम्बन्धी अनुदानों की अनुपूरक मागें दिखाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संचार तथा संसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 2 मार्च, 1965 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिए इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट पद पर विचार।

(2) 1965–66 के लिए रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा।

(3) 1965–66 के लिए अनुदानों को मांगों (रेलवे) पर चर्चा तथा मतदान।

श्री दाजी (इंदौर): जब भी कोई विषय किसी सप्ताह के कार्यक्रम में रखा जाता है, और उस सप्ताह में लिया नहीं जाता तो सदस्यों को बहुत असुविधा होती है। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा कि जब भी किसी सप्ताह का कार्यक्रम घोषित हो तो उसके साथ साथ समय का स्थूल अनुमान भी देना चाहिये। हमें आय-कर (संशोधन) विधेयक, अनुदानों की अनुपूरक मांगों और रेलवे बजट के लिए तैयारी करनी है। अभी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही चर्चा समाप्त नहीं हुई है। आयकर संशोधन विधेयक शायद दो सप्ताह उपरान्त प्रस्तुत हो। इससे हमारे कार्यक्रम में गड़बड़ी हो जाती है।

श्री सत्य नारायण सिंह: मैं इसको ध्यान में रखूंगा। कभी कभी सभा का कार्य शीघ्र समाप्त हो जाता है तो हमें बहुत कठिनाई होती है। इस स्थिति से बचने के लिए कुछ अतिरिक्त कार्य शामिल कर लिया जाता है।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर): संसद्-कार्य मंत्री ठीक कह रहे हैं, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव अथवा किसी और ऐसी चीज के बारे में वह अनुमान नहीं लगा सकते। मेरा निवेदन यह है कि जिस प्रकार गैर-सरकारी कार्य के लिये प्रत्येक शुक्रवार को $2\frac{1}{2}$ घंटे दिये जाते हैं उसी प्रकार अनियत दिन वाले प्रस्तावों के लिए भी प्रत्येक सप्ताह कुछ समय दिया जाना चाहिये। यद्यपि हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं फिर भी कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय उठ खड़े होते हैं जिनपर चर्चा आवश्यक हो जाती है। इसलिये प्रत्येक बुधवार, या अन्य किसी दिन $2\frac{1}{2}$ घंटे ऐसे कार्य के लिये दिये जाने चाहिये।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर): मैं श्री माथुर का अनुमोदन करता हूं। अनियत दिन वाले प्रस्तावों के अन्तर्गत लोक उपक्रमों के प्रतिवेदनों पर चर्चा होती है। अतः प्रत्येक वीरवार को "अनियत दिन वाले प्रस्तावों" के अन्तर्गत लोक उपक्रमों पर चर्चा होनी चाहिये।

हमें यह भी पता होना चाहिये कि अगले सप्ताह का क्या कार्यक्रम है और उसमें कितना समय लगेगा ।

Shri Madhu Limaye (Monghyer): I want to know whether the discussion on Shri Nanda's statement about arrest of communists will take place next week.

Mr. Speaker: It will not take place next week.

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : जब भी हमने पिछले दिन की पूरी कार्यवाही में भाग नहीं लिया होता तो हमें बहुत कठिनाई होती है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि जब भी सरकार ने कोई महत्वपूर्ण घोषणा करनी हो तो इसे कार्य सूची में शामिल कर देना चाहिये । जैसे कि कल प्रधान मंत्री ने भाषा के बारे में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य दिया था, यह केवल संयोगमात्र है कि हम उपस्थित थे नहीं तो हम उसे नहीं सुन पाते ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चाहते हैं कि अनियत दिन वाले प्रस्तावों को प्रत्येक सप्ताह लिया जाये ।

श्री सत्य नारायण सिंह : अभी तक तो परम्परा यह थी कि अनियत दिन वाले प्रस्तावों को बजट अधिवेशन में नहीं लिया जाता । अन्य अधिवेशनों में प्रत्येक सप्ताह में अनियत दिन वाले प्रस्तावों के लिये एक दिन नियत किया जाता है । कभी कभी अन्य महत्वपूर्ण चीजों के कारण इन प्रस्तावों को नहीं लिया जाता । परम्परानुसार बजट अधिवेशन में जब तक वित्तीय कार्य पूरा नहीं हो जाता कोई भी "अनियत दिन वाला प्रस्ताव" नहीं लिया जाता, परन्तु जब वित्तीय कार्य पूरा हो जाता है तो इस कमी को पूरा कर दिया जाता है ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : गत सत्र में तो कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं था ।

श्री सत्य नारायण सिंह : परम्परा यह रही है कि वित्तीय कार्य समाप्त होने के बाद 'अनियत दिन वाला प्रस्ताव' ले लिया जाता है ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : श्री नन्दा के वक्तव्य सम्बन्धी अनियत दिन वाला प्रस्ताव' पहले लिया जाना चाहिए । और इस तरह के एक दो प्रस्ताव हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण हैं । इस तरह के प्रस्तावों के बारे में उपसमिति में निर्णय होता है । नियम 193 के अन्तर्गत भी कुछ प्रस्ताव आ जाते हैं । उसके लिये तो एक मास की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती ।

श्री नाथपाई (राजापुर): मेरे विचार में थोड़ी देर अधिक बैठना चाहिए । 193 नियम के अन्तर्गत हमें एक प्रस्ताव प्रति सप्ताह ले लेना चाहिए ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं इस सुझाव का अनुमोदन करती हूं ।

अध्यक्ष महोदय : हम देखेंगे कि सप्ताह में एक बार ऐसा प्रस्ताव लेना सम्भव है कि नहीं ।

श्री सत्य नारायण सिंह : समय को देख कर उसका निर्णय कर लिया जायेगा ।

गोपनीय दस्तावेजों के बारे में विनिर्णय
RULING RE: SECRET DOCUMENTS

विधि तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : सरकार उन दस्तावेजों में से किसी दस्तावेज (उड़ीसा के मुख्य मंत्री के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों में केन्द्रीय गुप्त सूचना ब्यूरो की जांच सम्बन्धी रिपोर्ट) के सभा पटल पर कुछ सदस्यों द्वारा रखे जाने का विरोध करती है। प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम के नियम 389 के अन्तर्गत अध्यक्ष को यह विवेक दिया गया है कि वह किसी सदस्य को किसी दस्तावेज के सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे या न दे। उस दस्तावेज के, जिस में से किसी सदस्य ने उद्धरण रखे हैं, स्थिति यह है कि वह दस्तावेज सदस्य को सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हुई है। यह दस्तावेज सदस्यों को उन व्यक्तियों की रजामन्दी के बिना प्राप्त हुई है जिनके यह विधिवत् कब्जे में थी तथा इस प्रकार की दस्तावेज के बारे में कुछ बताना विधिक रूप से ठीक प्रक्रिया नहीं है। अध्यक्ष इस बारे में कई बातों को विचार में रखते हुए, जिसमें आम जनता की सुरक्षा तथा उसका हित भी है, अपने विवेक का प्रयोग करेगा। जब तक संबन्धित सदस्य यह नहीं बताता कि वह उसके कब्जे में विधिवत् कब्ज से कैसे आई, उस समय तक अध्यक्ष को उस दस्तावेज के सभा-पटल पर रखे जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

वाद-विवाद का आम सिद्धांत यह है कि किसी दस्तावेज का तब तक हवाला नहीं दिया जा सकता जब तक कि यह सभा पटल पर रखे जाने के बाद सभा के अभिलेख का भाग नहीं बन जाता। हमारे कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 369 (1) के अन्तर्गत किसी दस्तावेज को उस समय तक सभा पटल पर नहीं रखा जा सकता जब तक कि प्रस्तुत करने वाला सदस्य उसका, उचित रूप से प्रामाणीकरण नहीं करता। इस मामले दस्तावेज का प्रमाणाकरण नहीं किया गया है। यदि किसी दस्तावैज को सभा पटल पर रखने की अनमति दे दी जाती है तो नियम संख्या 369(2)के अन्तर्गत वह सार्वजनिक दस्तावेज बन जाता है और उसे कोई भी व्यक्ति प्रकाशित कर सकता है। इस प्रकार उसकी सारी गोपनीयता समाप्त हो जाती है।

इसके अतिरिक्त दस्तावेज में कई व्यक्तियों पर सांकेतिकलांछन लगाए हैं जिसके बारे में कोई मूल प्रस्ताव नियम 41 (2) (9) और नियम 352 (5) के अन्तर्गत ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इन सब विचारणीय बातों का सामूहिक रूप से एक प्रभाव हो अर्थात् कि अध्यक्ष किसी ऐसे दस्तावेज को सभा पटल पर रखने की अनुमति न दें जिसे सभा पटल पर रखने के हेतु विधिवत् कब्जे में से न लिया गया हो और उसे समुचित प्रकार से सभा के अभिलेख का भाग न बनाया गया हो।

श्रीमान जी, में इस वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए आपके सम्मान के पूर्ण रूप से जागरूक हूं। आप अध्यक्ष हैं। मेरा निवेदन है कि आपके प्राधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा।

श्री नाथ पाई (राजापुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक महत्वपूर्ण विनिर्णय की ओर आकृष्ट करवाना चाहता हूं, जो कि इसी सदन ने दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे केवल उसका नाम बता दिया जाय।

श्री नाथ पाई : यह मामला दूसरी लोक सभा में 8 अगस्त से 12 अगस्त तक के बीच ग्यारहवें सत्र में हुआ था। इस बारे में आप दूसरी लोक-सभा के ग्यारहवें सत्र के 8 से 12 अगस्त के वाद-विवाद के कालम 1683 को देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन सभी मामलों को देख लिया है । मेरी इच्छा थी कि विधि मंत्री का मत मुझे अपना विनिर्णय देने से पूर्व प्राप्त हो जाता तो अच्छा था, परन्तु अब तो मैं सीधे तौर पर अपना मत व्यक्त कर रहा हूं । मुझे आशा है कि माननीय सदस्य मेरे साथ सहयोग करेंगे ।

गुप्त प्रलेखों से उद्धरण देने अथवा उनकी प्रतियां को सभापटल पर रखने के सम्बन्ध में सदस्यों के अधिकार

22 फरवरी, 1965 को जब श्री प्र० के० देव ने प्रधान मंत्री महोदय के वक्तव्य पर अपना प्रश्न आरम्भ किया हो उन्होंने कहा 'मैं उद्धृत करता हूं' और तब वह उद्धृत करने लगे ।

मैंने पूछा आप कहां से उद्धरण दे रहे हैं ?

उन्होंने कहा 'सी० बी० आई० (केन्द्रीय गुप्तवार्ता विभाग) के प्रतिवेदन से '
मैंने एक ऐसे प्रलेख से, जिसकी उनके पास होने की आशा नहीं की जा सकती थी, उद्धरण देने के उनके अधिकार को चुनौती दी ।

सी० बी० आई० केन्द्रीय सरकार का एक अभिकरण है जो कि उसे सौंप गये मामलों के बारे में जांच करता है तथा सरकार को अपना प्रतिवेदन देता है । सरकार तब उन मामलों पर निर्णय करती है ।

वर्तमान मामले में सरकार द्वारा प्राप्त कुछ शिकायतों को जांच किये जाने तथा प्रतिवेदन के हेतु सी० बी० आई० को भेज दिया गया था । सी० बी० आई० के वह कर लिया । सरकार ने उस पर निर्णय ले लिया और उनकी घोषणा प्रधान मंत्री महोदय द्वारा की गयी । हमारे सामने ये प्रश्न हैं :—

(1) क्या कोई सदस्य सरकार द्वारा गुप्त अथवा गोपनीय समझे जाने वाले किसी प्रलेख से, जिसके बारे में सरकार लोक-हित में जानकारी देने से हिचकिचाती है, उद्धरण कर सकता है ?

(2) क्या सरकार ऐसी किसी जांच अथवा प्रतिवेदन को, सदस्यों द्वारा उसके सभापटल पर रखे जाने की मांग किये जाने पर, रोक सकती है ?

(3) क्या एक प्रलेख को, जिसकी प्रतियां सदस्यों में परिचालित हो गयी हैं और जिसके उद्धरण समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हो चके हैं, फिर भी गुप्त अथवा गोपनीय समझा जा सकता है ?

(4) क्या सरकार को, किसी ऐसे दस्तावेज की जिसे यह गुप्त अथवा गोपनीय समझती है, किसी कथित प्रति की यथातथ्यता के बारे में स्वीकार करने अथवा इन्कार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है ?

(5) क्या कोई सदस्य, किसी ऐसी प्रति से जो उसे किसी स्रोत से प्राप्त हुई हो जिसके बारे में यह बताने के लिये तैयार नहीं है, जबकि सरकार मूल प्रति को गुप्त अथवा गोपनीय समझती है और उसे वह सभापटल पर रखने को तैयार नहीं है, उद्धरण कर के अध्यक्ष, सभा तथा सरकार को अचानक ही अचम्भे में डाल सकाहै?

(6) ऐसी प्रतियां, यदि सच पाई गई, किसी प्रकार प्रकट होने अथवा चोरी अथवा किसी अनियमित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। क्या किसी सदस्य को ऐसी किसी प्रति का निर्देश करने का पूर्ण अधिकार है अथवा लोक-हित में या देश की सुरक्षा के लिये उसकी इस स्वतंत्रता पर नियंत्रण रखा जा सकता है ?

निस्सन्देह ही किसी सदस्य को वाक-स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें किसी पत्र, दस्तावेज, पुस्तक अथवा प्रकाशन के बारे में निर्देश किया जाना भी सम्मिलित है और उसके विरुद्ध किसी बाह्य प्राधिकारी अथवा अभिकरण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। किन्तु जहां तक इस स्वतंत्रता की छूट का सम्बन्ध है यह स्वतंत्रता उसे पूर्ण रुप में प्राप्त नहीं है। सदस्य को बहुत संयम से काम लेना होता है और उसे पहले अपने आपका सन्तोष करना पड़ता है कि जो दस्तावज उसके अधिकार में है वह असली है। फिर संविधान के उपबन्धों तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार अध्यक्ष द्वारा उस पर उचित रोक लगाई जाती है।

"अतः यह कहा जा सकता है कि संसद में भाषण और कार्य निर्विवाद तथा निर्बाध होंगें। परन्तु इस बाह्य प्रभाव तथा हस्पक्षेप की इस स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि सदन में भाषण को कोई अनियंत्रित छूट है।" [एनसन, खण्ड 1 (पार्लियामेंट), पृष्ठ 170]

22 फरवरी को इस विषय पर चर्चा के दौरान, श्री अजित प्रसाद जैन ने कहा था कि "सभा के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या यह लोक हित में है कि कोई सदस्य अवैध रूप से प्राप्त की गई जानकारी को, जो राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत अपराध है, उपयोग में लाये।"

मैंने ब्रिटेन के हाउस आंफ कामन्स में कार्यप्रणाली का अध्ययन किया है। और यह अच्छा ही होगा कि में हाउस आंफ कामन्स में राजकीय रहस्य अधिनियमों पर प्रवर समिति के, जिस ने एक ऐसे ही मामले की छानबीन की थी, प्रतिवेदन से कुछ उद्धरण कर दूं :—

"आप की समिति का यह मत है कि संसद में वाद-विवाद अथवा कार्यवाही के दौरान सदस्यों द्वारा प्रकट की गई बातों को राजकीय रहस्य अधिनियमों के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने का विषय नहीं बनाया जा सकता है।"

यह सदस्य के मूलभूत विशेषाधिकार पर आधारित है कि उसे सदन में वाक-स्वातंत्र्य प्राप्त है। और चूंकि हमारे संविधान के अन्तर्गत इस सदन के सदस्यों को भी एक ऐसा ही विशेषाधिकार प्राप्त है, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि गुप्त अथवा गोपनीय दस्तावेज से उद्धृत करने से अथवा सभा पटल पर उसकी एक प्रति रखने पर, कोई सदस्य राजकीय रहस्य अधिनियम के अधीन कोई अपराध नहीं करेगा।

इस बारे में मैं सदस्यों का ध्यान प्रतिवेदन की एक और कंडिका की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"हाउस आंफ कामन्स को अपने सदस्यों पर अनुशासनीय अधिकार प्राप्त हैं और जो सदस्य अपने वाक विशेषाधिकार का दुरुपयोग करता है उसको न केवल सभा की सेवा से मुअत्तली का अपितु कारावास अथवा सदन से निष्कासन का भी या दोनों प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है। परन्तु राज्य की सुरक्षा के अहित में संसदीय विशेषा-

धिकार के दुरुपयोग को रोकने के लिये आप की समिति दण्ड व्यवस्था पर इतनी निर्भर नहीं रहना चाहती जितनी कि सदस्यों के सद्विवेक पर, क्योंकि सदस्य भी इस दुरुपयोग को रोकने के लिये उतने ही चिंतित हैं जितने कि मंत्रिगण ।"

संविधान के अनुच्छेद 105 (1) में यह व्यवस्था है कि "इस संविधान के उपबन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में वाक-स्वातंत्र्य होगा ।"

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बंधी नियमों के नियम 368 में यह व्यवस्था है कि--

"यदि कोई मंत्री सभा में किसी ऐसे प्रेषण-पत्र या अन्य राज-पत्र को उद्धत करे जो सभा के समक्ष नहीं रखा गया हो तो वह संगत पत्र को पटल पर रखेगा ।

परन्तु यह नियम एसे किसी दस्तावेज पर लागू नहीं होगा जिसे मंत्री ऐसे स्वरूप का बतायें जिसका पेश किया जाना लोक-हित के प्रतिकूल होगा ।

परन्तु यह और भी कि जब मंत्री ऐसे प्रेषण-पत्र या राज-पत्र का अपने शब्दों में संक्षेप या सारांश बता दे तो संगत पत्रों को पटल पर रखना आवश्यक नहीं होगा ।"

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 389 में यह उल्लेख हुआ है कि "ऐसे सब विषय जिनका इन नियमों में विशिष्ट रूप से उपबन्ध न किया गया हो और इन नियमों की विस्तृत क्रियान्विति से सम्बंधित सब प्रश्न ऐसी रीति से विनियमित किये जायेंगे जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश दें ।"

अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशों के निदेश 117 में यह दिया हुआ है कि "अध्यक्ष द्वारा अधिकृत होने पर कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा-पटल पर कोई पत्र रख सकेगा ।" निदेश 118 में यह और दिया हुआ है कि "यदि कोई गैर-सरकारी सदस्य सभा पटल पर कोई पत्र अथवा दस्तावेज रखना चाहे, तो वह पहले से उसकी एक प्रति अध्यक्ष को देगा ताकि वह यह निश्चय कर सके कि क्या पत्र अथवा दस्तावेज को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दी जाये ।" इस निदेश में आगे कहा गया है कि "यदि कोई सदस्य अपने भाषण के मध्य अध्यक्ष को किसी पत्र अथवा दस्तावेज की प्रति देने के पूर्व ही उसे सभा-पटल पर रखना चाहे, तो वह उसे पटल पर दे सकता है, किन्तु वह तब तक सभा-पटल पर रखी नहीं समझी जायेगी, जब तक अध्यक्ष उसकी परीक्षा करने के बाद आवश्यक अनुमति न दे दे ।"

प्रक्रिया नियम और निदेश इस प्रश्न पर मौन हैं कि क्या कोई सदस्य किसी ऐसे पत्र में से उद्धरण दे सकता है जिसको सरकार गप्त या गोपनीय समझती है और बताना नहीं चाहती । अतः मेंने पिछली प्रथाओं तथा पूर्वोदाहरणों को देखा है । जहां तक लोक-सभा का सम्बन्ध है, ये पूर्वोदाहरण सुसंगत हैं :--

(1) फरवरी, 1958 में श्री फिरोज गांधी ने अपने भाषण में वित्त मंत्री के मुख्य वित्तीय सचिव को दिये गये कुछ टिप्पणों का निर्देश किया । उन्होंने अपने भाषण में उनसे उद्धरण भी दिया । जब यह आपत्ति उठाई गई कि माननीय सदस्य को यह दस्तावेज किस प्रकार प्राप्त हुए, तो श्री फिरोज गांधी ने कहा, "यदि में अपनी सूचना के सब साधन प्रकट कर देता तो यह जांच कभी भी न होती । में नहीं बता सकता ।"

अध्यक्ष ने व्यवस्था के प्रश्न पर अपना निर्णय देते हुए कहा "सूचना का साधन प्रकट करना आवश्यक नहीं है । विधि न्यायालयों में यह बार बार माना गया है कि यदि कोई दस्तावेज चोरी से भी प्राप्त किया गया हो, तब भी यदि यह यथार्थ हो तो साक्ष्य के लिये ग्राह्य है ।" सदस्य ने फिर दस्तावेज को सभा पटल पर रख दिया ।

(2) 3 अप्रैल, 1963 को विधि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए भी श्री होमी दाजी ने दो बीमा कम्पनियों , अर्थात् न्यू एशियाटिक इन्श्योरेंस कम्पनी और रूबी जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी के कार्य पर लेखा-परीक्षकों के प्रति- वेदनों से उद्धरण दिया, जिन को सरकार पहले सभा-पटल पर इस आधार पर रखने के लिए तैयार नहीं हुई थी कि ऐसा करना लोक-हित में नहीं होगा । श्री दाजी से पूछा गया कि क्या वह उनको सभा-पटल पर रखने को तैयार हैं । और सभापति ने उन्हें यह प्रमाण-पत्र देने पर ऐसा करने की अनुमति दे दी कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत ज्ञान से यह सत्यापित कर लिया है कि यह दस्तावेज सरकार के पास मूल दस्तावेज की सही प्रति है ।

(3) 4 मई, 1963 की सर्वश्री होमी दाजी और स० मो० बनर्जी ने सभा में प्रश्न उठाया कि विवियन बोस आयोग के प्रतिवेदन पर महान्यायवादी तथा श्री शास्त्री के प्रतिवेदन के प्रथम भाग को किसी 'मेहरचन्द खन्ना' ने अध्यक्ष तथा कुछ संसद् सदस्यों में पहले ही परिचालित कर दिया था । उन्होंने यह तर्क दिया कि उक्त दस्तावेज के, जिसे सरकार ने गोपनीय घोषित किया था, गोपनीय न रहने के कारण प्रतिवेदन के प्रथम भाग को भी पटल पर रख दिया जाना चाहिये । उस दिन सथा में इस मामले पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई । अन्त में, सदस्य के पास जो प्रति थी वह संसद्- कार्य मंत्री को दे दी गई जिन्होंने कहा कि सरकार इस बात की जांच करेगी कि यह दस्तावेज असली है या नहीं ।

6 मई, 1963 को उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य दिया और अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा :

> "क्योंकि दफतरी -शास्त्री प्रतिवेदन का यह भाग पहले ही परिचालित हो चुका है सरकार प्रतिवेदन के इस भाग को गोपनीय समझते रहने में अब कोई लाभ नहीं समझती । अतः मैं इसे सभा-पटल पर रखता हूं ।"

मैं ने इंगलैंड के हाऊस आफ कामन्स के कार्य संचालन का पता लगाने का भी प्रयत्न किया है । मेरे समक्ष यह दष्टांत रखा गया है :

28 फरवरी, 1945 को जब एक सदस्य ने एक गुप्त संलेख से उद्धरण दिया, तो वैदेशिक सचिव , श्री ईडन ने अन्य बातों के साथ-साथ ये विचार व्यक्त किये :

> "मैं नहीं जानता कि मेरे माननीय मित्र के पास पूर्ण दस्तावेज हैं।

> वास्तव में, मैं नहीं जानता कि उन के पास क्या है ..... मेरे माननीय मित्र ने मुझे यह नहीं बताया था कि वह गोपनीय दस्तावेज में से पढ़ने वाले हैं ..... । मैं अब उन दस्तावेजों की जांच करूंगा और उन्हें पटल पर रखूंगा । मैं अपने माननीय मित्र से यह नहीं पूछता कि उन्होंने यह गोपनीय संलेख कैसे प्राप्त किया है ।"

जब एक सदस्य ने कहा कि क्या उन दस्तावेजों को पटल पर रखने का दायित्व है, तो सभापति ने यह निर्णय दिया : "यह नियम है कि ऐसे दस्तावेज सभा पटल पर रखे जाने चाहियें परन्तु यह लोक-हित में न हो या वे दस्तावेज निजी या गोपनीय हों तो उन्हें पटल पर रखना अपेक्षित नहीं है ।" स्थिति को अधिक स्पष्ट करते हुये श्री ईडन ने कहा, "किसी दस्तावेज को पटल पर रखना अनिवार्य नहीं है जब तक कि उसमें से उद्धरण न दिया जाये। मैंने इस में से उद्धरण नहीं दिया है । मैं ने इसकी ओर निर्देश मात्र किया है । हमारा विचार उन दस्तावेजों को पटल पर रखने का है परन्तु मुझे दूसरों से विचार विमर्श करना होगा ।"

संवैधानिक स्थिति, पूर्व उद्धाहरण तथा सामान्य संसदीय कार्य-प्रणाली की जांच करने के पश्चात अब मैं नीचे अपने निश्ष्कर्ष देता हूं जो कि मैं ने पहले उल्लेख भी कर दिये हैं।

(1) साधारणतया कोई सदस्य उस दस्तावेज के उद्धाहरण दे सकता है जिसको सरकार गुप्त अथवा गोपनीय समझती है और जिसे सरकार ने लोक-हित में प्रकट नहीं किया है ।

(2) सरकार ऐसा दस्तावेज सभा-पटल पर रखने को बाध्य नहीं है, और अध्यक्ष सरकार को उसे रखने के लिये बाध्य भी नहीं कर सकता, यदि सरकार की यही राय है कि ऐसा करना लोक-हित में नहीं है ।

(3) ऐसे दस्तावेज पर, जिसकी प्रतियां सदस्यों में परिचालित की गई है या पूर्ण रूप से अथवा अंशत: समाचार पत्रों में प्रकाशित हो चुका है, विचार करना सरकार का काम है कि यह अभी भी गुप्त या गोपनीय समझी जायगी और सभा-पटल पर नहीं रखी जायगी ।

(4) जब कि सरकार को किसी दस्तावेज की कथित प्रति, जो गुप्त या गोपनीय वर्गीकृत की गई है, यथातथ्यता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जो सदस्य ऐसे दस्तावेज के उद्धाहरण देता है, उस के लिए यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि उस ने व्यक्तिगत ज्ञान से यह पुष्टि की है कि यह दस्तावेज सरकारी मूल दस्तावेज की सही प्रति है, और वह ऐसा अपने उत्तर-दायित्व पर करेगा, और अध्यक्ष उसे बोलने की अनुमति दे देंगे ।

यदि सदस्य इस नियम के अनुसार प्रमाण-पत्र देने के लिए तैयार नहीं है और वह फिर भी उस दस्तावेज में से उद्धाहरण करने पर जोर देता है तो अध्यक्ष महोदय सरकार से उस दस्तावेज के प्रमाणित होने के बारे में पता लगा सकते हैं और तत्पश्चात् उस दस्तावेज के प्रमाणित होने अथवा उस के विपरीत होने के बारे में जो निर्णय अध्यक्ष महोदय दें वह अंतिम माना जायेगा ।

जब सरकार किसी कथित प्रति की यथातथ्यता को स्वीकार करने अथवा इंकार से मना करे तो अध्यक्ष सदस्य को आगे बोलने की अनुमति देंगे । यह सरकार का काम है कि वह जो उत्तर उचित समझे दें और संविधान तथा नियमों के अधीन मामले को निपटाने के लिए सभा के पास पर्याप्त शक्ति है ।

(5) साधारणतया, किसी सदस्य से यह आशा नहीं की जाती कि वह किसी ऐसे दस्तावेज़ से, जिसे प्रकट नहीं किया गया है, उद्धरण दे कर अध्यक्ष, सभा तथा सरकार के लिए आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न करे ।

सब के प्रति उचित भावना का ध्यान रखते हुए तथा संसदीय परम्पराओं के अनुसार सदस्य को चाहिए कि वह अध्यक्ष तथा सरकार को ऐसे मामले से पहले ही अवगत कर दे ताकि जब यह मामला संसद् में उठाया जाय तो वे उस से निबटने के लिए लिए तैयार रहें । यदि यह शर्त पूरी नहीं की गई तो अध्यक्ष महोदय उस सदस्य को उस दस्तावेज में से उद्धरण देने से रोक सकते हैं और उस सदस्य को आदेश दे सकते हैं कि इससे पहले वह उस दस्तावेज में से उद्धरण दे, अध्यक्ष को उसकी एक प्रति दे ।

(6) यह सच है, कि ऐसा दस्तावेज़ जिसकी सरकार को गुप्त अथवा गोपनीय समझती है , जो उसके प्रकट होने, चोरी अथवा किसी अनियमित ढंग से प्राप्त की जा सकती है, परन्तु अध्यक्ष उस सदस्य को बाध्य नहीं कर सकता कि वह बताये कि उसने ये प्रतियां किस स्रोत से प्राप्त की है ।

(7) जैसा मैंने ऊपर कहा, सदस्य को ऊपर बताई गई शर्तों के अन्तर्गत ऐसे दस्तावेज़ से उद्धरण देने का अधिकार है, । किन्तु अध्यक्ष के पास सर्वोच्च अधिकार हैं और वह अपनी निहित शक्तियों के अधीन किसी सदस्य को राष्ट्र के हित की दृष्टि से जहां देश की सुरक्षा अन्तग्रस्त हो, किसी दस्तावेज़ से उद्धरण देने से रोक सकता है । मैं मानता हूं कि ऐसे मामले बिरले ही होंगे किन्तु अध्यक्ष के पास ऐसी शक्ति है और वह इसका प्रयोग कर सकता है, कोई कारण बताए बिना कर सकता है ।

इस निर्णय के अनुसार यदि श्री प्र० के० देब उस दस्तावेज से उद्धरण देना चाहते हैं, जिसे वह सी० बी० आई० का प्रतिवेदन बताते हैं, तो उन्हें वह दस्तावेज पहिले मुझे विहित प्रमाण-पत्र के साथ देना चाहिये ।

श्री हरि विष्णु कामत : स्पष्टीकरण के प्रश्न पर, मेरा निवेदन है कि आपने कहा है कि वह प्रतिविहित प्रमाण पत्र के साथ ही आपको दी जा सकती है । क्या मैं उसे आपको दे सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : जब समय आयेगा तब देख लिया जायेगा ।

श्री हरि विष्णु कामत : आपने कहा है कि सदस्य को उसमें से उद्धरण देने का अधिकार है ।

अध्यक्ष महोदय : जब इस मामले पर माननीय सदस्य आगे चलेंगे तो समय आने पर इसे देखेंगे । अब आज का अगला कार्य लिया जायेगा ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव--जारी

MOTION ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

अध्यक्ष महोदय : जब श्री हेंडा द्वारा 19 फरवरी, 1965 को प्रस्तुत तथा महाराज-कुमार विजय आनन्द द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित प्रस्ताव पर और आगे चर्चा होगी अर्थात् :—

"कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिए, जो कि उन्होंने 17 फरवरी, 1965 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी है । "

मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री कब उत्तर देंगे ?

प्रधान मंत्री और अणुशक्ति मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) : सोमवार, को छुट्टी है अत: मैं मंगल को 4.15 म० प० पर उत्तर दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय : हम 4.15 म० प० तक अन्य कार्य लेंगे और 4.15 म० प० पर प्रधान मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कहा जायेगा । अ.ज 2.30 तक इसी पर चर्चा चलेगी ।

Shri Jena (Bhadrak): Mr. Speaker, Sir, The Address of the President depicts a vivid picture of the whole country before us. I admit that our country wants both a good Government as well as a healthy opposition in the Parliament. We started five year plans after the achievement of our independence and two plans have since been completed and the country is day by day, achieving progress. During the last three General Elections held the Congress Party has emerged as victorious party with overwhelming majority giving a thrashing defeat to all the opposition parties. The opposition, on the other hand, have always been trying tooth and nail to mould public opinion against the Congress Government; but the public has never reposed its confidence in them.

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई ।]

[Dr. Sarojini Mahishi in the Chair]

The foreign high dignitaries often pay their visits to India and they have always appreciated the progress that we have made or achieved in our country during all these seventeen years. The opposition Parties can, no doubt, criticise the Government. But it should be there only when the latter commits mistakes. At the same time they should approve of good thing that is achieved by the Government. It is really a matter of utter surprise that the leaders on the opposite have made it a fashion of the day to criticise and

condemn every policy adopted or followed by the Government irrespective of its merits and demerits. I can say that the progress of a country does not merely depend upon the working of the Government but it requires the co-operation of other parties and the public also with a view to achieve it.

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए ।]

[*Mr. Deputy Speaker in the Chair.*]

Our aim is to build a Socialistic pattern of Society. It has been a very popular structure of our Society since the ancient times; but we have gone far off the track only because of the foreign yoke that dominated us for a very long time.

We talk of a Socialistic pattern of Society. It is practically very tremendous task to achieve as there are many obstacles and diversities on the way leading to such a goal.

We all have a desire for the eradication of corruption, but it is not so easy to uproot it as it is to talk of it. We can defiine the 'theft' as something carried off or taken away without the consent of its owner. For example, take this CBI Report which is treated as confidential or secret, has been obtained by a member of our Parliament. Is it not an attempt to give incentives to the corrupt practices or vices what will be the fate of this country when the Members of Parliament indulge in activities of this kind? It is certainly a depravity. If fail to understand as to whether activities of this kind would help eradicate corruption. If we sincerly wish to uproot the corruption in this country we shall have to be very strict on the score of moral conduct.

I hail from orissa which is divided into two parts; one of these parts is poverty stricken and the people living therein are called the "Sukhvasis" But they do not have houses to live in and clothes to wear.

Two General Elections have taken place but nothing has so far been done for the good of the people of Orissa. Third time also, when the mid-term elections were held, the Congress Party was the victorious which formed its Government there. Now there are some people who do not want this Government to continue there. That is why some talented people of orissa have devised a scheme to see that the State Government may be compelled to step down and they are trying to implement it by way of making propaganda and levelling various charges against the present Government thus they wish to achieve their end.

श्री काशी नाथ दुरै (अरुप्पुकोट्टै) : उपाध्यक्ष महोदय, धनुषकोटि तथा रामेश्वरम् द्वीप में भाषा सम्बन्धी दंगा हुए हैं किन्तु सरकार ने प्रशंसनीय ढंग से स्थिति को संभाला है। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह रामेश्वरम् द्वीप से लंका तक नौ-वहन सेवायें चालू करें और रामेश्वरम् का तलाईमनार से छोटी नौ-वहन सेवाओं द्वारा सम्बन्ध स्थापित करें।

सरकार को सेतुसमुद्रम परियोजना का काम जल्दी चालू कर देना चाहिये। इससे उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा जो बर्मा, लंका और अन्य निकटवर्ती देशों से वहां आये

हुये हैं । सरकार को तंजौर-रान्थाद-तिरुनेवेली तट, पूर्वी तट को सुरक्षित रखने की व्यवस्था करनी चाहिये, हमें एक छोटा नौ-सैनिक अड्डा वेलीनोक्कम में भी बनाना चाहिये क्योंकि प्राप्त समाचारों के अनुसार चीनी बड़ी संख्या में लंका में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं । सरकार को मद्रास में विशेषकर मुदुकुलाधुर नामक स्थान पर——उस क्षेत्र के विकास के लिए एक सैनिक स्कूल खोलना चाहिये ।

राष्ट्रपति जी, ने अपने अभिभाषण में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में भी चर्चा की है । किन्तु इस क्षेत्र में उन लोगों को केवल मकान के लिए भूमि दी जा रही है । मेरा अनुरोध है कि उन्हें मकान बनाने के लिए भी आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की जानी चाहिये । इस कार्य में आवश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय सरकार को भी आर्थिक सहायता देनी चाहिये ।"

जहां तक सरकार की सहअस्तित्व की और गठबन्धनों से अलग रहने की नीति का सम्बन्ध है, विरोधी दलों के लोग जनता में इस नीति की गलत तौर पर व्याख्या करके जनता को गुमराह करते हैं । अतः सरकार को चाहिये कि वह अपनी इस नीति का सही-सही दृष्टिकोण जनता के सामने रखने का काम पंचायतों के ग्रामसेवकों को सौंप दे ।

गत 10 वर्षों से मद्रास में जो कुछ हो रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगा । श्री ई. वी. रामास्वामी निकेर ने मद्रास राज्य में ब्राह्मण-विरोधी आन्दोलन चालू किया जिसे द्राविड़ कर्जगम कहा गया । उन्होंने धर्म पर भी आक्षेप करना आरम्भ किया और गणेश और श्रीराम जी की मूर्तियां भी तोड़ डाली । तब से मद्रास राज्य में धर्म-विरोधी प्रचार जारी है । इससे हमारी देश की एकता भी खतरे में पड़ती है। श्री निकेर की वर्तमान नीति तथा गतिविधियों से पता चलता है कि वह मद्रास राज्य में और अधिक गड़बड़ पैदा करना चाहते हैं । जिससे कि भोली-भाली जनता को दुख उठाने पड़ेंगे । अतः मद्रास सरकार तथा केन्द्रीय सरकार से मेरा अनुरोध है कि वे ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि वहां के लोगों को ऐसे आन्दोलनों से परेशानी न उठानी पड़े ।

जहां तक भाषा का प्रश्न है, हमें उसे और अधिक उलझाना नहीं चाहिये जैसा कि मुझे मालूम है तामिलनाद के लोग धार्मिक दृष्टि से अपने को अलग समझते हैं, अतः अखण्ड भारत अथवा देश की एकता का महत्व भी उनके सामने कुछ नहीं है । उनकी दृष्टि में केवल तमिलनाद का ही महत्व सर्वाधिक है । इसलिये उन्हें कुछ अवसर दिया जाना चाहिये अथवा कुछ ऐसा प्रयत्न किया किया जाना चाहिये जिससे कि वे एकता की शक्ति का महत्व समझ सकें । अतः इस समय कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे कि तामिलनाद के विक्षिप्त छात्र वर्ग को कुछ सन्तोष मिल जाये ।

यह खेद की बात है कि उत्तर के लोग दक्षिण के लोगों के सम्बन्ध में कुछ नहीं जानते ! दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों के सम्बन्ध में कुछ अधिक जानते हैं यद्यपि वे उनकी भाषा हिन्दी नहीं जानते ।

धर्म के बिना और हिन्दुओं के, जिनकी इस देश में बहुत संख्या है, सामूहिक जीवन व्यतीत किये बिना देश एकीकरण नहीं हो सकता है । यद्यपि गुरु नानक और बसवा जैसे महान् धार्मिक नेताओं ने इसके लिए प्रयत्न किया था परन्तु वे कुछ ही जिलों में सफल हो पाये थे ।

[श्री काशी नाथ दुरै]

इस प्रयोजन के लिए स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिये। प्रत्येक धर्म के अनुयायिओं को उनके धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिये। हिन्दुओं को इस प्रकार की शिक्षा मिले कि उन्हें अपने तीर्थ स्थानों के महत्व का पता लगे। अन्य धर्मों के लोगों को हिन्दू धर्म का आदर करना चाहिये और हिन्दू धर्म उनके धर्म का आदर करेगा। विशेषत: तमिलनाड में स्कूलों में धर्म की शिक्षा दी जानी चाहिये।

सेलम में इस्पात संयंत्र यथा सम्भव शीघ्र स्थापित किया जाना चाहिये।

श्री कु० शिव प्रधाशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रपति जी का उनके अभिभाषण के लिए धन्यवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं। दो या तीन महीने पूर्व खाद्य स्थिति यथा समय काबू पा लिया गया था परन्तु हमारे राज्य में 13,000 टन अनाज प्रति वर्ष की कमी रहती है। इसलिये पांडिचेरी सरकार ने बफर स्टॉक बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को प्रार्थना की है। केन्द्र ने इस वर्ष के लिए 20 लाख और अगले वर्ष के लिए 30 लाख रुपया देना स्वीकार किया है परन्तु यह राशि दी नहीं गई है। इसलिये मैं आपके द्वारा सरकार से यह राशि शीघ्र देने की प्रार्थना करता हूं ताकि खाद्य संकट फिर उत्पन्न न हो।

इस महीने की 11 तारीख को पांडिचेरी में विद्यार्थियों ने भाषा के प्रश्न पर एक शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया। अन्नाभलाई विश्वविद्यालय में एक विद्यार्थी के मरने के कारण काफी बड़ा प्रदर्शन किया गया। फिर स्टेशन से दो मील दूर पांडिचेरी से विलिपुरम जाती हुई एक गाड़ी रोक ली गई और कुछ डिब्बों को जला दिया गया। फिर स्टेशन को आग लगाई गई और उसके बाद अरविन्द आश्रम के कुछ संस्थानों पर आक्रमण किया गया। जब स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर हो गई तो रात्रि को साढे दस बजे पुलिस को गोली चलानी पड़ी।

वहां सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई। यदि वहां पर्याप्त पुलिस होती तो स्थिति को काबू में रखा जा सकता था। समाज विरोधी तत्वों ने विद्यार्थियों के आन्दोलन का और पुलिस के कम होने का तथा कुछ पुलिस वालों के पंचायत के चुनावों के सम्बन्ध में मद्रास भेजे जाने का लाभ उठाया।

जहां तक श्री अरविन्द आश्रम का सम्बन्ध है यह कोई उत्तर, दक्षिण या हिन्दी भाषी बनाम अहिन्दी भाषी का प्रश्न नहीं था। आश्रम के पास रहने वाले लोगों ने अपने जीवन को संकट में डालकर इस आश्रम को बहुत बड़े विनाश से बचाने का प्रयत्न किया। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने विधि व्यवस्था बनाये रखने के लिए और पुलिस रखने के लिए पांडिचेरी राज्य सरकार की प्रार्थना पर बहुत समय तक ध्यान नहीं दिया। सेना के वहां पहुंचते ही स्थिति सामान्य हो गई।

इस बात से कि गणराज्य दिवस से हिन्दी संघ की राज भाषा बनाई जा रही थी, दक्षिण में डर की भावनायें पैदा होने लगी कि अब अहिन्दी भाषी लोगों की निश्चित ही ऐसी स्थिति हो जायेगी जिसमें उन्हें हानि होगी। इसमें सन्देह नहीं कि हमारे प्रिय स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने आश्वासन दिया था कि हिन्दी थोपी नहीं जायेगी और अंग्रेजी का प्रयोग तब तक होता रहेगा जब तक दक्षिण के लोग हिन्दी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे परन्तु सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय के कुछ हिन्दी में परिपत्रों से जिनका अंग्रेजी अनुवाद संलग्न नहीं था औ उत्तर

के कुछ नेताओं के भाषणों से स्वर्गीय प्रधान मंत्री के वचनों के बारे में भी सन्देह होने लगा । कुछ लोगों द्वारा दक्षिण में तनाव पैदा करने के कारण और न केवल विद्यार्थियों बल्कि साधारण लोगों के मन में सन्देह उत्पन्न करने के कारण लोगों ने प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर के एक प्रसारण में इस आश्वासन पर भी ध्यान न दिया कि वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के आश्वासन को पूरा करेंगे । उत्तेजना के कम होने में कुछ समय लगा है ।

इसका कारण यह है कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या वामपक्षी साम्यवादियों का भाग कुछ ही हो, लोगों के मन में यह विचार पैदा होने लगा कि अन्य अहिन्दी भाषी लोगों के साथ तामिलनाड के लोगों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है । विद्यार्थियों को यह भय होने लगा कि अखिल भारतीय परीक्षाओं में सफल होने के उनके अवसर कम हो जायेंगे । लोगों को यह भय होने लगा कि तामिल भाषा खतरे में है । पांच व्यक्तियों ने इसी कारण अपने आप को आग लगा दी है ।

इसलिए मैं अपने हिन्दी के समर्थक मित्रों से प्रार्थना करूगा कि वे दक्षिण के लोगों की भावनायें समझने का प्रयत्न करें । हमें भाषा के मामले पर देश की एकता को समाप्त नहीं करना चाहिये । चीन और पाकिस्तान के खतरों के कारण हमें सर्वोच्च राजनैतिक बुद्धि की आवश्यकता है ।

उच्च विज्ञान, टेक्नालोजी, प्रतिरक्षा, अणु बम, उद्योगों और यहां तक कि मानव विज्ञान के लिए भी अध्ययन की सुविधायें हिन्दी अथवा किसी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अपेक्षा अंग्रेज़ी में अधिक है । हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने बताया था कि उच्च विज्ञान तथा टेक्नालोजी की प्रामाणिक पत्रिकाओं में से 70 प्रतिशत अंग्रेज़ी में हैं । इसलिए हमें अंग्रेजी को तब तक रखना चाहिये जब तक देश के सभी भागों के लोग हिन्दी के लिए तैयार न हों ।

भारत ने स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू के नेतृत्व में अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने लिये विशेष स्थान प्राप्त किया है । हमें इसमें महत्वपूर्ण स्थान बनाये रखना है । इसलिए हमारे विद्यार्थियों को कोई न कोई विदेशी भाषा सीखनी ही चाहिये । इसके लिए अंग्रेज़ी का विशेष स्थान है ।

यह कहा जाता है कि राजभाषा अधिनियम में पहले ही स्वर्गीय प्रधान मंत्री के आश्वासनों का उपबन्ध है । परन्तु उस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार सरकार अंग्रेज़ी का प्रयोग कर सकती है परन्तु वह उसके लिए बाध्य नहीं है । इसी से दक्षिण के लोगों में सन्देह पैदा हो गया है ।

इसलिए हमें इसका हल ढूंढना चाहिये ताकि देश की एकता बनी रहे ।

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के साथ साथ मुझे उस बात की भी फिर से याद दिलानी है जो मैंने पहले भी इसी अवसर पर कही थी । वह बात है भारत के गांवों की तथा ग्रामीणों की । यद्यपि देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है और भारत सरकार को कुल आय का 45 प्रतिशत भाग गांवों से प्राप्त होता है परन्तु 65 प्रतिशत धन नगरों पर व्यय किया जाता है ।

गांवों से यथोचित व्यवहार करने के लिये केन्द्रीय मंत्रालयों में एक "ग्राम सम्बन्धी विभाग" खोला जाना चाहिये और संसद् तथा विधान मण्डलों के सदस्य गांवों को अपना निवास स्थान बनाएं ताकि वहां की दशा सुधर सके । हमें स्मरण रखना होगा कि भारतीय लोकतंत्र तथा एकता की जड़ें गांवों में ही हैं परन्तु चूंकि उनकी आवाज़ में ज़ोर नहीं और उनकी बात की कहीं सुनवाई नहीं होती इस कारण उनके प्रति बेपरवाही बर्ती जा रही है । जबकि नगरों में छोटी से छोटी घटना भी प्रकाश में आ जाती है गांवों में ऐसी ही बातें सदा होती रहती हैं परन्तु उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता ।

[डा० चन्द्रभान सिंह]

उनकी दशा वही है जो 20 वर्ष पूर्व थी। आंकड़ों के चातुर्य से आजकल कुछ भी सिद्ध किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में तथा पांचवीं योजना के दौरान 29,000 करोड़ रुपयों में से यदि 20 प्रतिशत धन राशि गांवों में 6 मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये व्यय की जानी चाहिये। यह आवश्यकताएं इस प्रकार हैं : (1) पीने का साफ पानी (2) प्राईमरी तथा नीचे की मिडिल स्कूल की अनिवार्य शिक्षा (3) संचार साधन, सड़कें, पुल तथा पुलियां (4) स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान, दवाईयां तथा सफाई सुविधाएं (5) लघु उद्योग तथा (6) सामूहिक मीटिंग स्थान पर नैतिक आध्यात्मिक तथा धार्मिक क्रियाएं जैसे गांधी कुटीर।

अभिभाषण में कृषि उत्पादन का वर्णन है यह अच्छी बात है परन्तु उत्पादक को उसके उत्पाद के मूल्य पर आश्वासन देने के साथ साथ यदि इसके लिये अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली में भी सुधार कर दिया जाये तभी उत्पादक को पूरा लाभ हो सकेगा। योजना के लक्ष्य पूरा करने वाली मशीनरी में बहुत त्रुटियां हैं और अधिकारीगण अपने भत्ते बढ़ाने के अतिरिक्त कुछ नहीं करते।

अभिभाषण में प्रशासनिक सुधारों का भी वर्णन है। हमारे गृह कार्य मंत्री, प्रधान मंत्री और स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने भी हमारी प्रगति के लिये प्रशासन के सहयोग पर बल दिया था। केन्द्र तथा राज्यों में इसके लिये बहुत प्रयत्न किया जाता रहा है परन्तु परिणाम कुछ नहीं निकला है। मेरा सुझाव है कि गांवों के स्तर तक के केन्द्रीय तथा प्रादेशिक अधिकारियों के लिये प्रगति के लक्ष्य निश्चित कर दिये जाने चाहियें और प्रगति पर हर तीन मास बाद पुनर्विचार किया जाना चाहिये। वर्ष के अन्त में भी यदि कोई अधिकारी अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाता तो यह बात उनकी सेवा के रिकार्ड में लिख दी जानी चाहिये। मंत्रियों को नीति निर्धारित करने के अतिरिक्त प्रशासन के किसी कार्य में भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जैसा कि आज नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है कि अवसर मिलने पर हमारे कुशल अधिकारी अच्छा कार्य कर दिखायेंगे।

अभिभाषण में जनसंख्या की अत्यधिक वृद्धि की भी चर्चा की गई है। माना कि सरकार परिवार नियोजन तथा संतान निरोध के लिये प्रयत्न कर रही है परन्तु ग्रामीणों तथा श्रमिकों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम होता और इसलिये वह इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। इन सेवाओं के लिये नियत की गई धन राशि का कुछ भाग व्यय होता है परन्तु काफी अधिक भाग खर्च नहीं किया जाता। मुझे पता है कि डाक्टरों, समाज सेवकों, उपकरणों तथा अज्ञान, धार्मिक बाधाएं तथा अन्ध-विश्वास जैसी बाधाएं हमारे मार्ग में हैं। परन्तु हमें सफलता प्राप्ति के लिये हर गांव के हर घर में जाना होगा।

मुझे अभिभाषण में विज्ञान, टेक्नोलोजी तथा गवेषणा का कोई वर्णन न देख कर निराशा हुई शायद अभिभाषण लेखकों को पता नहीं है कि इसी विश्व का एक प्राणी चन्द्रलोक तक पहुंचने वाला है परन्तु हम यहां अभी तक भाषा तथा दूसरे विवादों में ही पड़े हैं। यह वैज्ञानिक क्रान्ति का युग है। गत 20 वर्षों में इस दिशा में अत्यधिक प्रगति हुई है। ऐसा अनुमान है कि बाल्मीकी के समय से अब तक जितने वैज्ञानिक हुए हैं उनकी संख्या के 97 प्रतिशत वैज्ञानिक आज के युग में हैं। इससे हमें वैज्ञानिक प्रगति का अनुमान हो जाता है।

हमारे यहां वैज्ञानिकों, डाक्टरों आदि का कुछ तो अभाव है परन्तु इनमें से बहुत से व्यक्ति जो विदेशों में शिक्षा पाते हैं वहां ही रहना अधिक अच्छा समझते हैं क्योंकि सुख सुविधायें यहां की अपेक्षा वहां कहीं अधिक हैं। हमारे यहां जो वैज्ञानिक "पूल" बनाया गया था उसके वेतन तथा सुख सुविधाओं

में भी वृद्धि की आवश्यकता है क्योंकि यह अपर्याप्त हैं। हमारी प्रगति की आधार शिला वित्त व्यवस्था है। जबकि अन्य देशों में आन्तरिक साधनों का 3 से 1.7 प्रतिशत तक व्यय किया जाता है, हमारे देश में केवल 0.32 प्रतिशत संसाधन ही प्रयोग में लाए जाते हैं। हमारी जनसंख्या अत्यधिक है, हमारा बजट सबसे छोटा है तथा अनुसंधान कार्यों पर होने वाला व्यय सबसे कम है। मेरा निवेदन है कि यदि हमें आधुनिक राष्ट्रों की पंक्ति में खड़ा होना है तो अनुसंधान कार्यों पर अपने बजट का 1.5 से 2 प्रतिशत भाग अवश्य व्यय किया जाना चाहिये तथा इसके लिये हमें ब्रिटेन की भांति एक मंत्रालय वैज्ञानिक मामलों के लिये बनाना चाहिये ।

इन शब्दों के सा। मैं धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हुई। माननीय प्रधान मंत्री जी मंगलवार को सायं 4.15 म० प० पर उत्तर देंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS.

छप्पनवां प्रतिवेदन

श्री हेमराज (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो 24 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के छप्पनवें प्रतिवेदन से, जो 24 फरवरी, 1965 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

ठेके के श्रमिकों की प्रणाली की समाप्ति के बारे में संकल्प--जारी

RESOLUTION RE: ABOLITION OF CONTRACT LABOUR SYSTEM—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्री नम्बियार द्वारा 11 दिसम्बर, 1964 को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर विचार करेगी जो श्रमिक ठेका प्रणाली को हटाने के बारे में है।

मैं पहले यह संकल्प सभा के समक्ष रखता हूं। संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"इस सभा की यह राय है कि बड़े पैमाने पर ठेके के श्रमिकों का नियोजन, श्रमिकों और राष्ट्र के हित के लिये हानिकारक है और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि इस प्रथा को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिये तुरन्त कदम उठाये जायें।"

इसके लिये एक घंटा तथा बीस मिनट शेष हैं। श्री स० मो० बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): उपाध्यक्ष महोदय मैं इस संकल्प का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मुझे माननीय मंत्री जी का ध्यान भारतीय श्रम सम्मेलन के उस निर्णय की ओर खींचना है जिसमें कहा गया है कि लगातार चलते रहने वाले कार्यों अथवा जिन कार्यों का सम्बन्ध उद्योगों से है उनके लिये ठेका प्रणाली न अपनायी जाए ।

शायद श्रम मंत्रालय का विधेयक उच्चतम न्यायालय के श्रम ठेकों के विरुद्ध निर्णय के फलस्वरूप लाया गया है और सरकार ने इक्कीसवें श्रम सम्मेलन की सिफारिशें मान ली हैं । परन्तु सरकार स्वयं सबसे बड़ी ठेकेदार है । लगभग $2\frac{1}{2}$ लाख श्रमिक प्रतिरक्षा मंत्रालय के सैनिक इंजीनियरिंग सेवाओं में, 3 से 4 लाख रेलवे में तथा सी० पी० डब्ल्यू० टी० के लगभग आधे श्रमिक ठेका प्रणाली के अधीन कार्य कर रहे हैं । और यदि सरकार चाहती है कि निजी क्षेत्र भी इस सिद्धांत को माने तो सरकार को पहले अपने आप को सुधारना होगा ।

खानों में क्या हो रहा है । श्रम मंत्रालय के ठेकों को समाप्त करने के आदेश के होते हुए भी हजारों खानों तथा सिंघरेणी कोयला खानों में इस आदेश पर कार्य नहीं हुआ । यह खानें राष्ट्रीय कोयल विकास निगम के अधीन है जो स्वायत्त संस्थाएं हैं परन्तु फिर भी इसने सरकार की आज्ञा नहीं मानी है यदि ऐसी संस्थाएं ही सरकारी आदेशों को नहीं मानेंगी तो यह संकल्प अथवा ऐसा ही कोई और विधान कैसे लागू किया जा सकता है और ठेका प्रणाली कसे दूर की जा सकती है ।

सैनिक इंजीनियरिंग सेवाओं को रुपया कमाने अथवा रुपया खाने वाली संस्थाएं कहा गया है और ठेकों के कारण सीमान्त सड़क संघ (बोर्ड रोड्स ओर्गेनाइजेशन) में जो घोटाले हुये उससे पता लगा है कि हमें ठेकों के कारण कितनी हानि हो सकती है यहां तक कि देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है ।

जब भी ठेका प्रणाली को हटाने का प्रश्न आता है सरकार कहती है कि यह प्रणाली अधिक लाभप्रद तथा सस्ती पड़ती है परन्तु सरकार यह भी जानती है कि ठेकेदार न्यूनतम निर्धारित मजदूरी भी नहीं देते और फिर भी सरकार दावा करती है कि वह समाजवाद लाएगी ? यदि यही बात सरकार अथवा प्रशासन पर लागू हो तो हम कह सकते हैं कि सरकार को ठेकेदार चलायें क्योंकि शायद इन से देश को बहुत लाभ होगा ।

यदि एक बार सरकार ठेका प्रणाली को समाप्त करने को सिद्धान्त रूप से मान लेती है तो सरकार को इस से हट कर यह कहना शोभा नहीं देता कि जब तक कोई कार्य लगातार चलते रहने वाला अथवा एक वर्ष के अन्दर अन्दर समाप्त न होने वाला न हो ठेका प्रणाली बेशक न हटाई जाय ।

हम बहुत सी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं विशेष रूप से सुरक्षा विभाग रेल विभाग और केन्द्रीय लोक-निर्माण विभागों में जहां ठेकेदारों के मजदूर कार्य पर लगाये हुये हैं। अम्बाला में 'अमर परियोजना' ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो कार्य सेना के लोग करते हैं उस में ठेकेदारों की अपेक्षा कम खर्च होता है और अधिक कार्य-कुशलता से होता है । अभी लखनऊ में केन्द्रीय कमान के लिये एक भवन ठेकेदारों से बनवाया था जिसका नाम 'सूर्योदय' था परन्तु एक वर्ष के पश्चात् वह 'सूर्यस्त' बन गया क्योंकि वह भवन टपकने लग गया । यह है ठेकेदारों का किया कार्य ।

मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जहां कहीं भी अधिक व्यक्ति लगाने की योजना हो चाहे यह इस्पात का कारखाना हो अथवा सीमा सड़क संघ संगठन इन सारे कार्यों के लिए एक सामूहिक संग्रह (कामनपूल) होना चाहिये। यह भी कहा गया है कि यदि सामूहिक संग्रह की योजना पर अमल किया गया तो छंटनी बन्द हो जायगी। यदि सरकार वास्तव में ठेकेदारी प्रणाली को समाप्त करना चाहती है तो उन्हें यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये।

अब मैं आपका ध्यान इस प्रकार के ठेकेदारी प्रणाली की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे अवधि ठेका (टर्म) कहते हैं। इस के अनुसार ठेकेदार को प्रत्येक वर्ष रुपया 31 मार्च तक व्यय करना होता है। हम ने देखा है कि चाहे आवश्यक हो या नहीं परन्तु उन्हें रुपया उस समय तक खर्च करना ही होता है। क्योंकि इस प्रकार रुपया अनावश्यक रूप से लगाया जाता है इसलिये इसे समाप्त किया जावे।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का पूरी तरह समर्थन करता हूं।

श्री बूटा सिंह (मोगा): उपाध्यक्ष महोदय श्री नम्बियार द्वारा प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव से इस लिये सहमत नहीं क्योंकि ठेकेदारी प्रणाली को हम कुछ हद तक रखना चाहते हैं। वैसे हम तो यह चाहते हैं कि सरकार स्वयं एक विधेयक यहां लाये जिससे ठेकेदारों के यहां काम करने वालों की हालत सुधारने की बात हो।

वैसे तो इस सरकार ने अपना सिद्धान्त एक समाजवाद ढंग के समाज को निर्माण करना बना रखा है परन्तु इनका श्रम और रोजगार मंत्रालय 1957 में ही मजदूर ब्यूरो स्थापित कर सका ताकि इस प्रणाली के अन्तर्गत श्रमिकों की स्थिति का सर्वेक्षण कर सके। इस ब्यूरो को केवल पांच उद्योगों का सर्वेक्षण करने को कहा गया है और इस से रक्षा मंत्रालय को छोड़ दिया गया है जहां कि सब से बड़ी संख्या में श्रमिक काम करते हैं।

मुझे याद है कि गत वर्ष इस सदन तथा राज्य सभा के सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों को देखने गया तो हम ने वहां देखा कि उनकी स्थिति बड़ी खराब थी और उन्हें जो दोपहर का खाना दिया गया वह बहुत ही घटिया था! ऐसे ही प्रदीप बन्दरगाह पर हम से ड्राईवरों ने जो कि अधिक मात्रा में पंजाबी थे कहा कि उन के लिये खाना खाने को कोई होटल है न और कोई छायादार जगह है।

यही परिस्थिति छुट्टी देने के बारे में है और ब्यूरो ने कहा है कि मकान आदि बनाने वाले मजदूरों को कोई छुट्टी नहीं दी गई जैसे वे मनुष्य ही न हों। इसलिये मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि एक ऐसा विधेयक वह प्रस्तुत करें जिस में इन सब सुविधाओं का प्रयोजन हो। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार तब तक कोई कार्य नहीं करती जब तक कोई आन्दोलन न करे और सरकारी जायदाद को नुकसान न पहुंचाये। इसलिये सरकार को इन मजदूरों की ओर ध्यान देना चाहिये जो इस प्रणाली के अन्तर्गत कार्य करते हैं।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए मैं यह अवश्य कहूंगा कि इस में जो "बड़े पैमाने पर रोज़गार" के शब्द प्रयोग किये गये हैं उन से छोटे छोटे ठेकेदार को बचने का अवसर मिल जावेगा । मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जैसे रेल विभाग कि जहां पहले नियमित कर्मचारी कार्य कर रहे थे अब वह कार्य ठेकेदार को दे दिया गया है ।

उच्चतम न्यायालय ने भी इस ओर निर्णय दिया है । ठेके पर जो कार्य करते हैं उन के लिये साप्ताहिक छुट्टी तथा भविष्य निधि का कोई प्रयोजन नहीं है । रेल विभाग की यह हालत है कि श्रमिकों को 6 महीनों की अवधि पूरी होने से पहले ही नौकरी से निकाल देते हैं ताकि बाद में वह नियमित वेतन का अधिकारी न बन जावें । न ही उन के पास मकानों का कोई प्रबन्ध है और उनकी स्थान स्थान पर बदली कर दी जाती है ।

लगभग सारे उद्योगों में नैमित्तिक श्रमिक कार्य करते हैं । यह न केवल सरकारी विभागों में अपितु खानों में भी । इसलिए ऐसे विभागों में जहां रोजगार क्रमबद्ध हो और ठेकेदारों द्वारा कार्य करवाया जा रहा हो वहां ठेका तो समाप्त कर दिया जावे और उन श्रमिकों को संविहित ढंग पर रोजगार दे दिया जावे । इसलिये मैं आशा करता हूं कि सरकार एक इस बात का ध्यान रखती हुई कि रोजगार को भी सामाजिक अर्थ देने के लिये तथा उन बुराईयों को समाप्त करने के लिये जो ठेकेदारी प्रणाली में हैं, यह सदन इस प्रस्ताव को स्वीकर कर लेगा ।

Shri H. C. Soy (Singhbhum): Mr. Deputy-Speaker, I support this resolution. In my area i.e. southern Bihar and Orissa every year the contractors persuade away thousands of labourers to Calcutta and other places where bricks are made. They give them false hopes of good employment and good accommodation which are all in name only and the fact is that they are paid only eight annas per day. This is done deliberately.

Such things were done by the Britishers in their tea plantations. But the same conditions prevail even after 17 years of independence.

We requested the labour Minister to take some action against immoral traffic in women who are employed under contract system. The Minister, Mr. Sanjivayya promised to make an enquiry into that but I have not so far heard from him anything about it. He also promised for a special law in this regard but I do not know what is holding him from doing that.

With these words I support this resolution.

Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur): Mr. Deputy-Speaker, I support this resolution. For any country which believes in Socialism its first duty should be to eliminate the middle man so that there may be no exploitation of man by man. I can say with confidence that those persons who are registered as contractors whether big or small, all have illicit dealings with officers, engineers and overseers and give them a fixed percentage of their income as bribe. After doing so they take undue advantage in other matters such as exploitation of labour and supplying of bad or less material.

Our late Prime Minister spoke many times about cooperative societies of labourers. But I think that it will not happen unless government after the passing of this resolution brings in a new Bill.

In a socialist society there is no room for a middle man and hence the government should accept this resolution.

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah): Many hon. members have supported this resolution. But I myself being a contractor, think it my duty to oppose this resolution.

The work by the departments is very bad. Take for instance tea which is available in departmental canteens, it is always of a poor standard whereas that which one can get at a contractor's shop is of a better quality. The reason is that most of the milk is taken away by the officers for their personal use. The persons running departmental canteens are not much afraid of others but a contractor is always worried about his low income if he supplies bad material. Therefore the contract system should continue.

I can say that government cannot put an end to this system as they themselves have become very used to it. Take for example, their habit of giving their clothes to dhobis which is also a form of contract system.

Recently I got arrested persons taking away 300 bags of cement. Had this belonged to a contractor, he would have checked his bags daily and would not have given any chance to thiefs to indulge in like this.

The government and its officials are responsible for corrupting contractors.

This system gives a chance to labourers to increase their income. If anybody is responsible for creating disorder among the labourers, it is the communist inspired unions.

I suggest to the officers not to live beyond their salaries. They should not corrupt the contractors. With these words I support the contract system.

Shri Balmiki (Khurja): I support the spirit behind this resolution. As I myself belong to the labourers, I know to what extent the contractors exploit them. They take them away to distant places where they are paid most irregularly and exploit them. One of my friends rightly pointed out the existence of immoral traffic among the labourers when they are away from their permanent places. Sometimes they have even to leave their children behind. Therefore nobody would support the contract system.

There is a mention about security to the weaker sections of the society. This can be done only when they are given more opportunities.

My friend Mr. Nambiar has done a good thing by bringing in this resolution before the House. I want the Labour Ministry to bring a comprehensive bill on this subject.

Shri Yashpal Singh (Kairana): Mr. Deputy-Speaker during the British regime the existence of middleman was understandable as they wanted to create a class of persons who may be loyal to them. But in a society which has promised to do away with disparities among the people, there is no room for the continuance of middle man and the contract system is out of date now.

The contract system is to enrich certain people. The late Pandit Govind Ballabh Pant inaugurated Khatima dam and the next day there was a breach in the dam and it collapsed and thereby killed certain people. This is how contractors perform the job. My jeep also collided against bridge which gaveway and I fell into a canal. Since I knew swimming I saved myself.

If we want to bring about socialism, we will have to do away with the privileged classes. The criterion for a man to rise should be virtue and knowledge and not money. The moneyed people travel in first class railway compartments or in aeroplanes whereas our soldiers have to travel in 3rd class railway compartments because they cannot afford to it. Now all the 44 crore people of India are equal and therefore premium should be paid to those who have patriotism character and ability and not to those who have only money.

I therefore support this resolution.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सरामपुर) : मैं श्री नम्बियार के संकल्प का समर्थन करता हूं। ठेके पर काम करने वाले मजदूर काफी देर से अपने अधिकारों के लिए आन्दोलन कर रहे हैं । वैसे भी इस पद्धति के विरुद्ध श्रमिक वर्ग आन्दोलन कर रहा है । सिद्धान्त रूप से सरकार ने भी मान लिया है कि इसे हटा दिया जायेगा । और यह बताया गया है कि इस सम्बन्ध में विधेयक लाया जायेगा । वह कब आयेगा, पता नहीं, परन्तु श्रमिक के प्रति सरकार की नीति सराहनीय नहीं है । आप लाभांश आयोग का प्रतिवेदन ही ले लीजिए । लाभांश आयोग के इस प्रतिवेदन के प्रकाशित हुए एक वर्ष से अधिक समय हो गया है । इसकी सिफारिशों को अभी तक भी कार्यान्वित नहीं किया गया । यदि सरकार का इरादा ठेके पर मजदूरी को बन्द कर देने का होता तो सरकारी उपक्रमों में ही यह पद्धति बन्द कर दी जाती परन्तु ऐसा किया नहीं गया है । लगभग सभी दिशाओं में इस के विरुद्ध आवाजें उठ चुकी हैं । परन्तु यह अभी भी चल रहा है । कारण यह है कि कारखाने वाले कहते हैं कि यह श्रमिक सस्ते रहते हैं और उन के लगा लेने से उद्योग पर कम भार पड़ता है ।

इस परिस्थिति में सरकार को एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिए और सदन को इस विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस बीच श्रम मंत्रालय को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जिन उद्योगों के लिए अदालतों और न्यायाधिकरणों ने निर्णय दे दिया हुआ है कि ठेके पर काम बन्द होना चाहिये, उन उद्योगों में काम बन्द हो जाना चाहिए । पटसन, कपड़ा और इंजीनियरिंग उद्योगों में इस पद्धति को बन्द कर दिया जाना चाहिए । इन शब्दों से मैं संकल्प का समर्थन करता हूं ।

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री र० कि० मालवीय) : सरकार ठेके पर काम करने के दोषों से भली भांति परिचित है । और इस बात पर विचार किया जा रहा है कि इस पद्धति को हटा दिया जाय । जहां इसे चालू रखना जरूरी हो तो उसे नियमित किया जाय । मैं इस संकल्प के सिद्धांत से सहमत हूं और इस पर जो मत माननीय सदस्यों ने व्यक्त किये हैं, उस से भी मैं सहमत हूं । हम इस बारे में क्या पग उठा रहे हैं उस सम्बन्ध में मुझे विस्तार से कुछ नहीं कहना । इस मामले को उस समय लिया गया था जब कि दूसरी पंचवर्षीय योजना ने सरकार को इस प्रश्न के परीक्षण के लिए कहा था । साथ ही यह भी कि इस सम्बन्ध में हालात के सुधार के लिए क्या पग उठाये जाने चाहियें । यह भी कहा कि स्थिति ऐसी है कि इसे हटाया जाना सम्भव नहीं । इस संबंध में आदेश आने पर श्रम ब्यूरो ने 11 उद्योगों की स्थिति का अध्ययन किया । पैट्रोलियम, पत्तन, रेलवे, इमारत, विवरण और मैंगानीज, लोहा और इस्पात, लाइम स्टोन, रूई धुनना और बुनाई करना तथा अबरक की खानें इत्यादि । इस बारे में अध्ययन के बाद ब्यूरो ने सरकार के पास अपनी सिफारिशें भेजीं । उन पर भारतीय श्रम सम्मेलन में भी विचार किया गया । क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने कुछ सिद्धान्त इस प्रकार के मामलों में निर्धारित किए हैं उन्हें देखते हुए इस प्रकार की श्रम पद्धति को समाप्त करने के लिए हमें विधान बनाना है ।

उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि जहां पर कार्य काफी और नियमित हो वहां ठेके पर श्रमिक नहीं लगाये जायेंगे । जहां पर यह पद्धति लागू करना जरूरी भी हो, वहां भी इसे नियमित करने का आदेश उच्चतम न्यायालय का है । इन्हीं सिद्धान्तों और आदेशों के आधार पर ही सरकार ने विधेयक का प्रारूप तैयार किया है । इस विधेयक पर भारतीय श्रम सम्मेलन में विचार किया गया है । उसे राज्य सरकारों के पास भी मत व्यक्त करने के लिए भेजा गया है । श्रमिक और कार्मिक संघों को मत प्रकाश के लिए भेजा गया । कुछ एक के विचार हमें प्राप्त भी हो गये हैं । स्थायी श्रम समिति की आगामी बैठक मार्च के अन्त तक होगी । उस समय विधेयक पर विचार करके उसे अन्तिम रूप दे दिया जायेगा ।

जहां तक विधेयक के सिद्धान्तों का प्रश्न है, अभी अन्तिम रूप इसे नहीं दिया गया । इसमें यह व्यवस्था की जायेगी कि प्रत्येक विनियोजक को अनिवार्य रूप से अपने संस्थान का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा । केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसैन्सिग की भी व्यवस्था होगी । भोजनालयों की भी व्यवस्था की जायेगी और भविष्य निधि का भी प्रबन्ध किया जायेगा । माननीय सदस्य भी इस विधेयक के लिए सुझाव दे सकते हैं । इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे भी उपबन्ध होंगे जहां दंड की व्यवस्था की जायेगी ।

अतः मेरा निवेदन यह है कि संकल्प की आवश्यकता नहीं है । हम विधेयक प्रस्तुत कर ही रहे हैं । मेरा सदन से यह अनरोध है कि इस संकल्प को अस्वीकृत कर दे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"इस सभा की यह राय है कि बड़े पैमाने पर ठेके के श्रमिकों का नियोजन, श्रमिकों और राष्ट्र के हित के लिए हानिकारक है, और यह सभा सरकार से सिफारिश करती है कि इस प्रथा को सम्पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाये जायें ।"

संकल्प अस्वीकृत हुआ ।

The Resolution was negatived

वियतनाम को स्थिति के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: SITUATION IN VIETNAM

डा० रानेन सेन : (कलकत्ता पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :—

"इस सभा की यह राय है कि हाल ही में संयुक्त राज्य अमरीका की सेनाओं द्वारा उत्तर वियतनाम के राज्य क्षेत्र में बम वर्षा करने से दक्षिण पूर्वी एशिया में शांति तथा स्वतन्त्रता के लिए खतरा पैदा हो गया है और यह सभा भारत सरकार से आग्रह करती है कि वह हिन्दचीन में अमरीकी हस्तक्षेप को रोकने के उद्देश्य से विश्व मत तैयार करने के लिए कदम उठाये ।"

श्री सोना वने पीठासीन हुए
Shri Sonavana *in the Chair*

अमरीकी सेनाओं द्वारा उत्तर वियतनाम पर जो बम्बारी की गई है, उससे स्थिति बड़ी भयंकर हो गई है । दूसरे महायुद्ध के बाद समाजवादी शक्तियों का अभ्युदय हुआ है । राष्ट्रीय मुक्ति सेनाओं का निर्माण हुआ । अमरीकी साम्राज्यवाद को ये शक्तियां फूटी आंख नहीं भातीं । उन्होंने सारे संसार में इन शक्तियों को दबाने के लिए सैनिक गठबंधन किये । वियतनाम लोगों ने अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष किया । चीनी, जापानी तथा फ्रांसीसी लोगों के विरुद्ध वे लड़े । 1954 में जेनेवा में एक करार हुआ । 14 शक्तियों ने हिन्द चीनी क्षेत्र मैं लड़ाई बन्द कर देने की घोषणा की । इसके बाद फ्रांस का स्थान अमरीका ने ले लिया । उन्होंने जनेवा करार के विरुद्ध कार्य करना आरम्भ कर दिया ।

इस जेनेवा समझौते के अनुसार वियतनाम का विभाजन अस्थायी था । दो वर्ष बाद इसके मिलन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के नियन्त्रण में चुनाव होगा । तीसरी बात यह कि वियतनाम क्षेत्र में अमरीका का कोई अड्डा तथा सैनिक केन्द्र नहीं होगा । परन्तु अमरीका की सहायता से बनी दक्षिण वियतनाम की सरकार गड़बड़ी करने लग गई । 1953 में श्री निकसन ने अमरीकी सरकार की ओर से कहा था और जनरल नेवारे ने लिखा था कि अमरीका हिन्द चीन में रहेगा । इस तरह फ्रैंच उपनिवेशवादी तो चले गये परन्तु इस क्षेत्र में अमरीकी उपनिवेशवादी दनदनाने लगे । दक्षिण पूर्व एशिया संधि संघटन (सीटो) की हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने अस्स्त, 1959 में निन्दा की थी । दक्षिण वियतनाम में एक कठपुतली सरकार बना दी गई है और जो बिल्कुल अस्थिर है । वहां प्रति सप्ताह सरकार बदल जाती । इन सब सरकारों के पीछे अमरीका है ।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 1954 में दक्षिण वियतनाम में अमरीकी सैनिक अधिकारियों की संख्या केवल 200 थी और 1964 में यह 25,000 है। वहां पर अब छोटे बड़े 169 हवाई अड्डे हैं। 1955 से 1964 तक 284 अमरीकी प्रतिनिधिमंडल वहां गये। प्रतिरक्षा मंत्री स्वयं 14 बार वहां गये। इस प्रकार दक्षिण वियतनाम अमरीका की एक बस्ती बन गया है। जेनेवा समझौते के अनुसार वहां कोई विदेशी अड्डा अथवा सैनिक नहीं होना चाहिये। वहां के लोगों को जेल में डाल दिया गया है और 1·6 लाख लोगों का वध कर दिया गया है।

श्री कपूर सिंह : यह आंकड़े आपको कहां से मिले हैं ?

डा० रानेन सेन : यह मुख्यतः रूसी सूचना के आधार पर है। रूस भारत का एक घनिष्ठ मित्र है। एक अंग्रेज़ पत्रकार श्री डेविड हटन ने लिखा है कि दक्षिण वियतनाम में किसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं है। वहां की पूरी की पूरी अर्थ-व्यवस्था अमरीका के हाथ में है। जो देश सम्पूर्ण रूप से अमरीका पर निर्भर है वह स्वतन्त्र हो सकता है। यह अंग्रेज़ी पत्रिका में छपा है।

वहां प्रतिदिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। अमरीका वालों का वहां होने का क्या कारण है। वहां के लोग इन को नहीं चाहते। 11 फरवरी, 1965 के अपने सम्पादकीय में "न्यूयार्क टाईम्स" ने लिखा है कि दक्षिण वियतनाम में अमरीका की उपस्थिति से जिनको लाभ है वह तो इसका स्वागत करते हैं परन्तु अन्य राष्ट्रवादी, जैसे साम्यवादी, बौद्ध तथा किसानों की अधिक संख्या यह चाहती है कि अमरीका वहां से चला जाय। अब भी अमरीका में धीरे धीरे इस बात का अनुभव किया जा रहा है कि यह अमरीका के हित में नहीं कि वह वहां पर रहे। क्योंकि अब यह माना जाने लगा है कि दक्षिण वियतनाम के लोग अब वहां की कठपुतली सरकार तथा अमरीकी हस्तक्षेप को नहीं चाहते।

मेरे संकल्प में यह विशेष रूप से कहा गया है कि दक्षिण-पूर्वी एशिया तथा भारत की सुरक्षा तथा शान्ति को इस से खतरा हो गया है।

मैं सभा को स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री नेहरू की सीटों के बारे में प्रतिक्रिया की याद दिलाना चाहता हूं। भारत ने सदैव शान्ति की आवाज़ उठायी है। हमें इसी प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिये और एक और जेनेवा सम्मेलन बुलाना चाहिये। आज जो वहां गम्भीर स्थिति है उस की जांच करायी जानी चाहिये। इस से दक्षिण-पूर्वी एशिया ही नहीं अपितु भारत की सुरक्षा को भी लाभ होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प पेश करता हूं।

सभापति महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :—

श्री सोलंकी (कैरा) : मैं इस संकल्प के प्रति विरोध प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि क्या हम किसी अन्य देश के मामलों पर चर्चा कर सकते हैं। आज इस क्षेत्र की मुख्य समस्या चीन के विस्तारवाद की है। इस के मुकाबले में संसार का सब से बड़ा प्रजातंत्र भारत में है।

मुझे अमरीका के बारे में कुछ नहीं कहना है। में दक्षिण-पूर्वी एशिया की घटनाओं को भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाली समझता हूं। हमें सचेत रहना है नहीं तो तिब्बत

[श्री सोलंकी]

जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि चीन के विस्तारवाद को रोका नहीं गया तो तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो सकता है। चीन से न केवल भारत बल्कि सारे एशिया को खतरा है। चीन के प्रति बड़े सतर्क रहने की आवश्यकता है।

हमें समझना है कि चीन ने कोरिया और तिब्बत को अपने नीचे ले लिया है। वियतनाम के क्षेत्रों में उस का प्रभाव है। मलेशिया साम्यवाद के विरुद्ध है। इंडोनेशिया में उस ने हाल ही में आक्रमण किया था और हमारे सीमावर्ती इलाके पर अभी भी चीन का कब्जा है।

चीन का उद्देश्य है कि वह इस क्षेत्र का नेता बने और वह सभी स्थानों पर साम्यवादी जीवन सिद्धान्त लागू करना चाहता है। इण्डोनेशिया ने भी कुछ इसी प्रकार की नीति आरंभ कर दी है।

ऐसी स्थिति में हमें अपनी नीति सुनिश्चित करनी है। हमें चीन का मुकाबला करना है। मेरे मित्र ने सुझाव दिया है कि हमें जेनेवा सम्मेलन बुलाना चाहिये।

गतवर्ष मैं दक्षिण वियतनाम में था। वहां स्थिति ठीक नहीं। वहां आज चीन के आक्रमण का बहुत खतरा है।

अमरीका ने चीन के विस्तारवाद को रोका है और ब्रिटेन ने मलेशिया की सहायता को आकर इंडोनेशिया के विस्तारवाद को समाप्त कर दिया है। यह कार्य जो अमरीका तथा ब्रिटेन ने किया है एशिया के देशों को करना चाहिये था।

दक्षिण पूर्वी एशिया को चीन के चुंगुल में जाने से बचाना चाहिये। उत्तरी वियतनाम के लोग दासों का सा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वहां नर्क की स्थिति बनी हुई है। दोनों भागों को जोड़ा नहीं जा सकता। इस का कारण वहां के जीवन की भिन्नता है।

अमरीका तथा ब्रिटेन इस क्षेत्र के देशों की सहायता करने को तैयार हैं। भारत इस स्थिति में नहीं कि वहां सहायता कर सके। भारत, नेपाल और भूटान की सहायता नहीं कर सकता दक्षिण वियतनाम की क्या करेगा।

आज की वहां पर की स्थिति में वियतनाम को बातचीत करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। दक्षिण वियतनाम में स्थिति में शायद अब कुछ सुधार हो जाय। यदि हम स्वयं दक्षिण वियतनाम की सहायता नहीं करते तो अन्य लोगों को सहायता करने से नहीं रोकना चाहिये।

श्री खाडिलकर (खेड) : सभापति महोदय, हमारे मित्र जो स्वतंत्र पार्टी में हैं उन के सोचने के तरीके अजीब हैं। दक्षिण वियतनाम की घटनायें बहुत चिन्ता का कारण हैं। इस का प्रभाव बहुत अधिक हो सकता है। हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना है। अमरीका में भी लोगों के दो प्रकार के मत हैं। वाल्टर लिपमैन ने, जो एक विख्यात पत्रकार हैं, कहा है कि दक्षिण वियतनाम में कोई समझौता सेना के बल पर नहीं हो सकता। एक अधिकृत दस्तावेज के अनुसार अमरीका वहां प्रति दिन 15 लाख डालर व्यय कर रहा है।

वहां बहुत अधिक संख्या में सेनायें एकत्र की गई हैं । वहां पर साम्यवाद और राष्ट्रवाद का संघर्ष चल रहा है परन्तु साम्राज्यवाद स्थिरता बनाये रखने के बहाने से वहां का वास्तविक शत्रु है । चीन को रोकने का प्रश्न भी है ।

अब हमें नई शक्तियों को भी मान्यता देनी होगी । चीन उनमें से एक है । अन्त में अमरीका को भी यह मानना होगा ।

हमें भी अपना दृष्टिकोण बदलना होगा । पिछले दिनों एक प्रस्ताव था कि अमरीकी राष्ट्रपति जानसन और रूस के श्री कोसीजिन की इस विषय पर बैठक होनी चाहिये । फिर जेनेवा सम्मेलन की तरह का सम्मेलन बुलाने का प्रस्ताव भी था । इन सब का क्या हुआ है ?

मेरा सुझाव है कि दूरपूर्व एशिया के बारे में एक सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये । इस में रूस, अमरीका, चीन, जापान, भारत को भाग लेना चाहिये । तभी वहां पर शान्ति स्थापना की आशा की जा सकती है । दक्षिण वियतनाम के लोग भी तंग आ चुके हैं । वह शान्ति का जीवन चाहते हैं । श्री जयप्रकाश नारायण ने अभी हाल ही में सुझाव दिया है कि हम चीन को अपना हमेशा के लिये शत्रु नहीं बना सकते ।

अब समय आ गया है कि जब भारत को इस क्षेत्र की गतिविधियों में अपना महत्वपूर्ण कार्य निभाना है । यदि स्थानीय राष्ट्रीय शक्तियों को पूर्ण आजादी दी जाये तो चीन का विस्तारवाद रुक सकता है । अमरीकी सैनिक सहायता इस को रोक नहीं सकती । किसी सम्मेलन से इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ सकेगा ।

विश्वयुद्ध के समाप्त होने के पश्चात् बहुत से परिवर्तन आ गये हैं । विश्व में नई शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं । उन को मान्यता देना बहुत आवश्यक है ।

हमें दक्षिण-पूर्वी एशिया के लोगों को आश्वासन देना चाहिये कि हम उन के साथ हैं ।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (गया) : श्रीमान् मैं इस बात से सहमत नहीं कि दक्षिण-पूर्वी एशिया में राष्ट्रवाद तथा साम्यवाद में विरोध है । आज तो चीन एक ओर हो रहा है तथा दूसरी ओर अमरीका और सोवियत संघ हैं ।

हाल ही में उत्तरी वियतनाम में जो बम्बवर्षा हुई है यह चीन के विस्तारवाद के खतरे के विरुद्ध था । यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जाये तो, आज की स्थिति में, उस के विभिन्न परिणाम निकल सकते हैं । हमें सभी बातों का विश्लेषण करना होगा और अपनी नीति निर्धारित करनी होगी । राष्ट्रपति जानसन और श्री कोसिजिन की बैठक बलायी जानी चाहिये ताकि समस्याओं का हल ढूंढा जा सके ।

Shri Bade (Khargone): Mr. Chairman, I am not surprised on this Resolution of Dr. Ranen Sen. I am shocked on hearing the speech of Shri Khadilkar.

The enemy of our enemy is our friend. America is against China. We should try to gain something against China in this situation.

China wants to enter Indian Ocean and increase its influence in this area. She has found Pakistan as a friend. She has influence over Burma. Ceylon is just in its pocket. It is America which is stopping the menace of China in Vietnam.

This Resolution has been brought on behalf of China. In the prevailing circumstances we should try to get our areas vacated in Ladakh and Nefa. We should not talk of any help to China. She has committed aggression against our country. How can we support this Resolution. It is against the interests of our country.

We should take America as our friend because she is stopping China in its aggressive designs. We need not take any step which is uncalled for. India should see how the events take turn.

I oppose this Resolution and say that we should ask both America and China to leave Indo-China or let them fight. It will weaken both the parties. Weakness of China is in our own interest.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : इस प्रकार का संकल्प यहां पर विचाराधीन हो बहुत आश्चर्य की बात है । यदि यह वियतनाम या इंडोनेशिया की संसद् में होता तो ठीक था । हमारी तटस्थता की नीति है । अतः हमें औरों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिये । उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के लोगों को बहुत अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । वहां पर जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं हो रहा है । हमें किसी देश या गुट का पक्ष नहीं लेना चाहिये अथवा विरोध नहीं करना चाहिये । यह कहना कि अमरीका शान्ति भंग कर रहा है ठीक नहीं है । आज संसार में केवल दो ही साम्राज्य-वादी देश हैं, एक पुर्तगाल है तथा दूसरा चीन ।

हमारी सहायता अमरीका तथा ब्रिटेन ने की है । उनके विरुद्ध बात कहना उचित नहीं होगा । "न्यू स्टेट्समैन" में 12 फरवरी 1965 को वाल्टर लिपमैन ने लिखा है कि चीन धीरे धीरे दक्षिण-पूर्वी एशिया के सभी देशों को अपने प्रभाव में लाना चाहता है । मैं चाहता हूं कि मेरे मित्र इस को पढ़ें और हमारा विदेश मंत्रालय इस ओर ध्यान दे ।

हमें सतर्क रहना है और अपनी सीमाओं की सुरक्षा करनी है । वियतनाम की लड़ाई के पीछे चीन का हाथ है । इस विषय को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में ले जाया जाना चाहिये । वियतनाम की छापामार लड़ाई के पीछे उत्तरी वियतनाम है अथवा चीन इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिये । जेनेवा सम्मेलन से कोई लाभ नहीं होगा । चीन के हथ-कंडों के बारे म संसार को अवगत किया जाना चाहिये । वही लड़ाई का मुख्य कारण बना हुआ है ।

श्री कृ० चं० शर्मा (सरधना): द्वितीय महायुद्ध के उपरान्त विश्व दो गुटों में बट गया, और इन दो गुटों के नेता अमरीका और रूस थे । पिछले दो हजार वर्षों से जब भी विश्व दो गुटों में बंटा तो इसका परिणाम युद्ध हुआ । यदि यह दोनों शक्तियां अपने तरीके से चलतीं तो तीसरा महायुद्ध अवश्य होता । परन्तु पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तीसरा महायुद्ध नहीं होने दिया । उन्हीं के प्रयासों से भारत भी एक बहुत बड़ी शक्ति बन गया । और यह बिल्कुल गलत है कि चीन, रूस या अमरीका हमें हरा सकते हैं । हम में एक प्रतिक्रियात्मक राष्ट्रीयता है जिससे कोई भी शक्ति हमें कुचल नहीं सकती ।

अमरीकन सेवा भी चाहे कितनी शक्तिशाली हो चीन को उसी के देश में नहीं हरा सकती । हिमालय के पर्वतों पर युद्ध करना और बात है, परन्तु चीन हमारे मैदानों में हम से युद्ध नहीं कर सकता। हम किसी भी शक्ति के सामने नहीं झुकेंगे चाहे वह कितनी बड़ी हो। चीन भी अब एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया है । इसीलिये पंडित नेहरू ने इसको संयुक्त राष्ट्र संगठन का सदस्य बनाने पर जोर दिया था। यदि उसे सदस्य बना दिया होता तो वह कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करता। हमें अनिवार्य भरती करनी चाहिये, हमें आधुनिक हथियार रखने चाहियें; हमें प्रत्यक क्षेत्र में प्रगति करनी चाहिये ।

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दिनेश सिंह): सभा हिन्द-चीन की स्थिति पर ठीक ही चिन्तित है क्योंकि यदि यह स्थिति बिगड़ गई तो यह एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकती है जिसका अन्त क्या होगा हमें पता नहीं। 1954 के जेनेवा समझौते के अनुसार उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सरकारों को 1955 में परामर्श करके 1956 में पूरे देश में निर्वाचन करवाने थे। परन्तु इन निर्वाचनों के न होने के कारण देश का एकीकरण नहीं हुआ। दोनों दलों में समय समय पर मतभेद होता रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग को निर्देशित किया जाता है।

दोनों दलों ने हमें जेनेवा समझौते के उल्लंघन की शिकायत की थी। हमने इन शिकायतों की जांच की और यह कहा कि दक्षिण वियतनाम को जो अमरीका से सहायता मिली है वह इतनी कि स्थिति बदल गई है। और दक्षिण वियतनाम ने जो उत्तर वियतनाम के विरुद्ध शिकायत की उसकी भी हमने जांच की और अपनी राय दी। यह स्थिति इस प्रकार दस वर्ष से चल रही है। 8 फरवरी को स्थिति बहुत बिगड़ गई जिससे अमरीकी विमानों ने उत्तर वियतनाम के कुछ क्षेत्रों पर बमबारी की। सरकार ने 8 फरवरी को इस विषय पर एक कथन दिया जिसका कुछ भाग इस प्रकार था :

"एशिया और विश्व में शांति बनाये रखने के लिये हमें वियतनाम में युद्ध को टालना चाहिए। और भारत सरकार यह आवश्यक समझती है उत्तर और दक्षिण वियतनाम की ओर से उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां तुरन्त बन्द हो जानी चाहियें।" और 8 फरवरी को प्रधान मंत्री ने एक समारोह में भाषण देते हुए राष्ट्रपति जानसन और प्रधान मंत्री कोसीजिन से यह अपील की कि वह

{ **उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

वियतनाम में शांति बनाये रखने के प्रयत्न करें। वियतनाम के मामले से सम्बद्ध देशों में हमारे दूतावासों को भी हमने कहा कि वह अपने देशों की सरकारों को वियतनाम की गम्भीर स्थिति का ज्ञान करावें और वह युद्ध रोकने के लिये अपना प्रभाव डालें। हमने यह भी सुझाव दिया था कि 1962 के जेनेवा सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों का एक सम्मेलन बुलाया जाये। कई देशों ने हमारे इस प्रस्ताव का समर्थन भी किया है। इससे वहां तनाव में भी कुछ कमी हुई है । वैदेशिक-कार्य मंत्री ने भी 19 फरवरी को इस सभा में वक्तव्य देते हुए कहा:

"हमारे विचार में वियतनाम में उत्तेजनात्मक कार्यवाहियां तुरन्त बन्द हो जानी चाहियें। और यह आवश्यक है कि वियतनाम की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिये सम्बद्ध प्रमुख शक्तियों को साथ-साथ प्रयत्न करना चाहिये।" हमने न केवल संसद् में और यहां वक्तव्य दिये परन्तु सम्बद्ध देशों की राजधानियों में इस कठिन समस्या का हल निकालने का प्रयत्न किया। हमने जनरल नेविन और फ्रांस के प्रधान मंत्री से इस सम्बन्ध में चर्चा की और वह हमसे सहमत थे।

श्री खाडिलकर ने यह सुझाव दिया है कि जेनेवा प्रकार के सम्मेलन के बजाय एशियाई सम्मेलन बुलाया जाना चाहिये। हम 1962 के जेनेवा सम्मेलन की बात कर रहे थे जिसमें सम्बद्ध देशों को बुलाया जाएगा। इस मामले में और अधिक विलम्ब नहीं होना चाहिये, यदि हम देशों को आमंत्रण देने के प्रश्न पर विचार करेंगे तो कई कठिनाइयां उपस्थित हो सकती हैं जिससे इस मामले में और विलम्ब होगा। इसलिये हम यह सम्मेलन यथासम्भव शीघ्र बुलाना चाहते हैं जिससे स्थिति और अधिक न बिगड़े।

कुछ सदस्यों ने इसे सुरक्षा परिषद् में ले जाने का सुझाव दिया है। परन्तु जैसा आपको मालूम है जेनेवा सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी देश सुरक्षा परिषद् के सदस्य नहीं हैं, अतः इस मामले को सुरक्षा परिषद् में ले जाना इतना फलप्रद नहीं रहेगा।

चीन की विस्तार करने की इच्छा का हमें पता है। परन्तु इसे सैनिक कार्यवाही से नहीं रोका जा सकता। इसे राजनैतिक तरीके से ही रोका जा सकता है। इसे यह कह कर नहीं सुलझाया जा सकता कि हमें चीन और अमरीका को वियतनाम में लड़ने देना चाहिये। हो सकता है कि यह युद्ध बहुत फैल जाये और सम्पूर्ण विश्व इसमें ग्रस्त हो जाये। अतः शांतिप्रिय देश होने के नाते यह हमारा कर्त्तव्य है कि इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालें।

इस संबंध में जो कार्यवाही हमने की है उससे डा० रानेन सेन के संकल्प का समाधान हो जाता है। विदेश मंत्री ने कल जो एक स्थान पर वक्तब्य दिया उसका कुछ भाग इस प्रकार है :

"इस क्षेत्र के एशियाई देश होने के नाते हम वियतनाम की गम्भीर स्थिति से बहुत चिन्तित हैं। हम चाहते हैं कि वियतनाम के लोग बिना रोक टोक के अपनी स्वतन्त्रता का भोग करें। हमें आशा है कि सभी सम्बद्ध शक्तियां वियतनाम की समस्या को सुलझाने का सच्चा प्रयत्न करेंगी।" -

डा० रानेन सेन (कलकत्ता पूर्व): मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार जो इस समस्या का शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयत्न कर रही है उसमें दक्षिण वियतनाम के लोगों और अमरीकी सरकार को समतुल्य न समझे। दक्षिण वियतनाम के लोग अमरीकन कब्जे के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

श्री दिनेश सिंह के वक्तव्य को सुनने के पश्चात् मेरे विचार में पहले की स्थिति में कुछ सुधार हो गया है अतः मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की सभा की अनुमति प्राप्त है।

कुछ माननीय सदस्य: जी, हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The Resolution was, by leave, withdrawn

अनुसूचित जातियों के उत्थान के बारे में संकल्प

RESOLUTION RE: UPLIFT OF SCHEDULED CASTES

Shri Balmiki (Khurja): Sir, I beg to move:

"This House is of opinion that even after three Five Year Plans there has been no specific progress in the work of social, economic and educational development of Scheduled Castes and therefore, calls upon the Government to appoint a high powered Commission to evaluate the progress made so far in this regard and suggest measures for the welfare of the Scheduled Castes with special reference to the promotions and reservation of seats in Government services, allocation of land, etc".

We are not satisfied with the speed with which the work of removing untouchability is going on. The Government efforts are no bearing any fruit because they are half-hearted. Even after the three Five Year Plans there has not been any enlightenment or appreciable progress in the economic or social condition of Scheduled Castes.

Although we have finished untouchability in the constitution, but it is still present in the minds and thinking of the people. We are talking of national integration and emotional integration but we are not paying any attention to this essential part of India which is leading sub-human life. It is not the fault of those castes which are called untouchables. In a leading article "clinging to caste" in "Search light" of Bihar, it has been written that untouchables want to cling to casteism. But I want to ask which are the communities which are not clinging to casteism. It is just possible that certain communities might have progressed but it is not a wide-spread one. There are still Scheduled Castes, like Mangi, Passi, or Dome etc. whose condition is very bad. For this purpose I have presented this resolution to draw the attention of the nation.

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रख सकते हैं।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, फरवरी 27, 1965/फाल्गुन 8, 1886 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, February 27, 1965/Phalguna 8, 1886 (Saka).

GMGIPND—LS III—2641 (Ai) LS—25-6-65—600.